151

लोक सभा वाद विवाद का

हिन्दी संस्करण

खंण्ड 7

अंक 11 – 20

20 से 31 अगस्त

1962

पी एल

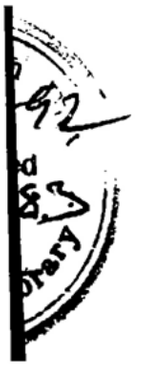

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

Monday, 20 August, 1962

लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation
14-5-92
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[तृतीय माला, खंड ७—अंक ११ से २०—२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २० अगस्त १९६२, / २९ श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १३२३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४३९, ४६७, ४४० से ४४३ और ४४६ से ४४९ १३२२—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४४, ४४५, ४५० से ४६६ और ४६८ से ४७४ १३४५—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १२१९ और १२२१ से १२५३ १३५६—१४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४३१

राज्य सभा से सन्देश १४३६

अणु शक्ति विधेयक १४३६—४८

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ३२ और १ १४४८—४९

पारित करने का प्रस्ताव

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मिलावटी और नकली औषधियों का निर्माण तथा बिक्री १४४९—६२

दैनिक संक्षेपिका १४६३—७१

अंक १२—मंगलवार, २१ अगस्त, १९६२ / ३० श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७६, ४७७ और ४८० से ४८४ १४७३—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४७९ और ४८९ से ५१६ १४९६—१५०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२७०, १२७२ से १३८४, १३८६ से १४०० और १४०२ से १४२६ १५०८—८४

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में १५८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५८४—८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छठा प्रतिवेदन १५८५

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुर:स्थापित—	
(१) संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२	१५८५–८६
(२) नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२	१५८६
(३) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२	१५८७
(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२	१५८८
विधेयक पारित—	
(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२	१५८७–८७
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२	१५८८–८९
औचित्य प्रश्न के बारे में	१५८९—९१
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	१५९१—१६२३
दैनिक संक्षेपिका	१६२४—३३

अंक १३—बुधवार, २२ अगस्त, १९६२ / ३१ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ से ५३१	१६३५—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१६६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ और ५३२ से ५४६	१६६३—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२७, १४२८, १४३० से १४९९, १५०१ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५१०	१६७२—१७१०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	१७११–१२
(१) 'स्वाधीनता' में एक चित्र का प्रकाशन	
(२) दिल्ली में डिप्थीरिया का फैलना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७१२–१३
राज्य सभा से सन्देश	१७१३–१४
मत विभाजन के परिणाम में शुद्धि	१७१४
तारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर में शुद्धि	१७१४

विषय	पृष्ठ
सेनफ्रेंसिस्को शांति सम्मेलन में भारत के भाग न लेने के बारे में वक्तव्य १७१४, १७१८—१९	
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव १७१४—१८, १७१९—३६, १७३७—५०	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	१७५१—५७
अंक १४—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९६२ / २ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ से ५५४, ५५६ से ५६२ और ५६४ से ५६७	१७५९—८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	१७८३—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४७, ५४८, ५५५, ५६३, और ५६८ से ५७४	१७८५—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १५११ से १५१८, १५२० से १५९७, १५९९ और १६०१ से १६२६	१७९०—१८३८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़	१८३८—४०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२	
(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२	
(३) संघ राज्य क्षेत्र नाट्य प्रदर्शन (निरसन) विधेयक	
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	१८४१—४४
अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	१८४५—५४
विचार करने का प्रस्ताव	१८५१—५४
खंड २, ३, १-क और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में रूप-भेद के बारे में प्रस्ताव	१८५४—५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१८५७
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत	१८५७—७०
अनुसंधानकर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों की काम की दशा के बारे में प्रस्ताव	१८७०—७४
कार्य मंत्रणा समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१८७४
दैनिक संक्षेपिका	१८७५—८१

विषय	पृष्ठ
अंक १५—शनिवार, २५ अगस्त, १९६२ / ३ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७५ से ५८५ और ५८७ से ५९०	१८८३–१९०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ और ५९१ से ६११	१९०६–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या १६२७ से १७२९ और १७३१ से १७३३	१९१८–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९६५–६६
सभा का कार्य	१९६६
कार्य मंत्रणा समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१९६६
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव	१९६७–९१
दैनिक संक्षेपिका	१९९२–९८
अंक १६—सोमवार, २७ अगस्त, १९६२ / ५ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ से ६१६, ६१८ से ६२२ और ६२४ से ६२६	१९९९–२०२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६२३, ६२७ से ६३२ और ६३४ से ६४२	२०२६–३४
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७३९, १७४१ से १७४३, १७४५ से १८००, १८०२ और १८०३	२०३४–६९
सभा पटल पर रखे गय पत्र	२०६९–७१
गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधयक—पुरस्थापित	२०७१
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२०७१–७३
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव	२०७३–२१०७
दैनिक संक्षेपिका	२१०८–१३
अंक १७—मंगलवार, २८ अगस्त, १९६२ / ६ भाद्र १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४३ से ६५७	२११५–३९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७	२१३९–४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ से ६६६	२१४२–४५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०४ से १८९६	२१४५–८७

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१८७
नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	२१८७–९०
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ तथा -	
नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२—	
विचार करने का प्रस्ताव	२१९१–२२१२
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक का खंड १ तथा २	२२१३
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव	२२१३–१७
दैनिक संक्षेपिका	२२१८–२३
अंक १८—बुधवार, २९ अगस्त, १९६२/७ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ६८१	२२२५–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ से ८९६	२२४९–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८९७ से १९९१, १९९३ से २००२ और २००४ से २०१०	२२५६–२३०६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१३०६–०७
आदेश पत्र से एक प्रस्ताव के हटाने के बारे में	२३०७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	२३०७–१०
१. नैपाली सैनिकों द्वारा मिरिस (दार्जिलिंग) में गोली चलाने का कथित समाचार	
२. रायल नेपाल एयर लाइन्स के विमान का कथित लापता होना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३१०–११
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	२३११
जस्ता चढ़ी हुई लोहे की नाली दार चादरों के वितरण के बारे में वक्तव्य	२२११–१४
नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२	२३१४–२०
खंड २ से ३३ तथा १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	२३२०–४७
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २	२३२४–४७
दैनिक संक्षेपिका	२३४८–५४

विषय	पृष्ठ
अंक १९—गुरूवार, ३० अगस्त, १९६२ / ८ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९७ से ७०३, ७१२, ७१५, ७०४ से ७०७, ७०९ और ७१०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७११, ७१३, ७१४ और ७१६ से ७१९	
अतारांकित प्रश्न संख्या २०११ से २०७२	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र के कथित अतिक्रमण	
(२) दक्षिण बुलिहारी कोयला खान में दुर्घटना	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर में शुद्धि	
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२, और	
(२) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक—	
खंड २ से ४, ३-क, ३-ख, १-क और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
सभा का कार्य	
दैनिक संक्षेपिका	
अंक २०—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९६२ / ९ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१ से ७३२ और ७३४	२४६७–९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२४९०–९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ और ७३५ से ७४२	२४९२–९७
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७३ से २०८८ और २०९० से २१४३	२४९८–२५३१

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	२५३१–३६
(१) राजशाही के शरणार्थियों पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित आक्रमण	२५३१–३३
(२) डुमराव रेल दुर्घटना जांच आयोग	२५३२–३५
सहारनपुर के निकट रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने के प्रस्ताव के बारे में	२५३६
सदस्य की दोष सिद्धि	२५३६
सदस्य का निलम्बन	२५३६–४२
सभा का कार्य	२५४४
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—पुरस्थापित	२५४४
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५४४–५१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	२५५१
विधेयक पुरस्थापित	२५५१–५२
(१) संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (नये अनुच्छेद १५५ क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन) **[श्री टीका राम पालीवाल का]**	२५५१
(२) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६२ **[श्री नवल प्रभाकर का]**	२५५२
(३) संविधान (संशोधन) विधेयक १९६२ (अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) **[श्री च० का० भट्टाचार्य का]**	२५५२
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७ख का लोप) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]**—वापस लिया गया	२५५२–६५
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय समुद्र बीमा विधेयक **[श्री म० वि० भार्गव का]**—	
राज्य सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव	२५६५–७२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
गाजियाबाद सहारनपुर खंड में गाड़ियों की टक्कर	२५६६–६८
संविधान संशोधन विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) **[श्री दी० चं० शर्मा का]**—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५७३–७४
मध्य प्रदेश में खनिजों पर स्वामित्व के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२५७४–७७
दैनिक संक्षेपिका	२५७८–८३

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, २० अगस्त, १९६२
२९ श्रावण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री एस० कन्दप्पन , का जो तिरुचेनगोड़ (मद्रास) से निर्वाचित हुए हैं, आप से और आप के द्वारा सभा से परिचय कराने में बड़ी प्रसन्नता है ।

श्री एस० कन्दप्पन (तिरुचेनकगोड़) ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली के लिए बृहद् योजना

*४३७ **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की वृहद् योजना, जिसे भारत सरकार ने हाल ही में अपनी स्वीकृति दी है, के अनुमानित व्यय के आंकड़े दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने में क्या प्रगति हुई है और अनुमानित व्यय की राशि क्या है ;

(ख) जिन समीपवर्ती राज्यों के क्षेत्र इस वृहद् योजना के अन्तर्गत आते हैं क्या उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ;

(घ) उच्चस्तरीय समन्वय बोर्ड की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं तथा उनमें क्या निर्णय किये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

1685 (Ai) LSD—1.

(ङ) यदि नहीं, तो इसकी अगली बैठक कब होगी और उसके विचारणीय विषय क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली की वृहद् योजना की स्वीकृति सरकार ने २९ जुलाई २९६२ को दे दी थी, और जिस दिन दिल्ली विकास प्राधिकार इस योजना की स्वीकृति की सूचना प्रकाशित कर देगा, उसी दिन से इसके अनुसार काम प्रारम्भ हो जायगा। १९६१—८१ की अवधि के लिये, जिस के लिये योजना तैयार की गई है, विभिन्न विकास-मदों के अधीन अनुमानित पूंजीगत लागत, लगभग ७३२ करोड़ रुपये है ।

(ख) और (ग). दिल्ली की वृहद् योजना के बारे में उत्तर प्रदेश तथा पंजाब सरकार की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि योजना का वैधिक प्रवर्ती भाग केवल संघ-क्षेत्र दिल्ली से ही सम्बन्धित है और यह दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किया गया है जो दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता ।

(घ) और (ङ). यह बोर्ड काम नहीं कर रहा है क्योंकि अब इस की अपेक्षा एक वैधानिक प्राधिकार (स्टेचुटरी अथारिटी) बनाने के प्रस्ताव का अनुसरण किया जा रहा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना के अन्तिम रूप से स्वीकार हो जाने के बाद नगर आयोजन संगठन का काम खण्ड के आधार पर आरम्भ किया गया है ?

†**डा० सुशीला नायर** : खण्ड योजनायें तैयार की जा रही हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र ८ क्षेत्रों और १३६ खण्डों में विभाजित है। एक या दो खण्ड का ब्यौरा तैयार हो रहा है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री जी ने बताया है कि योजना पर लगभग ७३२ करोड़ रु० व्यय होंगे । यह धनराशि किस साधन से प्राप्त होगी ?

डा० सुशीला नायर : ७३२ करोड़ रु० वर्ष १९६१—८१ की २० वर्ष की अवधि में व्यय होंगे। चालू योजना में, अर्थात् वर्ष १९६१—६६ में, १५२.३१ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। इस धन राशि में से ८३.१९ करोड़ रु० स्थानीय निकाय व्यय करेंगे, ४४.६६ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी, २४.४६ करोड़ रु० दिल्ली प्रशासन व्यय करेगा और १९.३५ करोड़ रु० तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में संचालन और रख रखाव के लिये रखने होंगे। इस प्रकार तीसरी योजना में कुल व्यय १७१.६६ करोड़ रु० होगा। इस के लिये ६०.५२ करोड़ रु० भूमि के विक्रय आदि से प्राप्त होने की आशा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वे स्थानीय निकाय कौन से हैं जिन के पास माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित राशि होगी और इस मांग की पूर्ति करने के उन स्थानीय निकायों के क्या साधन हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये बातें ब्यौरे की हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य जानते हैं कि दिल्ली में स्थानीय निकाय दिल्ली नगरपालिका निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये छोटी छोटी बातें हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : इस वृहद् योजना के अन्तर्गत आने वाले जो समीपस्थ राज्यों के क्षेत्र हैं क्या उनका प्रशासकीय सम्बन्ध तो यहां से नहीं होगा ?

डा० सुशीला नायर : इस वक्त तो दिल्ली के अंदर, जो ऐरियाज हैं उन के विकास की बात हो रही है। बाहर के जो दूसरे एरियाज हैं उन के विकास के सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं ने उन के विकास के बारे में नहीं बल्कि उन के प्रशासकीय सम्बन्ध के बारे में पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : विकास के लिये नहीं बल्कि वह वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं ।

डा० सुशीला नायर : उन के ऐडमिनिस्ट्रेशन को लेने का कोई सवाल ही नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह विचार रखते हुए कि वृहद् योजना की कार्यान्विति में केवल दशक लगेंगे, क्या सभा को प्रसन्नतापूर्वक आश्वासन दिया जा सकता है कि राजधानी की बड़ी-बड़ी समस्यायें, जैसे जल, आवास, विद्युत् और परिवहन, तब तक पूरी हो जायेंगी और वर्तमान सत्तारुढ़ दल वर्ष १९८२ तक इसी स्थिति में बना रहेगा ताकि वह इन सब समस्याओं को पूर्ण अकुशलता से—मेरा अभिप्राय है कुशलता से—हल कर सकेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाये । क्या ये समस्यायें वर्ष १९८२ तक दूर हो जायेंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । कौन कह सकता है कि सत्तारुढ़ दल उस समय भी सत्तारुढ़ होगा ? माननीय सदस्य सत्तारुढ़ दल को हटा सकते हैं । संसद् का मत सदैव ही अन्तिम होता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : दल की कुशलता इतनी है कि उन्हें सत्तारुढ़ रहना चाहिये । मेरा निवेदन है कि प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उन्हों ने केवल प्रथम भाग ही पूछा होता, तो मैं निश्चय ही उत्तर दिये जाने की अनुमति दे देता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि आप को इस पर आपत्ति है, तो आप दूसरे भाग को नियम विरुद्ध घोषित कर सकते हैं । मेरा विचार है कि वह नियमानुकूल है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने अनेक बार माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि प्रश्नों में तर्क, निष्कर्ष, कटूक्ति, आदि नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : नहीं, नहीं । मेरे विचार में, मेरे प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि दुर्भाग्यवश मैं माननीय सदस्य के मत से सहमत न हूं, तो किसका मत स्वीकार्य होगा ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या राजधानी की यह सारी बड़ी समस्यायें वर्ष १९८२ तक हल हो जायेंगी ?

†**डा० सुशीला नायर** : यदि माननीय सदस्य ने योजना को देखा है, तो उसमें यह दीर्घकालीन दृष्टि अपनाई गई है, और जल, यातायात व समस्त अनिवार्य आवश्यकताओं की उसी प्रकार योजना बनाई जा रही है, ताकि वर्ष १९८१ से काफी पहिले ये समस्यायें हल हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चेचक

+

*४३८. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेचक के विरुद्ध सभी राज्यों में जोरदार आन्दोलन है के बावजद पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में १९६०-६१ और १९६१-६२ में चेचक का विशेष प्रकोप रहा है ;

(ख) इस विशेष प्रकोप के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस रोग से जनता की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) समूची जनसंख्या को टीके लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन प्रोग्राम की कार्यान्विति के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६.८८ करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है ।

इस प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में हुई प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण ७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४ के उत्तर में सभा में प्रस्तुत किया गया था ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता लगता है कि अनेक राज्यों में इस आन्दोलन के लिये कुछ विशेष एकक बनाये गय हैं । क्या पश्चिम बंगाल के लिये कोई विशेष यूनिट स्वीकृत किये गये हैं और क्या इन यूनिटों के लिये धन केन्द्रीय सरकार देगी या राज्य सरकार ?

†**डा० द० स० राजू** : उन्मूलन प्रोग्राम प्रायः सभी राज्यों में चलता रहा है । उन्होंने राज्य को यूनिटों में बांट दिया है और प्रत्येक यूनिट में तीन जिले होते हैं । वस्तुतः उन्हेंआशा है कि वे उन्मूलन कार्यक्रम दो या तीन वर्ष में समाप्त कर देंगे । कुछ बड़े राज्यों में, इसमें तीन वर्ष लग सकते हैं । और कुछ छोटे राज्यों में दो वर्ष लग सकते हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इन टीकों का लगवाना अनिवार्य होगा या स्वेच्छिक होगा ?

†**डा० द० स० राजू** : स्वेच्छिक ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या तीसरी योजना के लिये प्रथम वर्ष के लिये विभिन्न राज्यों ने अपनी योजनायें प्रस्तुत कर दी हैं; यदि हां, तो प्रथम वर्ष के लिए कितना आवंटन किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : चेचक उन्मूलन प्रोग्राम एक योजनानुसार चल रहा है जिसे केन्द्र में विशषज्ञों ने राज्य सरकारों के परामर्श से बनाया है । उस योजना के अनुसार हम इस प्रोग्राम अनावर्तक व्यय शत प्रतिशत और अनावर्तक व्यय ७५ प्रतिशत उठा रहे हैं और प्रत्येक राज्य में बने यूनिटों की संख्या के आधार पर हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं ।

---

†मल अंग्रेजी में

†श्री ब० कु० दास : टीका प्रोग्राम के लाभों का जनता को ज्ञान कराने के लिये और पृथक्करण तथा अन्य आवश्यक बातों के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†डा० द० स० राजू : स्वास्थ्य शिक्षा विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कम से कम उड़ीसा में चेचक के कारण कुछ मृत्युयें हुई हैं । क्या सरकार को विदित है कि मृत्युयें उन जिलों में हुई थीं जो योजना में शामिल नहीं किये गये हैं और जो जिले अग्रिम परियोजना में आते हैं, वहां इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है ?

†डा० सुशीला नायर : यह सच है जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि जिन जिलों में चेचक के टीके लगाने की अग्रिम परियोजना लागू की गई है और जो लगभग ८० प्रतिशत जनसाधारण पर लागू हो गई है, वहां वास्तव में किसी को चेचक नहीं निकली है या न ही कोई मृत्यु हुई है। जो क्षत्र परियोजना में शामिल नहीं हुए हैं, वहां चेचक रोग फैला है । परन्तु महामारी को रोकने का राज्य सरकारों द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है ।

श्री व्रज बिहारी मेहरोत्रा : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करगे कि चेचक के साथ साथ बड़ी माता यानी मीजिल्स की योजना भी इसमें शामिल है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, खसरा और चिकिन पाक्स की रोकथाम का कोई उपाय जो ऐसा मास स्कल पर इस्तैमाल किया जा सके अभी तक मालूम नहीं हुआ है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि यह जो सुई दी जाती है इसका असर केवल ६ महीने तक रहता है ? इसके अलावा जो सुई बूढों के दी जाती है वही बच्चों को भी दी जाती है जिससे गांव के लोग डर जाते हैं और खास कर बच्चे घरों में छिप जाते हैं । तो क्या इसके लिये सरकार कोई इन्तजाम कर रही है कि बच्चे न डरें और इसका असर ६ महीने से ज्यादा समय तक रहे ?

डा० सुशीला नायर : केवल ६ महीने तक असर रहता है यह बात सही नहीं है । इसका असर बहुत लम्बे समय तक रहता है । यह बात सही है बच्चों और बड़ों को वही वैक्सीन दिया जाता है, मात्रा में थोड़ा सा फर्क रहता है। लोग टीके फूलने से डरें नहीं इसके लिये तो हैल्थ एजूकेशन ब्यूरो के द्वारा प्रचार कार्य किया जाता है और लोगों को समझाया जाता है कि टीके का फूलना तो इस बात का चिह्न है कि अगर उनको टीका न दिया जाता तो उनको खूब जबरदस्त माता वाली थी जिससे होने उनकी जान खतरे में पड़ती ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या देश में सभी राज्यों में योजनायें लागू की गई हैं और वे राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार है ?

†डा० सुशीला नायर : काफी राज्यों में यह कार्य आरम्भ हो गया है । कुछ बाकी राज्यों में उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आरम्भ कर दिया है और सितम्बर के अन्त तक या अधिक से अधिक अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक वहां प्रत्येक राज्य पूरी तरह प्रोग्राम आरम्भ कर देगा ।

डा० उ० मिश्र : क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में सूखी 'वैक्सीन' का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया गया है और क्यी यह भी सच है कि क्योंकि राज्य सरकारें स्वयं 'वक्सीन' बना रही हैं जो इतनी प्रभावीन हीं हैं, इसलिये सूखी 'वेक्सीन' का प्रयोग नहीं किया जाता ?

डा० सुशीला नायर : यह सही नहीं है कि देश में हमारे व्यक्तियों द्वारा बनाई गई 'वैक्सीन' प्रभावी नहीं है । यह प्रभावी है । परन्तु वक्सीन को तैयार होने के बाद एक सप्ताह में प्रयोग करना

---

†मूल अंग्रेजी में

होता है। जब हम गांवों में और दुर्गम क्षत्रों में जाते हैं, तो हो सकता है कि समय एक सप्ताह से अधिक हो जाये। अतः इस उन्मूलन प्रोग्राम के लिये हमारे लिये यह जमी सूखी वैक्सीन लाभदायक है। हम अपनी भी वैक्सीन प्रयोग कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री उमानाथ** : प्रश्न संख्या ४६७ भी इसके साथ लिया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां।

जल संभरण

†*४३९. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरों और ग्रामों में जल सम्भरण की स्थिति के मूल्यांकन के लिये राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता समिति ने प्रत्येक राज्य द्वारा समितियां गठित किये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को किस हद तक कार्यान्वित किया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समिति ने राज्यवार अथवा प्रदेशवार आधार पर जल तथा जल निस्सारण बोर्ड नामक स्वतन्त्र संविहित निकायों के गठन का भी सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है और वह किस हद तक कार्यान्वित किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ग). हां, श्रीमान्।

(ख) और (घ). इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकारें करेंगी जिन्हें रिपोर्ट की कापियां भेज दी गई हैं। अब तक प्राप्त हुए उत्तरों से प्रतीत होता है कि ये सिफारिशें अभी तक उनके विचाराधीन हैं।

संघ के स्वास्थ्य मन्त्रालय में एक अपरिनियत पेय जल बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

राष्ट्रीय जल तथा सफाई समिति

+

†*४६७. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री उमानाथ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जल तथा सफाई समिति की किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितनी आबादी तक के एरिया को शहर मानते हैं और किस आबादी तक के एरिया के लिये पानी का प्रबन्ध करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : जनाब, पानी का प्रबन्ध तो हम हर एक गांव में करना चाहते हैं चाहे वहां की आबादी चार सौ हो या चार हजार और बड़े शहर के लिये भी इन्तजाम करना चाहते हैं जहां की आबादी चार लाख हो ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : समिति ने सिफारिश की है और माननीय मंत्री ने पिछले सत्र में सभा को आश्वासन दिया था कि ग्रामीण जल संभरण की सभी योजना तीसरी योजना के अन्त तक लागू हो जायेंगी परन्तु किये गये उपबन्ध बहुत ही कम हैं । इस वचन के बारे में इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है और क्या आजकल निर्धारित आवश्यकतायें भी पूरी की जा रही हैं या नहीं ?

†**डा० सुशीला नायर** : सरकार जल संभरण की समस्या को उच्चतम प्राथमिकता देती है और हम इस का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि इस बारे में हमारे वचन पूरे हों । मैं मानती हूं कि उपबन्धित धनराशि थोड़ी है । हम ऐसे मार्गोपाय ढूढने का प्रयास कर रहे हैं जिन से हम खाद्य तथा कृषि मंत्री की सहायता से इन थोड़े संसाधनों को बढ़ा सक ताकि हम सिंचाई और पीने के लिये उन के गहरे नलकूपों से कुछ जल ले सकें, खान और ईंधन मंत्री की सहायता से उन के कुछ रद्द किये हुए कुओं .

†**श्री त्यागी** : हम तेल मिला पानी नहीं पी सकते ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : जल और नाली नहीं ।

†**डा० सुशीला नायर** : हम पीने के लिये केवल मीठा पानी ले रहे हैं, नमकीन पानी नहीं और अनेक स्थानों पर मुझे विश्वास दिलाया गया है कि यदि हमें तेल नहीं मिला तो विभिन्न परतों पर हमें पानी मिलेगा ।

†**श्री त्यागी** : असफलताओं पर आगे बढ़ रहे हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : हो सकता है कि तेल के संबंध में वे असफलतायें हों परन्तु पानी की खोज के बारे में वे सफलतायें हैं । हम उस संसाधन का भी प्रयोग करना चाहते हैं । इस के अतिरिक्त अन्य अनेक संभावनायें हैं जिन की हम खोज कर रहे हैं ताकि तीसरी योजना में उपबन्धित संसाधनों की अधिकतम वृद्धि हो सके और फिर हम, यदि कर सके, तो अधिक धन की मांग करेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उत्तर विस्तृत है परन्तु मेरे प्रश्न के मुख्य भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण में उल्लेख है कि ग्रामीण तथा उप-नगरीय समितियां प्रत्येक राज्य में बनाई जायेंगी और विशेष जांच पड़ताल विभाग बनाये जायेंगे । क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई हैं और क्या प्रगति हुई है ?

†**डा० सुशीला नायर** : ये समितियां राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त की जायेंगी जैसाकि मेरे माननीय साथी ने अभी कहा है । हम ने यह सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी हैं । इस बीच हम ने महसूस किया कि इस समस्या का आकार जानने के लिये और यह जानने के लिये कि इसे विशेषकर अभाव वाले क्षेत्रों में कैसे हल किया जा सकता है; निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है । हमारे अपने उपबन्धों से बनाये जाने वाले जांच पड़ताल यूनिटों की स्वीकृति दी जा रही है । प्रस्ताव को योजना आयोग का अनुमोदन मिल गया है और राज्यों से जांच पड़ताल के लिये नये यूनिट चाल करने के लिये कहा जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री उमानाथ** : विवरण में उल्लेख है कि रिपोर्ट और सिफारिशें राज्यों को भेज दी गई हैं। क्या कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित है जिस के भीतर वे अपना निश्चय बता दें ; यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है ।

†**डा० सुशीला नायर** : समय-सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । हम अभी 'मेयर' कान्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर स्थानी स्वायत्तशासी सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्रियों की कांन्फ्रेंस करेंगे । हम इस प्रश्न पर इनमें से प्रत्येक कान्फ्रेंस में विचार विमर्श कर रहे हैं और राज्य सरकारों को इस समस्या के महत्व का ज्ञान है ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है, उस ने क्या ख़ास ख़ास रेकमेंडेशन्ज़ की हैं, जिन को सरकार कार्यान्वित करना चाहती है ।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, उस कमेटी की रिपोर्ट लम्बी है, लेकिन उस की चन्द एक रेकमेंडेशन्ज़ स्टेटमेंट में दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर स्टेटमेंट में रेकमेंडेशन्ज़ दी गई हैं, तो माननीय सदस्य उन को देख लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री हरश्चिन्द्र माथुर** : श्रीमान, आप ने प्रश्न संख्या ४६७ को इस के साथ जोड़ा है और आप प्राय: दो प्रश्नों की अनुमति देते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्य को एक प्रश्न की अनुमति दी थी और उन्हों ने कहा कि उत्तर लम्बा तथा विस्तृत था । अब मैं दूसरा प्रश्न ले चुका हूं। वह इस का अवसर ले सकते हैं ।

दुर्घटना जांच समिति

+

†*४४०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री केप्पन :
श्री उमानाथ :
श्री कजरोलकर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और दुर्घटनायें न होने देने के मार्गोपाय सुझाने के लिये नियुक्त समिति की कोई बैठक भी हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो समिति की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ग) प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) दो बार ।

(ग) अभी तारीख के बारे में नहीं कहा जा सकता कि समिति अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगी परन्तु संभव है कि हाल में कुछ अन्तरिम सुझाव दिये जायें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : ये अन्तरिम सुझाव कब दिये जायेंगे और क्या उन की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ।

†**श्री शाहनवाज खां** : आशा है कि अन्तरिम रिपोर्ट आगामी दो या तीन मास में उपलब्ध हो जायेगी । इस के उपलब्ध होने पर इसे पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे दुर्घटनाओं पर चर्चा के समय संसत्सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझाव विचार किये जाने के लिये समिति को भेजे जायेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम ऐसा करेंगे ।

†**श्री उमानाथ** : क्या सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि यदि रेलवे कर्मचारी चाहें तो गोपनीय रूप में साक्ष्य दे सकते हैं और यह समिति उन की रक्षा करेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह तो स्वीकृत बात है। साक्ष्य देने का इच्छुक कोई भी रेलवे कर्मचारी समिति के सामने साक्ष्य दे सकता है ।

†**श्री उमानाथ** : मेरा प्रश्न सुरक्षा सहित गोपनीय ढंग से साक्ष्य देने के बारे में था ।

†**श्री शाहनवाज खां** : इस का निश्चय समिति करेगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कमेटी कब नियुक्त की गई थी और कितना समय उस की रिपोर्ट देने के लिये रखा गया था और क्या जब सब दुर्घटनायें समाप्त हो जायेंगी, तब उस की रिपोर्ट आयगी ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या रिपोर्ट देने के लिये कोई वक्त रखा गया है ।

श्री शाहनवाज खां : इस के लिये कोई ख़ास वक्त तइय्युन नहीं किया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस समिति को आद्योपान्त जांच पड़ताल करने का अधिकार है या सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कुछ समस्याओं के बारे में इस समिति को कोई विशेष निर्देश दिया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस समिति के निर्देश-पद सुविदित हैं । समिति को मनचाही पूछताछ करने का पूर्ण अधिकार है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, जो रेलवे-दुर्घटना जांच समिति बनाई गई है, उस के सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या उन में मेकैनिकल अथवा टेक्निकल जानकारी रखने वाले कुछ व्यक्ति भी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज़ खां : इस कमेटी के मेम्बरान के नाम हस्ब-ज़ैल हैं :—

डा० हृदयनाथ कुंजरू, श्री सत्यचरण शास्त्री, श्री जयपाल सिह, श्री एन० आर० एम० स्वामी, श्री टी० बी० विट्ठल राव, श्री जे० एन० नंदा, रिटायर्ड जनरल मैनेजर (टेक्निकल एक्सपर्ट), श्री देवदत्त, रिटायर्ड चीफ़ गवर्नमेंट इंस्पैक्टर आफ़ रेलवेज़ (टेक्निकल एक्सपर्ट), श्री पी० सी० शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, ट्रैफिक रेलवे बोर्ड।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात का ध्यान रख कर कि जो रेलवे कर्मचारी जांच समितियों में साक्ष्य देते हैं उन्हें अपने खिलाफ कार्यवाही किये जाने का डर बना रहता है, क्या उन्हें ऐसे डर से मुक्त रहने का आश्वासन दिया गया है ताकि सचाई का पता लग सके ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : भारतीय रेलवे कर्मचारियों को कोई डर नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : निरन्तर होने वाली रेलवे दुर्घटनाओं का ध्यान रख कर क्या सरकार इस समिति को स्थायी समिति बनाने की संभावना पर विचार करेगी ताकि यह रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में रिपोर्ट देती रहे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि इस समिति में नियुक्त हुए दोनों सेवा निवृत्त अधिकारियों को १०० रु० प्रतिदिन मिलते हैं और उन दिनों के लिए भी मिलते हैं जब कि समिति की बैठक नहीं होती और इस कारण समिति के कार्य की अवधि समय समय पर बढ़ा दी जाती है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : नहीं श्रीमान् । मैं यह आक्षेप स्वीकार नहीं करता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि आक्षेप असत्य हो । क्या उन्हें १०० रु० प्रति दिन मिलते हैं ?

(अन्तर्बाधा)

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मेरे पास पूर्ण ब्यौरा नहीं है । मैं इसकी जांच करूंगा

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जांच करके सभा को सूचित करेंगे । अगला प्रश्न ।

होटल वर्गीकरण समिति

+

†*४४१. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिये सरकार ने एक होटल वर्गीकरण समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब नियुक्त की गई थी और वह अपना काम संभवतः कब तक पूरा कर लेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) होटल वर्गीकरण समिति १५ जून, १९६२ से बनाई गई हैं। आशा है कि समिति छः मास में अपना काम पूरा कर लेगी।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या किसी योरोपीय होटल मालिक या इस विषय के विशेषज्ञ से इस समिति का काम करने के लिए कहा गया है?

†**श्री राज बहादुर** : भारत का होटल तथा रेस्टोरेन्ट संस्था फीडरेशन के अवैतनिक मंत्री श्री एल० सी० निरूला होटलों के प्रतिनिधि हैं।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : वर्गीकरण के लिए, क्या भारत में होटलों की जांच योरोप में उपलब्ध आराम व सुविधाओं के स्तर का ध्यान रखकर किया जायेगा या भारत में उपलब्ध आराम व सुविधाओं का ध्यान रखकर किया जायेगा?

†**श्री राज बहादुर** : होटल स्तर तथा दर ढांचा समिति ने कुछ सिद्धान्त व स्तर निर्धारित किये हैं और समिति को कार्यवाही करते समय निर्धारित होने वाले सिद्धान्तों के अतिरिक्त इन सिद्धान्तों का पालन करना है।

श्री बिशनचंद्र सेठ : आज हमारे देश में फारेनर्ज के लिए होटलों की संख्या बहत कम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय देश में ऐसे होटलों की क्या संख्या है और सरकार कितने होटल बनाना चाहती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सवाल तो होटल्ज के क्लासिफ़िकेशन के बारे में है। नये होटल बनाने का सवाल नहीं है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस समिति के कौन सदस्य हैं और क्या कार्य क्षेत्र है?

†**श्री राज बहादुर** : इसकी घोषणा एक नियमित सरकारी अधिसूचना में की गई थी। पर्यटन विभाग के उप-महानिदेशक श्री जी० आर० कादपा इसके सभापति हैं। श्री एल० सी० निरूला और कर्नल जी० वी० राजा, कोडियार पेलेस, त्रिवेन्द्रम इसके सदस्य हैं। क्षेत्रीय होटल संस्था का एक प्रतिनिधि और संबंधित राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि को उस समय समिति में शामिल किया जायेगा जब कि समिति संबंधित क्षेत्र या राज्य में जायेगी।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि मुट्ठी भर विदेशियों के लिए इतने बड़े देश में होटलों के वर्गीकरण की क्या जरूरत महसूस हुई और कितनी क्लासिज में उन को डिवाइड किया गया है?

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैंने कहा है, एक समिति ने इस सम्बन्ध में जांच की थी और उस की सिफारिशों को गवर्नमेंट ने मन्जूर किया है। होटलों की क्लासिफिकेशन के उचित कारण हैं, लेकिन इतने थोड़े समय में उन सारे कारणों को बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है। होटलों की क्लासिफिकेशन की आवश्यकता इस लिए है कि बाहर के पर्यटकों को ठीक तरह से मालूम हो सके कि किस स्टैंडर्ड के होटल कहां हैं और वे अपनी इच्छा या मर्जी के मुताबिक उन होटलों में जा सकें।

†**श्री हेडा** : क्या इस वर्गीकरण का संबंध नगरों की जन संख्या से होगा या इसका उससे कोई संबंध न होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** इसका संबंध होटल के स्तर और उसकी सेवाओं से होगा ।

श्री बड़े : होटल्स का जो ए, बी, सी में क्लासिफिकेशन हो रहा है और जो फारेन टूरिस्टस की कनवीनियेंस के लिए हो रहा है यह वैसे ही है जैसे एम० पीज० के फ्लैट्स का है । मैं जानना चाहता हूं कि इंडियन टूरिस्ट्स के लिए कोई क्लासिफिकेशन करने का शासन का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : क्लासिफिकेशन होटल्स का है, टूरिस्टस का नहीं है ।

श्री राज बहादुर : क्लासिफिकेशन होटल्ज का है, टूरिस्ट्स का नहीं है ।

श्री बड़े : इसमें लिखा है कि फारेन टूरिस्ट्स के लिए.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री बड़े : यह क्लासिफिकेशन हो.....

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्होंने जवाब दे दिया है कि होटल्ज का क्लासिफिकेशन होगा, फारेन टूरिस्ट्स के लिए और दूसरों के लिए भी । आप ज़िद्द क्यों कर रहे हैं ?

श्री बड़े : इसमें यह लिखा है कि फारेन टूरिस्ट्स के.....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि हर एक के लिए क्लासिफिकेशन होगा ।

श्री काशी राम गुप्त : समिति किन निदेश-पदों पर सिफारिश करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** निदेश-पद है :— उन होटलों से प्रार्थना पत्र मांगना जो वर्गीकरण योजना के अन्तर्गत सरकारी मान्यता में रुचि रखते हों, प्रार्थियों में से ऐसे होटलों का निरीक्षण करना जो समिति के विचारानुसार न्यूनतम शर्तों को पूरा करते हों और उनकी स्तर दर निर्धारित करना; और अन्त में ऐसे होटलों को मान्यता देने का सिद्धान्त बनाना जिनका स्तर पर्यटकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफी ऊंचा हो और उनका निरीक्षण करना जो शर्तें, आदि पूरी करते हों ।

खाद्य क्षेत्र

\+

†*४४२. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य क्षेत्रों की योजना में अब कौन कौन से खाद्यान्नों का समावेश किया गया है ;

(ख) क्या किसी खाद्य क्षेत्र को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) खाद्य क्षेत्र की प्रणाली के कार्य में यदि कोई कठिनाइयां अनुभव की जा रही हों तो वे क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि-मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) :** (क) चावल, धान और चावल तथा धान के उत्पाद ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कोई खास कठिनाई अनुभव नहीं की गयी है ।

†**श्री ब० कु० दास** : एक राज्य से दूसरे राज्य को खाद्यानों के संभरण के लिये किस अभिकरण को कार्य करने की अनुमति दी गयी है ?

†**श्री शिन्दे** : अधिकांशत: अनाज पर सरकारी अभिकरण का नियंत्रण है । कुछ राज्यों में, सरकार ने गैर सरकारी व्यापारियों को लाइसेंस दिये हैं ।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या अभिकरणों पर ऐसी कोई शर्त लगायी गयी है कि उन्हें कर देना होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले जोन में, व्यापारियों को २५ प्रतिशत कर सरकार को देना पड़ता है । उतनी मात्रा सरकार को बेची जायेगी । कुछ अन्य जोनों में कोई भी प्रतिबन्ध नहीं हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार को इस तथ्य का पता र कि खाद्यान्नों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के कारण विशेषत: पश्चिम बंगाल में अधिक मांग वाले महीनों में कुछ खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जाते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, यह पूर्वी क्षेत्र में है । उड़ीसा का फालतू खाद्यान्न पश्चिम बंगाल में जाता है । पश्चिम-बंगाल उड़ीसा क्षेत्र बनने के बाद पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न की स्थिति संतोषजनक है ।

†**श्री वेंकटासुब्बय्या** : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि खाद्य क्षेत्रों को विघटित करने

†**श्री अ० म० थामस** : यह कहा गया है कि हम उस प्रावस्था पर नहीं पहुंचे हैं कि हम जोन समाप्त कर दें परन्तु सरकार की नीति क्षेत्र को बड़ा बनाने की ओर अन्त में सभी क्षेत्रों को प्राप्त करने की है परन्तु वह अवस्था नहीं आयी है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि क्षेत्रीय पद्धति के कारण विशेषत: पश्चिम बंगाल में स्थिति में सुधार हुआ है । परन्तु उड़ीसा में अत्यधिक कमी हो गयी है, जिसके फलस्वरूप सरकार को उन्हें अमरीकी गेहूं देना पड़ता है ।

†**श्री अ० म० थामस** : जहाँ तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, एक समय, उदाहरणत , पिछले वर्ष, जोन बनने के बाद, उड़ीसा जोन के बाहर बिहार और आन्ध्र प्रदेश को निर्यात के लिये कह रहा था ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यह सच नहीं है ।

†**श्री अ० म० थामस** : इस वर्ष वहाँ मूल्यों में कुछ वद्धि हुई है । उड़ीसा में उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिल रहा है । उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना भी एक कारण था जिससे भारत सरकार ने, राज्य सरकारों के परामर्श से, यह जोन बनाया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कुछ हद तक आत्म-निर्भर हो जाने के बाद, क्या अब वह स्थिति आ गयी है कि भारत को एक खाद्य क्षेत्र समझा जाये और यदि हाँ, तो क्या क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाये जा सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : हमारी इच्छा यह है कि वह स्थिति आये परन्तु मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि वह स्थिति आ गयी है ।

†**श्री हेड़ा** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि क्षेत्रों के कारण उनको कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो रही है । परन्तु क्या सरकार को पता है कि क्षेत्रों के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों में उदाहरण: हैदराबाद मराठवाडा क्षेत्र को खाद्यान्न दे रहा था सामान्य व्यापार रुक गया है और काफ़ी मात्रा में तस्कर व्यापार हो रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह क्षेत्र वर्ष १९५७ से बना हुआ है और अब यह जम गया है । आन्ध्र का फालतू खाद्यान्न क्षेत्र में कमी वाले स्थानों, उदाहरणत: मसूर और केरल को, मुख्यत: केरल को, जा रहा है । कोई विशेष कठिनाई नहीं है । आन्ध्र प्रदेश में स्थिति सामान्य है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है आन्ध्र प्रदेश में वैगन कम दिये जाने की शिकायतें हैं और यदि हाँ, तो क्या इस मामले पर रेलवे मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय में कोई समन्वय है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहाँ तक सम्भव हो हम 'क्रास परिवहन' को रोकना चाहते हैं । इस कारण भी ज़ोन बनाये गये हैं । ज़ोन के अन्दर भी परिवहन के लिये वैगन लेने में कुछ कठिनाई है । उदाहरणत: आन्ध्र प्रदेश से चावल ले जाने के लिये वैगन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई है और व्यापारी और कृषक शिकायतें कर रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : विभिन्न क्षेत्रों में चावल के मूल्यों में क्या अन्तर है ?

†**श्री अ० म० थामस** : अब उतना अन्तर नहीं है जितना कि तब था जब कि प्रत्येक राज्य एक ज़ोन था । अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है । आन्ध्र में और महाराष्ट्र और गुजरात में मूल्यों में कुछ अन्तर है । परन्तु इतना अन्तर नहीं है जितना ज़ोन बढ़ाने से पहले था ।

श्री बड़े: जोंज में भी, जैसे मध्य भारत का जोन है, ग्रेन कंट्रोल आर्डर लगा कर के रेस्ट्रिक्शंज़ लगाये जाते है जिससे कि ब्लैक-मार्किटिंग और बढ़ जाता है तथा अनाज के भाव कम हो जाते है जिससे काश्तकार को वह भाव मिलता नहीं जो मिलना चाहिये, क्या यह सत्य है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात वाले संशोधित क्षेत्र का सम्बन्ध है, इन राज्यों के खाद्य मंत्री कभी कभी मिलते है और स्थिति पर विचारविमर्श करते है और वे प्रत्येक राज्य में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे है । मध्य प्रदेश से परिवहन के बारे में भी कुछ कठिनाई है परन्तु मैं नहीं समझता कि यह आरोप ठीक है कि वहां चोर-बाजारी हो रही है ।

डा० मा० श्री अणे : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि क्षेत्रीय पद्धति के कारण इन वस्तुओं के मूल्य में अधिक अन्तर नहीं है । ऐसा कहने में उनका तात्पर्य जोन के विभिन्न क्षेत्रों में चालू थोक मूल्य से है या खुदरा मूल्य से ? क्या उनका यह कहना है कि खुदरा मूल्यों में कोई अन्तर नहीं है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमारे पास थोक मूल्य के आंकड़े है । खुदरा मूल्य और थोक मूल्य में कुछ अन्तर अवश्य है । परिवहन शुल्क, खुदरा व्यापारी को लाभ आदि पर भी ध्यान देना होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : ज़ोन बनाने से किसानों को फ्री कम्पीटीटिव मार्किट में उचित कीमत पाने से क्या रोका नहीं जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। वर्ष १९६०–६१ में ३३७ लाख टन चावल का उत्पादन हुआ। पहले वर्ष यह केवल ३१० लाख टन था। अतः पिछले वर्ष पहले वर्ष की अपेक्षा लगभग २६ लाख टन अधिक उत्पादन हुआ। यदि वर्ष १९६०–६१ में उत्पादन अधिक होता, तो शायद हम इन सब प्रतिबन्धों को हाटाने और देश को एक क्षेत्र बनाने के बारे में विचार करते।

†**श्री विभूति मिश्र** : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह किसी और समय देंगे।

†**श्री अ० म० थामस** : हमारी नीति यह है कि किसानों को उचित मूल्य मिले और उपभोक्ता उचित मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकें और इसी कारण हमने क्षेत्र को बड़ा बनाया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या वास्तविक उत्पादक को उस उचित मूल्य प्राप्त करने से, जो उसे अन्यथा मिलता, वंचित नहीं किया जा रहा है ?

श्री स० का० पाटिल : वह बात सही है। ऐसा होता ही है। लेकिन जब ऐसी पोज़ीशन हो जायेगी, जब हमारे पास काफी चावल हो जाएगा तो ज़ोंज़ निकल जायेंगे और वह चीज़ काश्तकार और किसान के लिए अच्छी होगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मंत्री महोदय ने बताया कि ज़ोन को समाप्त करने से वैगनों का 'क्रास परिवहन' होगा और बाकी मात्रा में वैगनों की आवश्यकता होगी। चावल क्षेत्र समाप्त कर देने से कितने अतिरिक्त वैगनों की आवश्यकता होगी और गेहूं क्षेत्र समाप्त करने के कारण कितने अतिरिक्त वैगन लगाये गये है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं समझता हूं कि जो कुछ मेरे माननीय साथी ने कहा, वह यह है कि किसी विशेष किस्म के चावल अथवा विशेष किस्म के गेहूं की सदैव मांग रहती है और यदि भारत में सभी व्यक्ति वही चावल या गेहूं चाहें तो बाज दफा यह 'क्रास परिवहन' नहीं भी हो सकता। यह कहना कठिन है कि किस हद तक यह किया गया है कि इस प्रकार के 'क्रास परिवहन' के कोई आंकड़े नहीं रखे गये है। कठिनाई केवल चावल के बारे में है क्योंकि केवल चावल के लिये ज़ोन है और गेहूं के लिये नहीं। यदि हमारी इतनी अच्छी स्थिति हो कि हम यह कह सकें, चाहे कुछ हो—कोई बात नहीं, हमारे पास काफी चावल है तो इसको हम कल ही समाप्त कर सकते है। हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे है और हमें आशा है कि बहुत शीघ्र ही हम यह उद्देश्य प्राप्त कर सकेंगे।

नागपुर टाटा नगर पसेंजर ट्रेन का पटरी से उतरना

+

†४४३. **श्री सुबोध हंसदा** :
डा० पू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमहारी रेल दुर्घटना की, जिसमें दक्षिण रेलवे की ३२२ डाउन नागपुर-टाटानगर पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी, कोई जांच की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जांच किसने की ; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) कलकत्ता स्थित अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा आयुक्त ।

(ग) अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा आयुक्त की अस्थाई उपपत्तियों के अनुसार गाड़ी भयंकर तूफान के कारण पटरी से उतरी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : जांच दुर्घटना के तत्काल बाद की गई अथवा दुर्घटना के बाद की गई ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : एक या दो दिन के भीतर ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने बताया कि भारी तूफान के कारण यह दुर्घटना हुई । क्या पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई या पहले भी ऐसी घटनायें हुई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : बड़ी लाइन पर यह प्रथम घटना है ।

कुछ मानीय सदस्य उठे——

†**अध्यक्ष महोदय** : अनेक दुर्घटनायें होती है । अगला प्रश्न ।

प्रादेशिक वन अनुसन्धान संस्था

+

†*४४६. **श्री स० च० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० त्रिवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रादेशिक वन अनुसंधान संस्थायें स्थापित करने की कोई योजना है

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी संस्थायें स्थापित करने का विचार है

(ग) क्या यह योजना अन्तिम रूप से तैयार हो गयी है ; और

(घ) ये केन्द्र कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) दो ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) एक पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोहाटी में और एक केन्द्रीय क्षेत्र में जबलपुर में ।

†**श्री स० च० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि इस अनसन्धान संस्था और बंगलौर और और कोयम्टबूर में दो सहायक केन्द्र है और क्या में जान सकता हूं कि क्या वे स्थान उपयुक्त रहेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी म

†डा० राम सुभग सिंह : बंगलौर और कोयम्बटूर में केन्द्रों में काम हो रहा है और वे विभिन्न क्षेत्रों में, समान क्षेत्रों में नहीं, अनुसंधान कर रहे हैं। अतः ये दो संस्थायें आवश्यक हैं।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या जबलपुर के मामले पर भी विचार किया गया था ?

†डा० राम सुभग सिंह : जी, हां। अपने मूल उत्तर में मैंने यही कहा है एक गोहाटी में होगा और एक जबलपुर में।

डा० गोविन्द दास : जहां तक जबलपुर केन्द्र का सम्बन्ध है, क्या वह काफी बड़ा होगा, या अभी शुरू में छोटा होगा और धीरे धीरे उसको बढ़ाया जायेगा ?

†डा० राम सुभग सिंह : उस की स्थापना पर २४ लाख ६ हज़ार रुपया खर्च किया जायेगा, और वहां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उनके इलाके के अन्य स्थानों के वन उत्पादन पदार्थों के बारे में जांच होगी।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या इन दो स्थानों पर केन्द्र बनाने का निर्णय सरकार का पृथक निर्णय है या उनके दिमाग में कोई बड़ी योजना है ?

†डा० राम सुभग सिंह : सरकार के प्रथम निर्णय जैसी कोई बात नहीं है। सारी बात पर केन्द्रीय वन बोर्ड और राज्य मंत्रियों द्वारा अच्छी तरह विचार किया गया है और फिर निर्णय किया गया है।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : ये अनुसंधान संस्थायें स्थापित करने के बाद भी, बड़ी मात्रा में वन इस अनुसंधान में नहीं आ सकेगा और वह जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्र है जहां सर्वोत्तम हिमालियाई फर पैदा होती है जिसके बारे में वर्ष १९५५ में केन्द्रीय वन बोर्ड ने वहां एक संस्था स्थापित करने का निर्णय किया था। क्या उस पर विचार किया जायेगा ?

†डा० राम सुभग सिंह : अभी तक तृतीय योजना में गोहाटी में और जबलपुर में संस्था खोलने का निर्णय किया गया है। जम्मू तथा काश्मीर के मामले पर अथवा किसी अन्य मामले पर चौथी योजना में विचार किया जा सकता है। परन्तु मैं यह बात बता दूं कि देहरादून अनुसंधान संस्था जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

†अध्यक्ष महोदय : श्री भक्त दर्शन।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : जम्मू तथा काश्मीर के बारे में कुछ तो करना ही पड़ेगा .....

†अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री भक्त दर्शन का नाम पुकारा है।

†डा० राम सुभग सिंह : हम जम्मू तथा काश्मीर की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

†अध्यक्ष महोदय : जब मैंने प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है तब भी मंत्री महोदय उत्तर दे रहे है। श्री भक्त दर्शन।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो नये गवेषणा कार्यालय खोले जा रहे है, वह जो देहरादून की वन अनुसंधान संस्था है उसकी शाखा के रूप में होगा या स्वतंत्र रूप से कायम होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : उसकी शाखा के रूप में सब-स्टेशन होगा ।

श्री बड़े : देहरादून में जो रिसर्च होती है वह इस बारे में होती है कि फारेस्ट किस प्रकार के होने चाहियें । जबलपुर में जो इन्स्टिट्यूट खुलने जा रहा है उसमें क्या इस पर विचार होने वाला है कि फारेस्ट्स जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनसे कौन कौन से उद्योग खोले जा सकते है ?

डा० राम सुभग सिंह : जबलपुर में एक सेंट्रल रिसर्च आफिस होगा डाइरेक्शन ऐंड कंट्रोल का । वहां पर जंगलों के बारे में, सेल्वीकल्चर के बारे में, स्वायल साइंस के बारे में, टिम्बर यूटिलाइजेशन और फारेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में, रिसर्च होगी ।

स्थानीय शासन सेवा

†*४४७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्थानीय शासन सेवा बनाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) मोटे-मोटे सिद्धान्त नीचे दिये जाते हैं :—

१. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों की श्रेणियां बनाई जानी चाहिएं और सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रणाधीन किए जाने चाहिएं ।

२. भरती तथा अनुशासनिक नियंत्रण के मामले स्वतंत्र बोर्डों अथवा आयोगों द्वारा निबटाये जाने चाहिएं ।

३. प्रत्येक वर्ग में पदोन्नति के लिए निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पदोन्नति की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे दक्षतापूर्वक कार्य के लिए प्रोत्साहन रहे ।

परन्तु जिन राज्यों में पंचायती राज लागू है वह विभिन्न प्रक्रिया अपना रहे हैं । सामान्य क्रियान्विति में उपयुक्त में ढांचे के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब राज्यों की विभिन्न प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो जायेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इस प्रस्ताव के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के विचार जान लिये गये हैं ?

†**श्री श्याम धर मिश्र :** इस प्रश्न को विकास आयुक्तों के सम्मेलन के सामने पेश कर दिया गया था । उन्होंने इस पर विचार कर लिया है और अपने विचार जाहिर कर दिये हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या किसी राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों के लिये स्थानीय सरकारी सेवा बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार करते के बारे में अपने विचार बता दिये हैं ?

†**श्री श्याम धर मिश्र :** विकास आयुक्तों के सम्मेलन में यह राय जाहिर की गई थी कि यह पंचायती राज संस्थायें विकासवान संस्थायें हैं और संस्थाओं को अनुभव हो जाने के बाद इन वर्गों का अध्ययन किया जायेगा और तब प्रणाली बनाई जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पें० वेंकटासुब्बय्या** : वर्तमान प्रणाली के अधीन पंचायती राज अधिकारी विभिन्न राज्य विभागों से लिये जायेंगे । यदि सरकार का विचार पंचायती राज्य का अलग वर्ग बनाने का होगा तो क्या यह दोहरा काम नहीं हो जायेगा जिसँ के कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना होगा ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : इस समय अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रणाली है । उदाहरणत: आन्ध्र राज्य को लीजिये —वहां पर राज्य वर्ग, जिला वर्ग तथा ब्लाक वर्ग तीन वर्ग हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या काम दोहरा हो जायेंगा अथवा नहीं ।

†**श्री श्यामधर मिश्र** : दोहरा काम नहीं होगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जब तक हम पंचायती राज का अलग वर्ग बनाते हैं तब तक पंचायती राज प्रशासन के लिये राज्य सेवाओं से अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्री (श्री सु० कु० डे)** : यह विचार है कि पंचायत समितियों में विस्तार अधिकारी तथा ब्लाक अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारियों केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये नया वर्ग बनाया जायेगा और यह जिला स्तर अथवा ब्लाक स्तर पर होगा । दोहरा हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

†**श्री सोनावन** : क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि पंचायतों के वह सदस्य तथा समिति के सभापति और ज़िला प्रमुख जो निरक्षर हैं उन को पंचायती राज का प्रशासन सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रशिक्षण दिया जाये ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : ऐसा किया जा रहा है । ज़िला परिषदों तथा ब्लाक समितियों के सदस्यों को तथा उन के कार्यकर्ताओं को दलों तथा संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

†**श्री काशीराम गुप्त** : पंचायत समितियों के लिये जो गांवों में सरविसेज़ थीं क्या उन के स्थान पर दूसरे सरविसेज़ कायम कर दी गई हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैंने इस का उत्तर पहले दिया है कि कोई काडर कायम नहीं हुआ है, लेकिन जिला परिषद लेविल पर और ब्लाक लेविल पर किसी किसी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं जो उन का चुनाव करती हैं, जहां पर नहीं है वहां स्टेट चुनाव करती है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय उपमंत्री जी ने कर्मचारियों की जो श्रेणियां बतलाईं उदाहरण स्वरूप, उन में उत्तर प्रदेश की पंचायत समितियों के मंत्रियों का जिक्र नहीं आया । जब उन को नियुक्त किया गया था तो सारा पंचायतों का काम उन के सिपुर्द किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि उन के भाग्य का क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : यदि आप अनुमति दें तो मैं उत्तर प्रदेश की पूरी स्थिति बता दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह लम्बा वक्तव्य है तो इस को सभापटल पर रखा जाये ।

†**श्री श्याम धर मिश्र** : मैं सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उत्पादन

\+

†*४४८. { श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री दाजी : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में कृषि उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों में कमियां रह गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). १९६१-६२ वर्ष के लिये ज्वार बाजरे तथा दालों के उत्पादन को अन्तिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं है । अन्य मुख्य फसलों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान दिखाने वाला एक विवरण सम्बद्ध है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]

कृषि उत्पादन को और बढ़ाने के लिये तीसरी योजना के शेष वर्षों में छोटी सिंचाई और मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने का विचार है । रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता भी प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है । पौदा संरक्षण कार्य भी किये जा रहे हैं । परन्तु भारत जैसे विशाल देश में जहां पर कृषि योग्य भूमि के १/५ भाग में ही सिंचाई की जाती है और मौसम तथा जलवायु भी कृषि उत्पादन में पर्याप्त भाग लेती है ।

श्री यशपालसिंह : क्या यह पता है कि कितने लाख टन से हम लूज़ कर रहे हैं और उस को पूरा करने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में पहले की अपेक्षा उत्पादन बढ़ा है । हां इतना है कि जो लक्ष्य था गत वर्ष ६ प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने का था वह पूरा नहीं हो पाया है, केवल १/६ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है । लेकिन १९६०-६१ की अपेक्षा १९६१-६२ में काफी उत्पादन बढ़ा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 'कृषि उत्पादन को और बढ़ाने के लिये छोटे सिंचाई और मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों का तीसरी योजना के शेष वर्षों में बढ़ाने का विचार है ।' इस के आगे उन्हों ने बताया है कि 'भारत जैसे विशाल देश में खेती योग्य भूमि के १/५ भाग में सिंचाई होती है ।' क्या इस से यह समझा जाये कि बड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा हो जाने के बाद किसानों ने उस का सिंचाई सुविधाओं के लिये पूरा उपयोग नहीं किया है और यदि हां, तो किन कारणों से किसान इन सिंचाई सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय सदस्य ने उत्तर के दूसरे पैरे की ओर ध्यान दिलाया है । परन्तु उन के प्रश्न के अन्तिम भाग का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह पूछ रहे हैं कि किन कारणों से किसान इन सिंचाई सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** बड़ी सिंचाई योजनायें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** परन्तु वह इन का पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** उत्तर से हमें यह नहीं मालूम होता है कि १९६०-६१ में वास्तव में कितनी कमी है । हम यह जानना चाहते हैं ? योजना मंत्री ने बताया है

†**अध्यक्ष महोदय :** सीधा सा प्रश्न है कि कमी बताई जाये ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** कमी को पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या तीसरी योजनावधि में हम कृषि उत्पादन के लक्ष्य पूरे कर लेंगे ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** पहले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में मैं बता चुका हूं कि १९६०-६१ की तुलना में १९६१-६२ में उत्पादन कम नहीं था । योजना मंत्री ने जो कुछ भी कहा हो परंतु यह मंत्रालय योजना लक्ष्य पूरे करायेगा ।

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) :** माननीय सदस्य के सामने पूरी तालिका है । वह इसे देख सकते हैं । जवार के अतिरिक्त, जिस में कमी बहुत कम है

†**एक माननीय सदस्य :** चावल भी ।

†**श्री स० का० पाटिल :** चावल में केवल कुछ हजार टन की कमी है । लाखों टन की नहीं । संभवतया उन का निर्देश व्यापारिक फसलों जैसे कपास आदि की ओर है जिस में जलवायु का भी प्रभाव रहता है । इसीलिये वह उत्तर पूर्ण उत्तर है ।

†**श्री दाजी :** श्रीमान प्रश्न पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कमी का नहीं है अपितु हमारे लक्ष्यों की कमी का है । प्रश्न है कि लक्ष्य क्या थे तथा मिला क्या ?

†**श्री स० का० पाटिल :** माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो मूल प्रश्न में नहीं था । दो वर्षों के उत्पादन की तुलना की गई थी । कृषि उत्पादन को प्रत्येक वर्ष नहीं देखा जाना चाहिये । कभी कभी किसी वर्ष बहुत कमी आ जाती है चार अथवा पांच वर्षों के आंकड़े देखे जाते हैं हम ने पांच वर्ष में १००० लाख टन का लक्ष्य रखा है जो ऐसा नहीं कि हम पूरा न कर पायें ।

†**श्री दाजी :** श्रीमान मैं आप का सहारा लेता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न पुनः पूछें । अनुपूरक प्रश्न यह था कि उत्पादन के हमारे लक्ष्यों में क्या कोई कमी थी ।

†**श्री मुरारका :** मुख्य प्रश्न ही यह था ।

†**श्री दाजी :** प्रश्न का यही भाव था ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** जैसा मैं ने आरम्भ में बताया था कि योजना प्राक्कलन के अनुसार उत्पादन प्रतिवर्ष ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और १९६१-६२ में उत्पादन १.६ प्रतिशत बढ़ा था । इस से स्पष्ट है कि कमी नहीं है । कमी के कारण जो श्री दाजी जानना चाहते थे वह यह है कि अधिक ठंड और मौसम ठीक नहीं था । इसीलिये कपास की फसल अच्छी नहीं हुई थी । मानसून भी ठीक समय नहीं आया था और इस का असर कुछ अन्य फसलों पर भी पड़ा था ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** उत्तर में बताया गया था कि छोटी सिंचाई योजनाओं को बढ़ाया जायेगा और रासायनिक उर्वरक उपलब्ध किये जायेंगे । क्या माननीय मंत्री यह बता सकेंगे कि लक्ष्य पूरे हो जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : मेरे वरिष्ठ साथी बता चुके हैं कि तीसरी योजना के लक्ष्य अवश्य पूरे होंगे ।

†**श्री प्र० के० देव** : कल एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि तीसरी योजना के अन्त तक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ८ लाख टन के लक्ष्य पूरे हो जाने की आशा नहीं है । क्या कृषि उत्पादन में ये कमी उर्वरक की अनुपलब्धता के कारण होगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जब हम उर्वरक का उत्पादन नहीं कर पाते हैं तो हम उसका आयात करते हैं और इसलिए इसकी कोई कठिनाई नहीं होती है । अब तक हम ऐसा करते रहे हैं और जब तक हम आत्म निर्भर नहीं हो जाते हैं तब तक ऐसा करते रहेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : लक्ष्य ६ प्रतिशत वृद्धि का था तथा उत्पादन केवल २.६ प्रतिशत बढ़ा । इतनी कमी के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो उन्होंने हमें बताया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यही तो नहीं बताया ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या केवल प्रकृति के कारण हम लक्ष्य पूरे नहीं कर पाये अथवा कोई और भी कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय कारण स्पष्ट कर चुके हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : प्रश्न था कि कमी का कारण प्रकृत्ति ही है अथवा अन्य कारण भी है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अन्य कारण भी है । खेती के जानकार जानते हैं कि मटर, मसूर और कपास ठंड से मारे जाते हैं । इसके अतिरिक्त इस वर्ष मानसून भी नहीं आया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न था कि कारण यहां थे जो माननीय मंत्री ने बताये थे अथवा अन्य कारण भी थे ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बताया कि एक क्रम है और प्रत्येक पांच वर्ष बाद कमी होती है । यह भी यह धारणा थी ।

देहाती इलाकों में अस्पताल

†*४४९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के देहाती इलाकों के अनेक अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू)** : (क) देहाती इलाकों के कुछ अस्पतालों, प्राइमरी हैल्थ सेंटरों और डिस्पेंसरियों में डाक्टर नहीं हैं ।

(ख) मांग के अनुसार डाक्टरों की कमी के अतिरिक्त सामान्यतः डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा स्वीकार करने को उत्सुक नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर सुविधायें, जैसे संचार व्यवस्था, बालकों की शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अध्ययन नहीं मिल पाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जिससे डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जायें इसके लिए राज्य सरकारों ने डाक्टरों के वेतनक्रम बढ़ा दिए हैं तथा सेवा की शर्तें जैसे १. स्वास्थ्य और नान-प्रैक्टसिंग भत्ता देना और २. रहने के लिए मकान की व्यवस्था आदि की सुविधायें दे दी हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे कई डाक्टरों को राज्य सरकारें/प्रशासनों द्वारा दी गई अथवा दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३४२/६२] देश में मेडिकल कालिजों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न स्टेटों में भिन्न भिन्न ग्रेड हैं। अभी मंत्रिणी महोदया पटना गई थीं। वहां एक स्ट्राइक था। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने गांवों के लिए खास कर बिहार सरकार को क्या सलाह दी है और अन्य स्टेटों को क्या कहा है?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, बिहार की स्ट्राइक के बारे में तो वहां का मंत्रिमंडल स्वयं ही स्वीकार करता था कि जो तनख्वाह मिल रही थी हाउस सर्जनस वगैरह को वह बहुत कम थी और यह भी मुझे बताया गया था कि श्री बाबू की मृत्यु से पहले उस को रिवाइज करने का फैसला हो चुका था। मेरी आशा है कि वह उस को रिवाइज कर लेंगे।

जहां तक अलग अलग स्टेटों में अलग अलग स्केलों का सम्बन्ध है यह सही है कि अलग अलग जगह अलग अलग स्केल मिलता है मगर कुछ ऐसा ही सारा सिलसिला चला आ रहा है। सब का एकीकरण एकदम तो सम्भव नहीं है अलबत्ता उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कन्दमूल फसल के बारे में अनुसन्धान

†*४४४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्र इम्बिचिवावा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ४ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्दमूल फसलों के बारे में अनुसन्धान को और अधिक जोरदार बनाने की योजना के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम निश्चय हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो वह निश्चय क्या है?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) जी नहीं। कन्दमूल फसलों के बारे में अनुसन्धान को और अधिक जोरदार बनाने की योजना के ब्यौरों पर भारत सरकार अभी विचार कर रही है।

नया टेलीफोन

†*४४५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्रियदर्शिनी" नामक एक नया टेलीफोन बनाया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) परंपरागत टेलीफोनों की तुलना में इसके क्या लाभ हैं ;

(ग) कितने "प्रियदर्शिनी" टेलीफोन तैयार किये जा चुके हैं और किये जाने वाले हैं ;

(घ) कितने ग्राहकों को यह नया टेलीफोन दिया गया है ; और

(ङ) "प्रियदर्शिनी" टेलीफोन देने की प्राथमिकता का आधार क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) अधिक अच्छी श्रवण विषयक कार्यक्षमता का विजली का उपकरण जिससे अधिक जो हैं से और अधिक अच्छी तरह आवाज सुनायी पड़ेगी ।

(२) एक ऐडजस्टेबल रिन्गर और रिसीवर

(३) डायल का अधिक अच्छा डिजाइन

(४) अधिक खूबसूरती

(ग) लगभग ३७०------१९६२-६३ में १५,०००---२०,००० टेलीफोन संभवतः तैयार किये जायेंगे ।

(घ) ५०

(ङ) आरंभ में, सीमित सप्लाई को देखते हुए, ये टेलीफोन लंबी लाइन वाले ग्राहकों को ही दिये जाने वाले हैं । इनमें से कुछ टेलीफोन निरीक्षण प्रयोजनों, क्षेत्रीय परीक्षण और विज्ञापन के लिए भी स्थापित किये जा रहे हैं ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

*४५०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भगवत झा आजाद :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २२ मई, २९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली व अन्य स्थानों के सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधायें देने के प्रश्न पर क्या निश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : यह विषय अभी विचाराधीन है ।

सहकारी क्षेत्र का विस्तार

†*४५१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री कोल्ला वकैया :

क्या **सामुदायिक विकास, पचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिये कार्यवाही का सुझाव देने के लिये चार कार्यकारी दल बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये दल किन विषयों पर कार्यवाही करेंगे ; और

(ग) इन दलों के विधान तथा मुख्य कृत्य क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) सरकार ने छः कार्यकारी दल बनाने का निश्चय किया है ।

(ख) (१) औद्योगिक सहकारी संस्थाएं

(२) मकान बनाने संबंधी सहकारी संस्थाएं

(३) परिवहन सहकारी संस्थाएं

(४) दुग्धशाला और पशुपालन सहकारी संस्थाएं

(५) मत्स्यपालन सहकारी संस्थाएं

(६) रेलवें, डाक-तार आदि के अधीन सहकारी संस्थाएं

(ग) कार्यकारी दलों के अस्थायी विधान और स्थूल विचारणीय विषय बनाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]**

भूमि वितरण

†*४५२. **श्री साधू राम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केवल भूमिहीन मजदूर हरिजनों की सहकारी समितियों को समस्त वितरणीय भूमि देने के बारे में राज्य सरकारों को कोई निदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति को लागू करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** :(क) राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि सहकारी कृषि समितियों को इकट्ठे भूमि खंड, दूसरी जमीनें जो संयुक्त खेती के लिए लाभदायक खंड हो सकते हैं और भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने पर प्राप्त हुई अतिरिक्त जमीनें दी जानी चाहियें ।

(ख) कई राज्य सरकारों ने भूमि देने के संबंध में सहकारी कृषि समितियों को ऊंची प्राथमिकता दी है । दूसरे राज्यों में इस विषय पर विचार हो रहा है ।

स्थायी सिन्धु आयोग

†*४५३. **श्री प्र० क० देव :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० की सिन्धु जल सन्धि के अधीन बनाये गये स्थायी सिन्धु आयोग ने काश्मीर में नदी की निरीक्षण यात्रा आरम्भ करदी है ;

(ख) क्या उक्त आयोग गिलगित और लद्दाख का दौरा कर चुका है ; और

(ग) उन की उपपत्तियों का क्या परिणाम रहा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगशन)** : (क) जी हां । आयोग ने जम्मू और कश्मीर राज्य में नदियों के कुछ हिस्सों का निरीक्षण किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) स्थायी सिन्धु आयोग ने सिन्धु जल सन्धि, १९६० के अनुच्छेद ८(४) (ग) के अधीन १२ से २६ जुलाई, १९६२ तक सिन्धु नदी की निरीक्षण यात्रा में गिलगित क्षेत्र का निरीक्षण किया था । आयोग लद्दाख नहीं गया था ।

(ग) जिन नदियों का निरीक्षण किया गया उन के संबंध में अनेक विकास तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित तथ्यों की जांच आयोग ने की है ।

नेत्र विज्ञान सम्बन्धी विश्व सम्मेलन

*४५४. **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निकट -भविष्य में उन्नीसवां नेत्र विज्ञान विश्व-सम्मेलन होने जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त नेत्र विज्ञान विश्व-सम्मेलन के लिये किस स्थान पर प्रबन्ध किये जा रहे हैं ;

(ग) सम्मेलन के व्यय के लिये कितने धन की व्यवस्था करनी होगी ; और

(घ) सम्मेलन में किन किन देशों के प्रतिनिधि होंगे ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

दिल्ली में बिजली की सप्लाई

†*४५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में घरेलू बिजली सप्लाई के लिये पंजाब की भांति मिश्रिति शुल्क (मिक्स्ड टेरिफ) लगाने का विचार है ; और

(ख) प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्राज्य मोटर लाइसेंस

†*४५६. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के बचे हुए यातायात को उठाने के लिये सड़क परिवहन संचालकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अन्तर्राष्ज्य मोटर लाइसेंस देने में उदारता करने के सम्बन्ध में कोई फैसला किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन गाड़ियों का संचालन राज्य सरकारों के परस्पर समझौतों के अनुसार विनियमित किया जाता है। प्रत्येक राज्य के लिये नियत की जाने वाली गाड़ियों की संख्या यातायात विषयक आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद निश्चित की जाती है। इन समझौतों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और यदि यातायात की दृष्टि से उचित हो तो गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी जाती है ।

२. लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय मार्गों पर माल ढोने के लिये विभिन्न परिवहन प्राधिकार फिलहाल काफी संख्या में अस्थायी पब्लिक कैरियर परमिट जारी कर रहे हैं । इस विषय पर सरकार ने विचार किया है और यह निश्चय किया है कि स्थायी रूप की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये ऐसे मार्गों के सम्बन्ध में नियमित परमिट जारी किये जायें । अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग के अध्यक्ष ने राज्य सरकारों के साथ इस विषय पर चर्चा की है और उन से प्रार्थना की है कि वे इस बारे में कि कितने अस्थायी परमिट जारी किये गये और किन किन प्रयोजनों के लिये वे जारी किये गये थे, संगत आंकड़े आयोग को दे । यह जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद आयोग रेलवे मंत्रालय के परामर्श से इस प्रश्न की छानबीन करेगा और तब राज्य सरकारों को इन मार्गों पर आवश्यक संख्या में नियमित परमिट जारी करने की सलाह दी जायगी ।

होस्पेट और मुनीराबाद शुगर फैक्टरियां

†*४५७. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होस्पेट और मुनीराबाद शुगर फैक्टरियों के प्रबन्धकों ने कितने वर्षों से रैयतों अर्थात् गन्ना उत्पादकों को बोनस नहीं दिया है ;

(ख) इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने स्वीकृत किये गये केन्द्रीय सरकार के सूत्र का उल्लंघन करने के लिये इन फैक्टरियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या यह सच है कि उपरोक्त फैक्टरियों द्वारा प्रतिवर्ष ऐसा उल्लंघन किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). ये कारखाने १९५९-६० के मौसम तक गन्ने की अतिरिक्त कीमत पहले ही अदा कर चुके हैं। बाद के मौसमों के लिये कारखानों की देनदारियों अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं। ज्यों ही वे निर्धारित की जायेंगी, त्यों ही सरकार उचित समय के अन्दर भुगतान करने के लिये आगे कार्यवाही करेगी ।

बम्बई पत्तन

†*४५८. **श्री रा० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के अतिरिक्त पत्तन अधिकारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (आई० डी० ए०) या विश्व बक से उसी प्रकार के ऋणों की प्रार्थना की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा सचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५**]

रेल टिकटों पर हिन्दी

†*४५९. { **श्री क० मे० क० कुमारन् :**
श्री कजरोलकर : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने तीसरे दर्जे के टिकटों पर यात्रा आरम्भ तथा समाप्त होने के स्थानों के नामों को अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी में छापने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अंग्रेज़ी को हटाने का क्या कारण है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६**]

संसद् भवन में स्थित दिल्ली दुग्ध केन्द्र के डिपो दूध तथा घी की बिक्री

*४६०. **श्री बागड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् भवन में स्थित दिल्ली दुग्ध केन्द्र के डिपों से घी-दूध सर्व-साधारण को देने में कोई रोक लगाई हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों तथा कर्मचारियों को घी मिलने में बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो सब को सुविधापूर्वक घी और दूध मिल सके इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग). संसद् भवन का दूध डिपो मुख्यतः संसद् सदस्यों के हित के लिये खोला गया है । परन्तु जब संसद् का अधिवेशन नहीं होता है, उस समय यह संसद सचिवालय और संसदीय विभाग के कर्मचारियों के हित के लिये खुला रहता है । क्योंकि यह एक ऐसे सुरक्षित स्थान में स्थित है, जहां पर जनता नहीं जा सकती । अतः जनता को इस डिपो से घी और दूध नहीं बेचा जाता ।

गर्मी के महीनों में दूध की कम उपलब्धि होने के कारण, दुग्ध योजना द्वारा फालतू दूध से घी बनाने की मात्रा इतनी काफी नहीं होती कि प्रत्येक व्यक्ति की मांग को पूरा किया जा सके । फिर भी संसद् सदस्यों की घी सम्बन्धी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भरसक प्रयत्न किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो योजना भवन तथा डाक और तार निदेशालय में चल रहे हैं, जोकि संसद् भवन के पास ही स्थित हैं। ये डिपो जनता और सरकारी कर्मचारी दोनों के लिये खुले हुए हैं। आशा है कि शीघ्र ही इस प्रकार का एक और डिपो नार्थ ब्लाक के द्वार पर खोला जायेगा।

पेट की बीमारियां

*४६१. **श्री उटिया:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फैली पेट की बीमारियों (एमेबिक डीसेंट्री, डायरिया, गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस, और कोलाइटिस) के निवारणार्थ कौन कौन से कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) इन बीमारियों के निवारणार्थ औषधि निर्माण की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७**]

गैर-सरकारी विमान-संचालकों को अनुसूचित मार्गों पर विमान चलाने की अनुमति

†*४६२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जैसा कि हाल में मंत्री महोदय द्वारा कहा गया बताया जाता है, क्या सरकार गैर-सरकारी विमान-संचालकों को अनुसूचित मार्गों पर विमान चलाने की अनुमति देने का विचार कर रही है; और

(ख) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)**: (क) तथा (ख). मैं अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

विमान निगम अधिनियम की धारा १८ में ३० मार्च १९६२ से संशोधन करने पर सरकार को ऐसे मार्गों पर जहां दोनों में से कोई भी निगम निश्चित विमान परिवहन सेवा की व्यवस्था नहीं कर सकता, गैर सरकारी विमान समवायों को विमान सेवा संचालित करने की अनमति देने का अधिकार मिला है।

गैर सरकारी विमान समवायों को जिन शर्तों और परिस्थितियों के अधीन ऐसी निर्धारित विमान सेवा संचालित करने दी जा सकती है, उन्हें निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में हैजा

†*४६३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको उड़ीसा के कुछ भागों में हैजे की असामान्य महामारी के बारे में समाचार मिले हैं, जिसके फलस्वरूप दो सौ से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या राज्य को आपातकालीन उपाय के रूप में कोई सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या महामारी के फैलने के कारणों की जांच कर ली गई है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उड़ीसा के बलासपुर और मयूरगंज जिलों से जुलाई, १९६२ के अन्तिम दो सप्ताहों में हैजे का रोग बढ़ जाने का समाचार मिला था।

(ख) राज्य सरकार को ब्लीचिंग पाउडर के पचास ड्रम देने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मेडीकल स्टोर्स डिपो (चिकित्सा सामान्य डिपो) मद्रास द्वारा व्यवस्था की थी।

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि जांच पड़ताल करने पर पता लगा है कि रोग का संक्रमण कलकत्ता से हुआ है।

मौसम का हाल

†*४६४. श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की हैं कि पर्याप्त समय पहले मौसम का बिल्कुल ठीक अथवा करीब करीब ठीक हाल प्रसारित किया जा सके ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : इस जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मौसम की पूर्व सूचना देने के कार्य में सुधार

मौसम की पूर्व सूचना तैयार करने का काम इस बात पर निर्भर करता है कि वैधशालाओं का एक जाल बिछा हुआ हो जिससे ऋतु सम्बन्धी तथ्य प्राप्त होते रहें और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूर्व सूचना प्रसारित करने वाले कार्यालयों को भेजा जाये। भूमि-तल ऊपर के वायु जल और राडर की वैध शालाओं का एक जाल धीरे धीरे बिछाया जा रहा है। ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं कि विभिन्न वैधशालाओं से तथा न्यूनतम विलम्ब से पूर्व सूचना कार्यालयों को भेज दिये जायें। बेतार के तार द्वारा विदेशों से ऋतु सम्बन्धी तथ्य प्राप्त करने के लिए भी प्रबंध किये जा रहे हैं। ऋतु की पूर्व सूचना देने के उपायों में निरंतर अनुसंधान द्वारा सुधार करने के विचार से नये अनुसंधान केन्द्र जैसे कि उत्तर गोलार्ध विश्लेषण केन्द्र और उष्णकटबंधीय ऋतु संस्था स्थापित किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं।

ऋतु प्रसारण में सुधार : निरंतर ये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि ऋतु सम्बन्धी सूचना प्रसारण के लिए यथासंभव पहले से आकाशवाणी को दे दी जाये। देश भर में दोपहर के प्रसारण में सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रतिकूल ऋतु सम्बन्धी चेतावनियां अब आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से निर्धारित समय पर प्रसारित की जाती हैं। देश में आकाशवाणी के १२ महत्वपूर्ण केन्द्रों से स्थानीय ऋतु सम्बन्धी पूर्व सूचनाएं जो पहले दिन भर में ३ या ४ बार प्रसारित की जाती थी, अब बढ़ा कर १२ बार कर दी गई हैं।

अतिरिक्त जहाजों का अर्जन

†*४६५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग और परिवहन मंत्रालय अतिरिक्त जहाजों के अर्जन के लिये सहमत हो गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). हां श्रीमान्। यह सहमति दे दी गई है कि तीसरी योजना में भारतीय नौवहन के ठोस लक्ष्य को ३७५,००० जी० आर० टी० से बढा कर ५५०,००० जी० आर० टी करने के हेतु १७५,००० जी० आर टी० तक जहाजों का और अधिग्रहण किया जाये ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्त स्थान

†*४६६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे में विशेषतः पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवाओं में रक्षित विभिन्न श्रेणियों के रिक्त स्थानों की कमी को पूरा करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसे किस प्रकार पूरा किया जा रहा है ; और

(ग) यह कमी अनुपाततः बढ़ गई है अथवा घट गई है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री स० व० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). महा प्रबंधकों को विशेष अधिकार दे कर और सम्बंधित क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जाति सम्बंधित संगठनों से सम्पर्क पैदा कर के ताकि वे उपयुक्त उम्मीदवार दे सकें रक्षित रिक्तियों की कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं । जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जन संख्या अधिक है वहां रेलवे निरीक्षक भी नियुक्त किये गये हैं ताकि उपयुक्त उम्मीदवारों को आकर्षित किया जा सके ।

(ग) सिवाय कतिपय प्रविधिक श्रेणियों की अन्य सभी श्रेणियों में उच्च रिक्तियों की कमी उसी अनुपात में घट गई है ।

रूस से बिजली उत्पन्न करने के यन्त्रों का सम्भरण

†*४६८. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री मुरारका :
श्री का० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री उमानाथ :
श्री म० क० कुमारन् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ४ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिजली के यंत्रों का संभरण करने की तिथियों को और आगे लाने के बारे में रूस की सरकार से बातचीत का कोई परिणाम निकला है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना के लक्ष्यों में क्या कमी रहेगी ;

(ग) क्या रूसी आर्थिक परामर्शदाता के मास्को के दौरे के बाद कोई उत्साहजनक परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या यंत्रों की सप्लाई तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जायेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो वह पूर्णतः कब तक मिल जायेंगे और लक्ष्यों में कमियों को पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं तथा उनमें हमें कितनी सफलता मिली है ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ङ). रूस द्वारा तापीय शक्ति केन्द्रों के लिए संयंत्र और उपकरण दिये जाने की तारीखें बढ़ाने के प्रश्न पर रूस की विदेशी आर्थिक सम्बन्धी मंत्रि परिषद् की राज्य समिति के सहायक उप-सभापति के साथ उनके २७ जुलाई, १९६२ के दिल्ली आगमन के समय चर्चा हुई थी। वे इस बात से सहमत हो गये हैं कि विचाराधीन सभी प्रजनन केन्द्रों के संभरण की व्यवस्था, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कर दी जायेगी किन्तु पथराटू के लिए १०० मेगावाट के एक केन्द्र के उपकरण १९६७ के पहले तीन मास में दिये जायेंगे। इस कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य में केवल ५० मेगावाट की कमी होगी।

अमरीका से डीजल इंजन

†*४६९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से मिलने वाले ४७ इंजनों में से छः इंजनों की पहली खेप भारतीय रेलों को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनको किस प्रकार काम में लाया जायेगा ; और

(ग) इन ४७ इंजनों में से शेष इंजन उत्तर रेलवे को कब तक मिल जाने की आशा है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्राथमिक जांच और परीक्षण के बाद उन्हें अगस्त, १९६२ के प्रायः अन्त में उन्हें मुगलसराय और रोज़ा के बीच माल गाड़ियों के लिए प्रयोग किया जायेगा।

(ग) सितम्बर और नवम्बर, १९६२ के बीच।

वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले अधिकारी

†*४७०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्यूटी के समय किन श्रेणियों के रेलवे अधिकारियों को वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने का अधिकार है ;

(ख) अधिकारियों की ऐसी कौन कौन सी श्रेणियां हैं जिनको पहले दर्जे के पास मिलते हैं तथा जो किराये के अन्तर का भुगतान कर के वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं ; और

(ग) वातानुकूलित दर्जे तथा पहले दर्जे के किराये के बीच कितना अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वाम्री) : (क) से (ग). प्रशासनिक दर्जे के गजेटेड रेलवे अधिकारियों को सरकारी काम पर वातानुकूलित डिब्बे में मुफ्त यात्रा करने का अधिकार है और अन्य सभी गजेटेड रेलवे अधिकारी वातानुकूलित डिब्बे और प्रथम श्रेणी के डिब्बे के किरायों के अन्तर का एक तिहाई दे कर उनमें यात्रा कर सकते हैं ।

स्कूल स्वास्थ्य समिति

†*४७१. **श्री डी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने स्कूल स्वास्थ्य समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तथा (ख). स्कूल स्वास्थ्य समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

पटसन का उत्पादन

†*४७२. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग ने ऐसे नये न्यासर्ग[1] की खोज की है जिसको पटसन के पौधे पर लगा देने से पटसन का उत्पादन लगभग ५० प्रतिशत बढ़ जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस न्यासर्ग का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिये तथा पटसन उत्पादकों में उसका प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) तथा (ख). कलकत्ता विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग ने ऐसे न्यासर्ग की खोज का दावा किया है जिसे पटसन* के पौधे पर प्रयोग करने से उसका उत्पादन बढ़ जायेगा । यह काम अभी प्रयोगात्मक स्तर पर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]हारमोन

रात्रि विमान सेवा

†*४७३. श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन रात्रि विमान सेवा का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि रात्रि विमान डाक सेवा का भी पुनर्गठन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक चालू हो जायेगी ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) रात्रि विमान सेवा की वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत नागपुर के जंक्शन को अत्यधिक हानि हो सकती है क्योंकि एक क्षेत्र में विलम्ब का अन्य तीनों क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। नयी पद्धति द्वारा यह व्यवधान समाप्त हो जायेगा और साथ ही दिल्ली-बम्बई, बम्बई-मद्रास, मद्रास-कलकत्ता और कलकत्ता-दिल्ली के बीच सीधा सम्पर्क हो जायेगा।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) १ अक्तूबर, १९६२ से ।

रिटायरमेंट पास

†*४७४. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी अधिकारी/अधीनस्थ कर्मचारी को कितने समय की सेवा के बाद रिटायरमेंट पास मिलता है ; और

(ख) क्या यह रियायत उन रेलवे अधिकारियों को भी मिल जाती है जो दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्त हैं या प्रतिनियुक्ति के दौरान उन विभागों में स्थाई हो गये हैं ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]

---

†मूल अंग्रेजी में

'नर्सिंग होम का शुल्क

†१०९०. श्री विश्वनाथ राय : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन अस्पतालों का प्रबन्ध किया जाता है उनके नर्सिंग होम के अत्यधिक खर्च को ध्यान में रखते हुए क्या नर्सिंग होम के शुल्क की दरें कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्यान्विति कब आरम्भ होने की आशा है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दरें कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) ज्योंही इस सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा ।

खाद्य उत्पादन

†१०९१. श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो खाद्यान्न के उत्पादन में काफी वृद्धि बताई जाती है उस में से कितनी वर्ष प्रति वर्ष होने वाली जनसंख्या की वृद्धि से पूरी हो जायेगी ; और

(ख) इन परिस्थितियों में देश कितनी जल्दी और किस ढंग से खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा ।

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) पहली दो योजनाओं में खाद्यान्न के उत्पादन में ३५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी जिसमें से २१.४ प्रतिशत वृद्धि जनसंख्या बढ़ जाने के कारण समाप्त हो गई ।

(ख) पांच वर्ष की कालावधि में जनसंख्या में १२.३ प्रतिशत वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए १००० लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष रखा गया है और १९६०–६१ में प्रति व्यक्ति जो १६.० आउंस खाद्यान्न उपलब्ध होता है वह बढ़ कर १९६५–६६ में १७.५ आउंस हो जायेगा । आशा की जाती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति पर देश संभवतः योजना के अन्त में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

तटीय नौवहन

†१०९५. श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के तट के साथ साथ सामान ले जाने वाले ऐसे कितने टन भार जहाज हैं जिनके मालिक और नियंत्रक भारतीय हैं ; और

(ख) क्या गत दो योजनाओं की अवधि में इन जहाजों का टन भार बढ़ाने से बढ़ते हुए व्यापार का कार्य संभाला जा सका है ?

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३४०,७४५ जी० आर० टी० ।

(ख) १९६१ के आरम्भ तक तट पर परिवहन का सारा सामान ले जाने में भारतीय जहाज समर्थ थे। किन्तु अप्रैल, १९६१ में सरकार द्वारा यह निर्णय करने पर कि प्रतिवर्ष १० लाख टन और कोयला समुद्र मार्ग द्वारा ले जाने उपलब्ध जहाज अतिरिक्त सामान के यातायात के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तटीय नौवहन के विस्तार के लिए सब संभव उपायों की खोज की जा रही है यद्यपि विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन परिस्थिति में यह काम कठिन है ।

"डी" श्रेणी के रेल फाटकों का दर्जा ऊंचा करना

†१०९३. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या रेलवे मंत्री २४ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि 'डी श्रेणी के फाटकों को सामान्य फाटकों का दर्जा दिया जाये जिन पर बैलगाड़ी आदि आ जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : यद्यपि 'डी' श्रेणी के फाटकों को सामान्य फाटकों में परिणित करने के लिए खर्च सहने के लिए राजस्थान सरकार सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है किन्तु अभी तक उनसे कोई विशेष प्रस्तावनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं कि कहां कहां 'डी' श्रेणी के फाटकों को तुरन्त सामान्य फाटकों में परिणत करना है।

(ख) उत्तर रेलवे प्रशासन ने राज्य सरकार से ये विवरण देने की प्रार्थना की है ।

त्रिपुरा भूराजस्व और भूमि सुधार अधिनियम

†१०९४. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा भूराजस्व और भूमि सुधार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में माध्यमकों को कोई क्षतिपूर्ति दी है ;

(ख) यदि हां, यह क्षति किन्हें मिलेगी ; और

(ग) क्या प्रमाणीकरण होने से पूर्व ऐसा भुगतान कर दिया जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) स्वर्गीय रामानी मोहन धर की पत्नी श्रीमती अमृत बाला धर गांव कतलुत्तमा कमलपुर

(ग) स्वर्गीय राजनी मोहन धर की पत्नी श्रीमती कनक प्रभाधर गांव कतलुत्तमा, कमलपुर ।

(३) स्वर्गीय जामिनी मोहन धर की पत्नी श्रीमती सुबाला धर ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में बन्दरों का उत्पात

†१०९५. श्री हेम राज : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्दर पकड़ने वाले विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने और आवश्यक उपकरण प्राप्त करने में नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने क्या प्रगति की है ;

(ख) समिति अपना काम कब आरम्भ करने का विचार रखती है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तथा (ख). नई दिल्ली नगरपालिका समिति अत्यधिक खोज करने पर भी बन्दरों के पकड़ने वाले विशेषज्ञों को जिन के पास आवश्यक सामान भी हो, ढूंढ़ नहीं सकी। इस समय बन्दरों के उत्पात सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिए कुत्ते मारने वाली समिति काम करती है जो हवा में गोली चला कर बन्दरों को डराती है।

त्रिपुरा के कृषकों का ऋणी होना

†१०९६. श्री दशरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कृषकों में प्रति व्यक्ति कितना ऋण भार है ?

(ख) उसकी तुलना में पश्चिम बंगाल और असम के कृषकों का प्रति व्यक्ति ऋण कितना है ; और

(ग) कृषकों का ऋण भार कम करने के लिये क्या कदम उठाये जाने है ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) (१) पीड़ित कृषकों को छोटे ऋण देना ।

(२) पीड़ित क्षेत्रों में प्रयोगात्मक सहायता कार्य।

(३) तूफान और बाढ़ों से पीड़ित लोगों को सहायता और ऋण ।

त्रिपुरा में टेलीफोन एक्सचेंज

†१०९७. { श्री दशरथ देव :
श्री वीरेन दत्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ राज्य के बेलोनिया नगर में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्ताव कब कार्यान्वित होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख). प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और अभी मंजूरी नहीं दी गई ।

त्रिपुरा में बिजली सम्भरण

†१०९८. श्री दशरथ देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ राज्य के बेलोनिया, सरमरे, अमरपुर और कमलपुर नगरों में बिजली संभरण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करना आरम्भ किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). यह प्रस्ताव है कि विचाराधीन नगरों में पास के प्रजनन केन्द्रों से बिजली पहुंचाई जाये । आवश्यक प्रेषण लाइनों और उपकेन्द्रों का निर्माण, चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने का अनुमान है ।

त्रिपुरा के गांवों में जल सम्भरण

†१०९९. श्री दशरथ देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली संभरण के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या इस योजना की क्रियान्विति आरम्भ की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसे कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) हां श्रीमान ।

(ख) ५० प्रतिशत अंशदान के आधार पर ग्राम जल संभरण योजना ।

(ग) हां श्रीमान ।

(घ) १९६१–६२ में २७० नलकूप लगाने का प्रस्ताव था । प्रायः ५० प्रतिशत काम पूरा हो गया है ।

टेलीफोन एक्सचेंज, कोनी

†११००. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोनी (केरल) के निवासियों से कोई अभ्यावेदन मिला है कि कोनी में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जाये ; और

(ख) क्या इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि कोनी केरल के बागान उद्योगों के अत्यंत महत्व-पूर्ण केन्द्रों में से एक है और बागान उत्पादन का निर्यात बढ़ाने के हाल के आंदोलन के कारण भी, सरकार निकट भविष्य में कोनी में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के भीतर सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तर खोलने की आशा है। सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तर खुल जाने के बाद यदि टेलीफोन कनेक्शनों की पर्याप्त मांग हुई तो एक्सचेंज खोलने के बारे में विचार किया जायेगा।

बैरगनिया में टेलीफोन कनेक्शन

†११०१. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मुजफ्फरपुर जिले (बैरगनिया नगर) में टेलीफोन लगवाने के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हैं और क्यों ;

(ख) कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे ; और

(ग) किसी सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तर को टेलीफोन एक्सचेंज में परिणत करने के लिए क्या शर्तें पूरी होनी चाहियें ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती): (क) २४ प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं ; जिन में १३ प्रार्थनापत्र वे हैं जो १३-८-६२ को प्राप्त हुए थे।

(ख) प्रविधिक दृष्टि से ग्यारह अतिरिक्त एक्सटेंशन दिये जा सकते हैं। इन के लिए जो शुल्क देने के लिये कहा गया है उस के भुगतान पर और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने पर अतिरिक्त एक्सटेंशन दे दिये जायेंगे।

(ग) सामान्यतः जब एक्सटेंशनों की संख्या २० से अधिक हो जाये और यदि लम्बी ट्रंक लाइन में लगानी पड़े तो एक्सचेंज की स्थापना की जाती है। प्रत्येक ऐसे मामले की जांच उस के लाभ की दृष्टि से की जाती है।

सहकारी विधियां

†११०२. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प के अनुसरण में, अब तक सहकारी विधियों में संशोधन किये हैं ;

(ख) विभिन्न राज्यों की सहकारी विधियों में किये गये संशोधनों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) ये संशोधन राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प की भावना के कहां तक अनुकूल हैं ;

(घ) किसी राज्य में अभी तक राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प के अनुसार व्यय नहीं किया ; और

(ङ) संकल्प के कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, गुजरात और जम्मू और काश्मीर।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संशोधनों की मुख्य मुख्य बातें संलग्न विवरण में बताई गई हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]।

(ग) नये सहकारी अधिनियमों में किये गये परिवर्तन जो कि अनुबंध १ में बताये गये हैं राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प की भावना के अनुकूल हैं। किन्तु इन अधिनियमों के कुछ उपबन्ध राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प की भावना के प्रतिकूल भी हैं। वे उपबंध संलग्न विवरण में बताये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]।

(घ) आंध्र प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा के राज्यों ने सहकार सम्बन्धी विधेयकों के प्रारूप तैयार किये हैं जिन्हें अन्तिम रूप देने का कार्य विभिन्न दौरों में है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और केरल अपने विधेयकों के प्रारूप तैयार कर रहे हैं। मैसूर राज्य ने अपने सहकार अधिनियम राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प से पहले पारित कर दिया था।

(ङ) जिन राज्यों ने पहले ही नयी विधियां बना ली हैं जिन में कुछ प्रतिबन्धात्मक बातें हैं उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी विधियों में संशोधन करें और ऐसे प्रतिबंधात्मक उपबंधों का लोप कर दें। जिन राज्यों में विधेयकों के प्रारूप तैयार किये गये हैं उन के विधेयकों की जांच की गई है और मंत्रालय की टिप्पणियां सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए भेजदी गई हैं। जिन राज्यों ने अपनी सहकारी विधियों के संशोधित करने में कोई प्रगति नहीं की उन्हें कहा गया है कि वे शीघ्र अपने सहकारी अधिनियम संशोधित करें और उन के प्रतिबन्धात्मक उपबन्धों को दूर करें। इस प्रश्न पर वर्ष १९६० और १९६१ में हुए राज्यों के सहकार मंत्रियों के सम्मेलनों में भी विचार किया गया था।

डाकखानों को ऊंची श्रेणी का बनाना

†११०३. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बरहरवा अथवा ढांग के विभागातिरिक्त शाखा डाकखानों को उप-डाकखाना बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो मामला किस स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त डाकखानों को उच्च श्रेणी का बनाने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग). प्रस्तावों पर विचार किया गया था परन्तु औचित्य न होने के कारण रद्द कर दिया गया। इस पर पुनः विचार किया जा रहा है।

कानपुर सेण्ट्रल स्टेशन पर रोकी गई गाड़ियां

११०४. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ की ओर से कानपुर आने वाली गाड़ियां कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन के सिगनलों पर पिछले छै महीने में कितने प्रतिशत रुकीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह रुकना कितना सिगनल न मिलने के कारण तथा कितना जंजीर खींचने पर रोकने के कारण हुआ ;

(ग) क्या गाड़ी के प्रायः यहां रुकने से यात्रियों को असुविधा नहीं होती क्योंकि प्रायः आगे जाने वाले यात्रियों की गाड़ी कानपुर स्टेशन से छूट जाती है ; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पिछले ६ महीनों में, अर्थात् फरवरी से जुलाई, १९६२ तक लखनऊ से आने वाली ८.६ प्रतिशत गाड़ियां कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिगनलों के बाहर रोकी गयीं।

(ख) ९४ गाड़ियां सिगनल न मिलने और १८ गाड़ियां जंजीर खींचने के कारण रोकी गयीं।

(ग) लखनऊ की ओर से आने वाली गाड़ियों के कानपुर पहुंचने और कानपुर से आगे जाने वाली मुख्य लाइन की मेल गाड़ियों के छूटने के समय में काफी गुंजायश रहती है। इसलिये लखनऊ की ओर से गाड़ियों के देर से आने या सिगनलों के बाहर उनके रुक जाने के कारण मेल लेने वाली गाड़ियों के छूट जाने के बहुत कम मौके आते हैं।

(घ) कानपुर स्टेशन पर सिगनलों के बाहर गाड़ियां न रुकें इसके लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। नं० ३ एल० सी० सवारी गाड़ी में जंजीर खींचने की घटनाएं बहुत अधिक होने के कारण ५-७-६२ से इसमें लगी खतरे की जंजीर को कार कर दिया गया है। दूसरी गाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं की रोक-थाम के लिये स्पेशल टिकट-परीक्षकों का एक स्पेशल दस्ता तैनात किया गया है।

गाड़ियों का देर से पहुंचना

†११०५. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में मुगलसराय से लखनऊ होती हुई कानपुर जाने वाली आई० एम० एल० सी० सवारी गाड़ी कितनी बार लखनऊ व कितनी बार कानपुर देर से पहुंची; और

(ख) इस अक्सर होने वाली देरी का कारण क्या है ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पिछले ६ महीनों में, अर्थात फरवरी से जुलाई १९६२ तक नं० १ एम० एल० सी० सवारी गाड़ी लखनऊ में ६१ बार और कानपुर में १११ बार देर से पहुंची।

(ख) इस गाड़ी के देर से चलने के मुख्यतः दो कारण हैं, ख़तरे की जंजीर का खींचा जाना और दूसरी गाड़ियों के देर से चलने के कारण निर्धारित स्थान पर गाड़ियों का क्रासिंग न होना।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों का देर से चलना

११०६. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की बालामऊ-कानपुर के बीच चलने वाली गाड़ी पिछले छै महीने में कितनी बार कानपुर और बालामऊ से निर्धारित समय से देरी से चली तथा देरी से पहुंची; और

(ख) इसके क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पिछले ६ महीनों में अर्थात् फरवरी से जुलाई, १९६२ तक बालामऊ और कानपुर के बीच चलने वाली नं० १ बी० सी० २ बी० सी०, ३ बी० सी० और ४ बी० सी० सवारी गाड़ियां जितनी बार बालामऊ और कानपुर स्टेशनों से देर से चलीं और देर से पहुंची उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

	कितनी बार देर से चलीं	जितनी बार देर से पहुंची
	बालामऊ से	**कानपुर में**
१	बी० सी० ११	६०
३	बी० सी० ५१	४८
	कानपुर से	**बालामऊ में**
२	बी० सी० ५३	४३
४	बी० सी० ५६	६१

(ख) १ बी० सी० सवारी गाड़ी बालामऊ से आम तौर पर ठीक समय पर छूटती रही। यह गाड़ी बहुत कम बार देर से रवाना हुई। नं० ३ बी० सी० सवारी गाड़ी बालामऊ से देर से छूटती रही। जब ३७६ डाउन दिल्ली-इलाहाबाद सवारी गाड़ी देर से आती थी, तो अधिकतर उसका मेल लेने के लिये नं० ३ बी० सी० सवारी गाड़ी देर से छूटती रही। नं० २ बी० सी० और ४ बी० सी० सवारी गाड़ियां ठीक समय पर छूटें, इसके लिये कार्रवाई की जा रही है।

टीकमगढ़ में गन्ने का उत्पादन

११०७. **श्री माते :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टीकमगढ़ (म० प्र०) में गन्ने की वार्षिक कितनी पैदावार है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर चीनी बनाने की कोई मिल नहीं है ;

(ग) क्या सरकार वहां गन्ने की पैदावार को देखते हुए चीनी मिल खोलने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) १९६०-६१ में लगभग ४२,००० टन।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ, शायद इसलिये कि उस ज़िले में उत्पन्न गन्ना, आर्थिक आकार की चीनी की फैक्ट्री खोलने के लिये पर्याप्त नहीं है। तथापि चीनी के अधिक उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए चीनी उद्योग में और लाइसेंसिंग क्षमता अभी रोक दी गई है।

बीना-कोटा रेल मार्ग पर मूंगावली में विश्राम-गृह

११०८. श्री माते : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीना-कोटा लाइन पर मूंगावली स्टेशन पर विश्राम-गृह नहीं है; और

(ख) क्या सरकार वहां पर विश्राम-गृह बनाने का विचार कर रही है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) इस स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए यहां विश्रामाजय बनाने का औचित्य नहीं है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

११०९. श्री माते : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में मध्य प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है ;

(ख) उसमें से कितने एक्सचेंज टीकमगढ़, छतरपुर और भोपाल जिलों में खोले जायेंगे; और

(ग) क्या सरकार बल्दुगढ़ खरगपु, मलकनगर, बलेरा और चन्देरी में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने पर विचार कर रही है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) ७१

(ख) टीकमगढ़—कुछ नहीं।
छतरपुर—१
सीहोर (भोपाल)—४

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई और ऐसे कोई भी प्रस्ताव बिचाराधीन नहीं हैं।

राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई कार्यक्रम

†१११०. श्री तन सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अधीन १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, तथा १९६१–६२ में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को कितनी सहायता दी है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में वास्तव में कितनी रक़म खर्च की गई थी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम में राजस्थान के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना आवंटन किया गया था ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) वर्तमान प्रक्रिया अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजनावार नहीं दी जाती है अपितु रक़म प्रत्येक वर्ष के अन्त में योजना के वर्गों के लिए स्वीकार की जाती है। परन्तु एक वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित केन्द्रीय सहायता का तीन चौथाई भाग वर्ष के दौरान नौ समान किश्तों में राज्य सरकारों द्वारा बताये गये तरीकों पर इकट्ठा दी जाती है। इस आधार पर राष्ट्रीय जल संभरण तथा सप्लाई कार्यक्रम (ग्रामीण) को सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ख)

वर्ष	व्यय (लाखों में रुपये)
१९५८-५९	२७.७६
१९५९-६०	५५.००
१९६०-६१	५८.१८
१९६१-६२	६४.००

(ग) २००.०० लाख रुपये।

राजस्थान में नगरीय और ग्रामीण जल सम्भरण

†१११११. श्री तन सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को सलाह दी है कि जल संभरण की समस्या का सही और पूरा अनुमान लगाने के लिए तथा भविष्य के वर्षों में वास्तविक आयोजन करने के लिए एक नागरिक ग्रामीण अनुमान समिति स्थापित की जाये

(ख) समिति के विशिष्ट कार्य क्या हैं ;

(ग) समिति कब तक काम आरंभ कर देगी ; और

(घ) राज्य समिति द्वारा समस्या का पूरा तथा सही अनुमान लगाने तक केन्द्रीय सरकार का विचार नगरीय और ग्रामीण जल संभरण के लिये क्या कार्यवाही करने का है ;

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) (क) और (ग). राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई समिति का प्रतिवेदन जिस में नगरीय और ग्रामीण अनुमान समिति स्थापित करने की भी सिफारिश है अन्य राज्यों समेत, राजस्थान सरकार को ३० मई, १९६२ को भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का उत्तर अभी नहीं मिला है। हमारी जानकारी के अनुसार कोई अनुमान समिति अभी नहीं बनाई गई है।

(ख) समितियों के विशिष्ट कार्य राष्ट्रीय जल संभरण तथा सिंचाई समिति के प्रतिवेदन के पैरा ५७ में दिए गए हैं जो सभा पटल पर रखा जा चुका है।

(घ) राज्य सरकारों से विशेष जांच खण्ड बनाने के लिए कहा गया है जिस में केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत अनुदान देगी। संघ स्वास्थ्य मंत्रालय में असंविहित पीने के पानी का बोर्ड बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन केन्द्र

१११२. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परिवार नियोजन के कितने दवाखाने इस समय देश में हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने दवाखाने हैं तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक कितने हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) अब तक उत्तर प्रदेश के परिवार नियोजन केन्द्रों से कितने व्यक्तियों ने किस प्रकार की मदद ली है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में जून, १९६२ के अन्त तक गर्भ-रोधकों का वितरण करने वाले ४१६ नगर एवं १,८८४ ग्राम मेडिकल/स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त ६४१ नगर परिवार नियोजन केन्द्र तथा १, ३५८ ग्राम परिवार नियोजन केन्द्र थे ।

(ख) ३१ मार्च, १९६२ तक की सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में २५३ (५९ नगर एवं १९४ ग्राम) परिवार नियोजन केन्द्र कार्य कर रहे थे । लक्ष्य संख्या क्या है इस के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) उत्तर प्रदेश के परिवार नियोजन केन्द्रों की गर्भ-रोधक वितरण जैसी परिवार नियोजन सेवाओं का १९९,३६५ व्यक्तियों ने उपयोग किया ।

उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना

१११३. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उत्तर प्रदेश में कितने ग्रामों में बिजली की सुविधा पहुंच चुकी है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के समाप्त होने पर इनकी क्या संख्या होगी; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर कितनी धन राशि रखी गई है तथा अब तक कितनी खर्च हो चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) मार्च १९६१, के अन्त तक ४,१४८ ग्राम में बिजली लगाई गई थी। अप्रैल, १९६१ से २२३ और ग्रामों में बिजली लगाने की स्वीकृति मिल गई है ।

(ख) ५, ६४८ ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में ग्राम विद्युत् के लिये ९०० लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। ऐसी सूचना मिली है कि तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में ५७.४७ लाख रुपये व्यय हुए हैं।

हाल्ट स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

१११४. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल्ट स्टेशनों पर यात्रियों के धूप और वर्षा से बचने के लिये क्या सुविधा प्रदान की गई है; और

(ख) यदि ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो, क्या रेल विभाग शीघ्र यात्रियों को धूप और वर्षा से बचने के लिये उचित सुविधायें देने की व्यवस्था करेगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) रेलवे की यह नीति है कि हाल्ट स्टेशनों पर यात्रियों के लिये एक छोटा सा प्रतीक्षा शेड बनाया जाय जिस से टिकट घर का काम भी लिया जाय। यह व्यवस्था सभी हाल्ट स्टेशनों पर की जा रही है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

कानपुर-लखनऊ बड़ी लाइन को दोहरा करना

१११५. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-कानपुर के बीच बड़ी लाइन दोहरी करने का काम कब तक पूरा हो जायेगा, और

(ख) क्या कानपुर के निकट गंगा नदी पर भी दोहरी लाइन डालने के लिये सरकार एक पुल और बनाने का विचार कर रही है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) कानपुर और लखनऊ के बीच ४४.५ मील लम्बे सेक्शन में से कानपुर और उन्नाव के बीच ९.९० मील लम्बे टुकड़े पर (जिस में गंगा का पुल शामिल नहीं है) दोहरी लाइन बिछायी हुई है। इस सेक्शन के बाकी इकहरी लाइन के टुकड़े पर दोहरी लाइन बिछाने का विचार नहीं है ।

(ख) कानपुर के पास गंगा पर एक और पुल बनाने का भी अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश म मलेरिया उन्मलन कार्यक्रम

१११६. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया उन्मलन योजना को उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिली है ;

(ख) पिछले पांच वर्ष में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मलेरियाग्रस्त हुए तथा कितनी मौतें हुईं ;

(ग) यह योजना उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष और चलेगी ; और

(घ) योजना समाप्त होने पर क्या मलेरिया का पूर्ण उन्मलन हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम १९५३–५४ में प्रारम्भ किया गया था । ५ वर्ष की एक संक्रियावस्था

के पश्चात् यह देखा गया कि मलेरिया की व्यापकता काफी घट गई है, जैसा कि निम्नांकित मलेरियोमीट्रिक-सूचक से स्पष्ट होगा ।

वर्ष	बाल प्लीहा वंहण दर	बाल परजीवी दर	शिशु परजीवी दर
१९५३–५४	१३.६	५.४	०.४
१९५७–५८	७.४	०.६	०.३

१९५३–५४ में उपलब्ध आंकड़ों की तुलना में बाल प्लीहा, परजीवी और शिशु परजीवी दरों में क्रमशः ४५.६, ८८.९ और २५ प्रतिशत तक कमी हुई है । अनुपाती रोगी दर (अस्पतालों और औषधालयों में इलाज किये गये सभी प्रकार के रोगों के रोगियों से क्लिनिकी मलेरिया रोगियों का प्रतिशत) जो १९५३–५४ में १४.९ प्रतिशत थी, १९५७–५८ में वह ७.१ प्रतिशत ज्ञात हुई, अर्थात् इसमें लगभग ५२.३ प्रतिशत की कमी हुई। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम १९५८–५९ उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया । उन्मूलन कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में ४० एकक (प्रत्येक दस लाख आबादी की) स्थापित की गई। १९५९–६० से २७ दूसरी मलेरिया उन्मूलन एककों ने काम करना प्रारम्भ कर दिया जिससे सारे राज्य में कुल ६७ एककें हो गईं। मलेरिया की घटनायें और भी काफी कम हो गई हैं। १९६१–६२ के अन्त में अनुपाती रोगी दर ०.९ प्रतिशत थी जबकि यही दर १९५७–५८ में ७.१ प्रतिशत तथा १९५३–५४ में १४.९ प्रतिशत थी । इस प्रकार १९५३–५४ में उपलब्ध आंकड़ों की तुलना में १९६१–६२ में कुल ९४ प्रतिशत कमी हुई। इस के अतिरिक्त बाल प्लीहा, बाल परजीवी और शिशु परजीवी सूचक में काफी कमी हुई है। यह प्रतीत किया गया है कि १९५३–५४ के आंकड़ों की तुलना में १९६०–६१ तक प्लीहा, परजीवी और शिशु परजीवी सूचकों में क्रमशः कुल ९६.३, ९९.८ और ९२.५ प्रतिशत कमी हुई है ।

(ख) यह ज्ञात किया जा सकता है कि देश में मौतों के पंजीयन की वर्तमान प्रणाली के अनुसार मरण सम्बन्धी विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अस्पतालों तथा औषधालयों में सिर्फ मलेरिया निदान किये गये रोगियों के अस्वस्थता-आंकड़े ही उपलब्ध हैं। ये आंकड़े भी हर वर्ष के राज्य भर के उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे आंकड़े देने वाले औषधालयों की संख्या भी हर वर्ष अलग-अलग होती है । इन कमियों के कारण मलेरिया अस्वस्थता में कमी भिन्न भिन्न वर्षों के अनुपाती मलेरिया मामलों (सब प्रकार के रोगियों की कुल संख्या से मलेरिया के रोगियों का प्रतिशत) की तुलना द्वारा ही प्राप्त करनी पड़ती है ।

गत पांच वर्षों में इलाज किये गये सभी प्रकार के रोगों के रोगियों एवं क्लिनिकल मलेरिया के रोगियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	सब रोग	क्लिनिकल मलेरिया के रोगी	अनुपाती रोगी दर प्रतिशत
१९५७–५८	३,५५०,६६२	२५३,४१८	७.१
१९५८–५९	४,९२७,९१४	२६८,८७२	५.५
१९५९–६०	८,७९४,२९४	२८७,०३५	३.३
१९६०–६१	१०,१२८,८१९	१९२,०७६	१.९
१९६१–६२	१२,८६०,८६९	११३,४८९	०.९

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक जारी रहेगा।

(घ) आशा है कि वर्तमान प्रगति के साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मलेरिया का उन्मूलन हो जायेगा। तब इस कार्यक्रम का, नेपाल जैसे अन्य देशों की सीमा के पास स्थित ऐककों के अलावा राज्य के प्रमुख भाग में प्रबन्धात्मक पहलू प्रारम्भ होगा।

मैनाधार (आसाम) में बारक नदी पर बांध

†१११७. **श्री नि० रं० लास्कर**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैनाधार (आसाम) में बारिक नदी पर मिट्टी के बांध की जांच पड़ताल में कौन अन्वेषण प्राधिकारी है और कौन से विशेषज्ञ इस काम पर लगे हुए हैं;

(ख) यह अन्वेषण वास्तव में किस वर्ष में आरम्भ किया गया था; और

(ग) सरकार कब तक अन्वेषण कार्य पूरा करने की आशा करती है?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)**: (क) अन्वेषण कार्य केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग). आसाम में बारक नदी पर बांध के संभव स्थानों को खोजने के लिये प्रारंभिक-अन्वेषण केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के द्वारा १९५४ में आरम्भ किया गया था, किन्तु बांध के लिये जिन स्थानों का अन्वेषण किया गया उन में से कोई भी स्थान उपयुक्त नहीं समझा गया केवल मैनाधार को छोड़कर जो कुछ उपयुक्त था। कुछ नींव खोदने का काम इस स्थान पर किया गया था। इस स्थान से प्राप्त हुई मिट्टी का परीक्षण करने के पश्चात्, भूतत्वज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया कि वह स्थान किसी ईंट मिट्टी के या कंक्रीट के बांध के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है। जनवरी १९५७ के अन्त में अग्रेतर अन्वेषण बन्द कर दिया गया।

राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की २०-२-५८ को हुई बैठक में, आसाम के कृषि मंत्री ने सुझाव दिया कि बारक नदी संग्रह परियोजना पर पुनर्विचार किया जाए। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक सदस्य, और मुख्य इंजीनियर (बाढ़) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और चीफ इंजीनियर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आसाम ने भूतत्वज्ञ के साथ मैनाधार बांध स्थान का निरीक्षण १८ जनवरी, १९६० को किया। इस संयुक्त निरीक्षण के परिणाम-स्वरूप यह विचार किया गया कि २०० से २५० फुट तक की साधारण ऊंचाई का एक मिट्टी का बांध, केवल बाढ़ नियंत्रण के लिये उन स्थान पर व्यवहारिक हो सकता है उस प्रस्तावित मिट्टी के बांध के लिये स्थान की उपयुक्तता को जानने के लिये अग्रेतर अन्वेषण किया जाना चाहिये। आसाम सरकार की प्रार्थना पर, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने उस स्थान का अपेक्षित अन्वेषण आरम्भ किया है। काम १-४-६० को आरम्भ किया गया था और अधिकतर अन्वेषण कार्य किया जा चुका है। शेष खुदाई कार्य ३१-३-६३ तक पूर्ण हो जाने की की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिलोनिया सुनामेरा और कमालपुर में बिजली घर

†१११८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलोनिया, सुनामेरा और कमालपुर में बिजली घर बनाये जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कामों के कब आरम्भ होने की आशा है ?

†**सिंचाई और बिजली मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). समीप के बिजलीघरों से बिजली दे कर इन स्थानों को बिजली देने का विचार है। अपेक्षित ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ किये जाने की संभावना है।

नामपद और गुनूपुर के बीच छोटी लाइन पर पुराने लाइट इंजनों का चलना

†१११९. **श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री २२ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे हालात क्या है जिन के अन्तर्गत नामपद और गुनूपुर के बीच छोटी लाइन पर पुराने लाइट इंजन की अब तक मरम्मत नहीं की जा सकी है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त छोटी लाइन पर नवीन लाइट इंजनों की व्यवस्था करने का विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) इस सैक्शन पर चलने वाले किसी इंजन को मरम्मत के लिये यमा सामान के लिये बहुत देर तक अनावश्यक तौर से नहीं रोका गया।

(ख) और (ग). इस समय नहीं।

(घ) नीति यह है कि इंजन आदि को तभी बदला जाय जब उस की हालत के अनुसार उसे बदलना अनिवार्य हो।

डोईखाल रेलवे स्टेशन (उड़ीसा)

†११२०. **श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि रेलवे स्टेशन उड़ीसा में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है।

(ख) क्या यह सही है कि डोईखाल रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को, वहां के प्लेट फार्म की चारदीवारी के अन्दर या डोईखाल रेलवे स्टेशन से छः मील के अर्ध व्यास में कोई डिस्पेंसरी न होने के कारण बहुत कठिनाइयां हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

पंचायत समिति दफ्तरों के लिये टेलीफोन

†११२१. **श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के प्रत्येक पंचायत समिति दफ्तरों में टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी पंचायत समितियों को टेलीफोन दिये जा चुके है ;

(ग) कितनी पंचायत समितियों को अभी टेलीफोन नहीं किये गये ; और

(घ) उक्त पंचायत समितियों को कब तक टेलीफोन दिये जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) १४३ समितियों को टेलीफोन दिये जा चुके हैं । १६ और की मंजूरी दी जा चुकी है ।

(ग) १६४ ।

(घ) टेलीफोन दिये जायेंगे यदि प्रस्ताव लाभदायक होंगे या राज्य अथवा कोई दूसरी पार्टी किराया तथा गारंटी निबन्धन स्वीकार करेगी ।

पार्वतीपुरम में ऊपरी पुल

†११२२. **श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पार्वतीपुरम (आंध्र प्रदेश) में रेलवे समतल पारण पर ऊपर का पुल बनाने के लिये जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं तो क्या उक्त समतल पार पर पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार का है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) वर्तमान समतल पारों के स्थान पर ऊपर के या नीचे के पुलों की योजनाएं राज्य सरकारों के द्वारा ही होनी चाहियें । रेलवे ऐसे कामों को तब आरम्भ करती है जब राज्य सरकारें सिफारिश करती है और लागत का अपना भाग देने के लिये अपेक्षित धन का भी प्रबन्ध करती हैं, निश्चित नियमों के अनुसार । अभी तक कोई पक्का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश सरकर की ओर से तीसरी पंचवर्षीय योजना में पार्वतीपुरम में वर्तमान समतल पार के स्थान पर सड़के के ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

परलाखेमेडी (उड़ीसा) के डाकघर की इमारत

†११२३. **श्री उलाका** : क्या **परिवहन और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह तथ्य मालूम है कि पारलाखेमेडी (उड़ीसा) की उप-डाकघर की इमारत बहुत पुरानी है और किसी भी समय गिर सकती है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इस के स्थान पर एक नई इमारत बनाने का विचार कर रही है•;

(ग) यदि हां तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के कारण क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) जिस भूमि पर वर्तमान इमारत खड़ी है, डाक खाने की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है । नई इमारत बनाने के लिये अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जा रही है और मामला राजस्व अधिकारियों से उठाया गया है । आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के पश्चात् नई इमारत बनाई जायेगी । इस बीच डाकघर अस्थायी तौर पर, एक किराये की इमारत में ले जाया जा रहा है ताकि वर्तमान इमारत की मरम्मत की जा सके ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

आंध्रप्रदेश में रेलवे लाइन

†११२४. **श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालसा से विजयनगरम (आंध्र प्रदेश) तक बरास्ता परलाखेमेडी (उड़ीसा) एक बड़ी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बड़ी लाइन को गुनूपुर (उड़ीसा) तक बढ़ाने और फिर इसे आंध्र प्रदेश में ले जाने के लिये विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण है ?

†**रेलवे मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क)पालसा-विजयनगरम सैक्शन के प्रस्तावित दोहरा करन के लिये सर्वेक्षण के सम्बन्ध में एक लाइन बनाने के उदेश्य से जो. साधारणतया रणतया संभवनीय बाढ़ की क्षमता से मुक्त होगी रिटायर्ड एलाइन्मेंट, पर दूसरी लाइन बिछाने के लिये अन्वेषण किया जा रहा है। आया यह रेखांकन पारलाखेमेडी के बीच से जायगा, इस बात का ज्ञान सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुकने और प्रतिवेदन का परीक्षण किये जाने के पश्चात् ही होगा।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 'रिट्रायर्ड एलाइन्मेंट' अन्दर की तरफ उतना ही जायगा, जिस की उसे संभवनीय बाढ़ों की शक्ति से मुक्त रखने के लिये आवश्यकता होगी । इस प्रयोजन के लिये बरास्ता गुनूपुर लाइन को ले जाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काशीनगर (उड़ीसा) म बिजली लगाना

†११२५. **श्री उलाका :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि काशीनगर (उड़ीसा) के रेलवे स्टेशन में अभी बिजली नहीं लगाई गई है हालांकि यह नवपद और गुनूपुर के बीच छोटी लाइन पर एक महत्वपूर्ण स्टेशन बन गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब बिजली लगाये जाने की आशा है ;

(ग) क्या यह भी सही है कि काशीनगर रेलवे स्टेशन पर ऊंची श्रेणियों के यात्रियों के लिये कोई विश्राम गृह नहीं है ; और

(घ) तो ऊंची श्रेणियों के यात्रियों के लिये विश्राम गृह कब बनाया जायेगा ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). काशीनगर स्टेशन छोटी लाइन पर पारलाखेमेडी लाइट रेलवे पर बीच में पड़ने वाला स्टेशन है और अभी इस पर बिजली नहीं लगाई गई है । यात्री सुविधा समिति के परामर्श से इस काम का १९६३-६४ में कार्यक्रम बनाया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस स्टेशन पर ऊंची श्रेणियों के यात्रियों की औसतन प्रति दिन संख्या केवल एक होती है, और इस कारण ऊंची श्रेणी का विश्राम गृह बनाना उचित नहीं है ।

रामानदी बांध, मद्रास राज्य

†११२६. **श्री म० प० रामस्वामी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मद्रास राज्य के तिरुनलवेली जिला में रामानदी बांध संबंधी प्रारुप योजना केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ मद्रास सरकार से प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित योजना स्वीकार कर ली है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

कैंसर

श्री इन्द्रजीत गुप्त :
†*११२७. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के उन मामलों के इलाज के लिये जिन का आपरेशन नहीं किया जा सकता, एक बोवाइन वाइल डैरिवेटिव, भारतीय डाक्टरों के सहयोग से अमरीका के प्रोफैसर पैना द्वारा मालूम की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस औषध के प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं ;

(ग) क्या प्रोफैसर पैन्न ने भारत में अग्रेतर प्रयोग करने के लिये सरकार से सहायता मांगी है ; और

(घ) इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). प्रोफैसर पैल भारतीय डाक्टरों के सहयोग से भारत में अपने नवीन औषध के संबंध में कुछ अनुसंधान कर रहे हैं । वह दो बार भारत आ चुके हैं और उन का दावा है कि उन के प्रयोगों के परिणाम उत्साहवर्धक हैं ।

(ग) और (घ). प्रोफैसर पैल ने इस देश में अनुसंधान के लिये केवल सुविधायें मांगी थी और वे उन को दे दी गई हैं ।

रासायनिक उर्वरकों का आयात

†११२८. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार वर्तमान कमी को दूर करने के लिये अमरीका से विभिन्न किस्मों का बहुत बड़ी मात्रा में रसायनिक उर्वरक मंगवा रही है या मंगवा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने उर्वरकों का आयात किया गया है या आयात करने का विचार किया गया है ;

(ग) उर्वरकों के मूल्य किस प्रकार अदा किये जायेंगे, और

(घ) कब तक राशि अदा कर दी जाएगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख)

अमोनिय. सल्फेट	.	३,३३,७०० टन
नाइट्रोफौसफेट	.	१५,००० टन
अमोनियम फौसफेट	.	३०,००० टन
	कुल	३,७८,७०० टन

(ग) अमरीकी सरकार पहले वचन पत्र जारी करती है, जिसके मुकाबले में भारत संभरण मिशन, वाशिंगटन ऋण के अप्रत्यादेय पत्र खोलता है, जो संभरणकर्ताओं द्वारा, संबद्ध बैंक को अपेक्षित नौवहन एवं अन्य दस्तावेज पेश करके चलाये जाते हैं ।

(घ) मार्च, १९६३ तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सड़क परिवहन निगम

†११२९. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों ने सड़क परिवहन निगम स्थापित कर लिये हैं ;

(ख) ये किन उपबंधों के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं ;

(ग) सरकार ने उन राज्यों को अन्य राज्यों के अनुसार बोर्ड स्थापित करने के लिये कहने के बारे में कुछ किया है, जिन्होंने अभी तक बोर्ड स्थापित नहीं किये हैं ; और

(घ) इन निगमों ने १९६१ में आयकर के रूप में कितनी राशि दी है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) सड़क परिवहन निगम में अभी तक आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, मध्य प्रदेश, पंजाब (पैप्सू और मंडी-कुलू क्षेत्र) और पश्चिम बंगाल में स्थापित किये गये हैं ।

(ख) ये निगम सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं ।

(ग) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन उपक्रमों के विस्तार के लिये योजना उपबंध केवल इस शर्त पर स्वीकार किये जाते हैं कि संबद्ध राज्य इन उपक्रमों के प्रबंध के लिये सड़क परिवहन निगम स्थापित करेंगे । इस मामले के बारे में भी उन राज्यों तथा योजना [illegible] बीच पत्र व्यवहार हो रहा है, जिन्होंने ये निगम स्थापित नहीं किये हैं ।

(घ) १४७२८२४७ रुपये की राशि पत्री वर्ष १९६१ में आयकर के रूप में दी गई थी । इस में वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ के अग्रिम का भुगतान और कुछ पहले वर्षों संबंधी भुगतान शामिल हैं ।

घर पर माल पहुंचाना

†११३०. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में घर पर माल पहुंचाने और घर से माल ले जाने की प्रणाली आरंभ हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, कब और किन स्थानों पर;

(ग) क्या माल लेने और पहुंचाने का काम ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो उन को कितना कमीशन या शुल्क दिया जाता है ; और

(ङ) इस नवीन योजना का लोगों ने कहां तक स्वागत किया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री से० वे० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ठेकेदारों को कोई कमीशन नहीं दिया जाता; किन्तु उन को अधिसूचित शुल्क दिया जाता है, जो इस काम के लिये जनता से वसूल किया जाता है ।

(ङ) इस का जनता ने साधारणतया संतोषजनक स्वागत किया है ।

सिंचाई परियोजनाओं सम्बन्धी विशेषज्ञ दल

†११३१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण संबंधी कठिनाइयों को मालूम करने के लिये विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या समिति सब राज्यों में गई थी ; और

(घ) क्या उसने कोई रिपोर्ट पेश की है?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मत्री श्री अलगेशन**) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दल अभी तक महाराष्ट्र राज्य में गया है अन्य राज्यों में दल, इस काम के लिये निर्धारित प्रपत्र पर सांख्यिकी प्राप्त होने पर जाएगा ।

(घ) दल द्वारा अध्ययन पूर्ण होने पर रिपोर्ट दी जाएगी ।

दिल्ली में बिजली द्वारा दाह संस्कार की मशीन

†११३२. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली द्वारा दाह संस्कार करने वाली मशीन जो दिल्ली नगर-पालिका ने दो वर्ष पूर्व एक लाख रुपये की लागत पर क्रय की थी, जंग खा रही है ;

(ख) इस मशीन को न लगाने व प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली नगर निगम ने इस मशीन को लेने से क्यों इन्कार कर दिया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस मशीन के रखने के स्थान का किराया क्या निगम चुका रहा है, यदि नहीं, तो अभी तक कितना बकाया है ; और

(ङ) इस मशीन को यथास्थान लगाने व उसके अनुरूप काम लेने अथवा इस मशीन को बेच देने आदि प्रश्नों का कब तक निबटारा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं, यह मशीन अच्छी हालत में है ।

(ख) यह मशीन अभी तक इसलिये नहीं लगाई जा सकी क्योंकि इसके लगाने के लिये उपयुक्त दाह संस्कार भवन नहीं बनाया गया था । अब एक उपयुक्त डिजाइन तैयार कर दिया गया है ।

(ग) यह मशीन, जो नई दिल्ली नगर पालिका ने ली थी, दिल्ली नगर निगम ने उसकी लागत पर ही उनसे अप्रैल १९६० में ले ली है ।

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका से इस मशीन के रखने के स्थान के किराया के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है किन्तु नगर निगम को हाल ही में ४३२० रुपये के बिल मिले हैं जिन पर वे विचार कर रहे हैं ।

(ङ) दाह संस्कार के लिये भवन का एक ग्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और उस पर निगम की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है । समुचित स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

डाक तार विभाग में काय कुशल कर्मचारियों को पुरस्कार की योजना

†११३३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग में अच्छे और कार्यकुशल कर्मचारियों को इनाम देने की योजना चालू की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मोटी मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) यह योजना संभवतः कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती):** (क) से (ग). जी नहीं । उस योजना पर अभी विचार हो रहा है ।

दिल्ली में यमुना पर बन्ध[1]

†११३४. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय बिजली घर, राजघाट, दिल्ली, के पास जमना पर दूसरा बन्ध बनाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगशन):** (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे अभी तैयार करने हैं । फिलहाल पूना अनुसन्धानशाला में नमूने के प्रयोग किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Barrage.

ओलावक्कोट डिवीजन में काम करने वाले अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के चतुर्थ श्रेणी क कर्मचारी

†११३५. **श्री प० कुन्हन :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ और १९६१–६२ में ओलावक्कोट रेलवे डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोग चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त किये गये हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) :**

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१९६०–६१	कोई नहीं	कोई नहीं
१९६१–६२	३१	कोई नहीं

तीसरी योजना के अधीन सवा सहकारी संस्थाऐं

†११३६. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी तक कितनी सेवा सहकारी संस्थायें (सर्विस कोआपरेटिव्स) संगठित की गई हैं;

(ख) उन में से कितनी संस्थायें सामुदायिक विकास खंड के अन्तर्गत हैं; और

(ग) उन में से कितनी संस्थायें ऐसी ऐसी हैं जिन्हें ऋण संस्थाओं या अन्य प्रकार की संस्थाओं का रूप बदल कर संगठित किवा गया है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) और (ग). सहकारी वर्ष १९६१–६२ (जून, १९६२ में समाप्त), तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिये सांख्यिकी विवरण अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं। फिर भी उपलब्ध जानकारी के अनुसार, १-७-१९६१ से ३१-१२-१९६१ की अवधि के दौरान १४,००० सर्विस कोआपरेटिव्स बनाये गये थे। इन में से लगभग १०,००० को प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं का रूप बदल कर संगठित किया गया है।

(ख) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

ओलावक्कोट में क्रियोसोटिंग प्लान्ट[1]

†११३७. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओलवक्कोट में क्रियोसोटिंग प्लान्ट में कुछ कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों को सौंप दिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Cressoting Plant.

(ख) यदि हां, तो उस का कारण क्या है और उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसके परिणमस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे ;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को कोई दूसरा रोजगार देने की कोई व्यवस्था की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि उन्हें दूसरा रोजगार दिया जाता है, तो क्या उन की सेवा की निरन्तरता और दूसरे विशेषाधिकारों का संरक्षण किया जायेगा ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). जी हां। लकड़ी के स्लीपरों के सूराख करने और भरी हुई ट्रालियों को क्रियोसोटिंग प्लान्ट तक पहुंचाने का काम थोड़े समय के लिये ठेकेदारों को सौंप दिया गया है जिस के कारण इस प्रकार हैं :—

(१) कारखाने में, स्लीपरों को सूराख बरमे से किये जाते हैं। फिर भी इस के लिये तेजरफ्तार वाले लकड़ी वाले बरमे विदेशों मंगाने थे और उन के प्राप्त न होने तक वह काम विभागीय मजदूरों द्वारा किया गया था। अब ये बरमे प्राप्त हो गये हैं और वे शीघ्र ही स्थापित किये जायेंगे। चूंकि इस काम में लगे हुए मजदूरों को दूसरी जगह खपाना था, इसलिये यह काम इस थोड़े समय के लिये ठेके के मजदूरों को सौंप दिया गया। ठेके के मजदूर विभागीय मजदूरों की अपेक्षा अधिक सस्ते भी पाये गये थे।

(२) भरी और खाली ट्रालियों को क्रियोसोटिंग प्लान्ट तक विभागीय मजदूरों की तुलना में ठेकेदारों के मजदूरों से पहुंचवाना अधिक सस्ता पाया गया।

(ग) उपर्युक्त काम ठेके के मजदूरों को सौंपने के कारण ३० कर्मचारी फालतू हो गये थे।

(घ) सभी कर्मचारियों को दूसरा रोजगार दिया गया है।

(ङ) स्लीपरों की सप्लाई संबंधी स्थिति अच्छी हो जाने से कारखाने में दोहरी पारी चालू किये जाने के कारण अतिरिक्त कर्मचारी आवश्यक थे और अतिरिक्त कर्मचारियों को इस दूसरी पारी में रख लिया गया है।

(च) जी, हां।

आन्ध्र प्रदेश के रायल सीमा जिले में अकाल

†११३८. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यलमन्दा रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले के विकास के लिये जो योजना तैयार की जा रही थी क्या उसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस में कुल कितनी लागत लगेगी और उस में केन्द्रीय सरकार कितना खर्च करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० भ० थामस)**: (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा सुझायी गयी प्रारूप योजना के आधार पर, आन्ध्र प्रदेश, सरकार ने निरन्तर अगाल से पीड़ित क्षेत्रों के जिन में १२ तालुके आते हैं, विकास के लिये ८०७·७१ लाख रुपये की एक योजना तैयार की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनायें सामान्यतः उचित पायी गयी हैं, लेकिन शिल्पिक विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से उन में कुछ रद्दोबदल करने की आवश्यकता है। तदनुसार राज्य सरकार को सलाह दी गयी है।

आयोजना की अधिकतर योजनायें तीसरी योजना के एक हिस्से के रूप में कार्यान्वित की जा रही है इसलिये उस का मतलब केवल इतना ही होगा कि दुर्भिक्ष-पीड़ित क्षेत्रों की कुछ योजनाओं पर अधिक जोर दिया जायेगा। राज्य से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मांगी गयी है।

दामोदर घाटी निगम नहर

†११३९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी के निगम के अधिकारियों ने यह सुझाव दिया है कि संविहित निगम बनाया जाये और नहर में यातायात के सम्बन्ध में काम करने के लिये पश्चिम बंगाल को एक मुख्य साझीदार के तौर पर रखा जाये;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या राय है; और

(ग) नहर में नौचालन की पूर्ण क्षमता का विकास करने के लिये दूसरे क्या उपाय किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** :(क) १९५८ में दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित मंत्रणा समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि परिवहन संगठन चलाने का सब से अच्छा तरीका यह है कि एक संविहित अधिकार या एक अलग निगम स्थापित किया जाये और पश्चिम बंगाल सरकार उस में मुख्य साझी दर हो। दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों ने इस बीच इससबंध में कार्यवाही करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और उस की राय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) १९५९ की बाढ़ के कारण यह नहर जो आरम्भ में जुलाई, १९५९ के मध्य तक पूरी की जानी वाली थी, खराब हो गयी थी। जरूरी मरम्मत की गई है। कुन्ती चैनल के आखिरी सिरे पर कुछ मिट्टी जमा हो गई है। मिट्टी हटाने के लिये दामोदर घाटी निगम अधिकारियों ने ड्रेजर के लिये आदेश दिये गये हैं और अभी वह प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस काम के लिये अपना एक ड्रेजर ऋण के तौर पर देने की प्रार्थना की है।

भाखड़ा बांध परियोजना

११४०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) ,भाखड़ा बांध के पूरा होने में अभी कितना और समय लगेगा ;

(ख) क्या बांध के पूरा होने पर ही जलाशय भरा जायेगा; और

(ग) भाखड़ा के दूसरे सिरे पर बिजली घर का निर्माण कब पूरा होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :(क) बांध के शिखर पर कुछ कार्यों नामश उमड़मार्ग पुल, (स्पिलवे ब्रिज), 'पैरापेट्स' और 'रेडियलगेट्स' को छोड़ कर मुख्य बांध और आनुषंगिक कार्य पूर्ण हो गये हैं, इन बाकी रह गये कार्यों को हाथ में लिया हुआ है और आशा है कि ये १९६२ के खत्म होने से पहले ही पूर्ण हो जायेंगे।

(ख) भाखड़ा जलाशय में पहले से ही १९५८-५९ से जल का कुछ हिस्सा इकट्ठा किया जा रहा है। जलाशय का स्तर हर वर्ष ऊपर उठाया जा रहा है और आशा है कि जलाशय १९६४-६५ में इस की अधिकतम अभिकल्पित ऊंचाई तक भर दिया जायेगा।

(ग) आशा है कि भाखड़ा दक्षिण तट बिजलीघर, अप्रैल, १९६६ तक पूर्ण हो जायेगा।

पाकिस्तान के साथ रेल सम्बन्ध

११४१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हो कर पाकिस्तान के दोनों भागों का सम्बन्ध जोड़ने वाली रेल श्रंखला की बातचीत सर्वथा समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस में निर्णय लेने में क्यों देर हो रही है,

(ग) भारत पाकिस्तान सम्बन्धों की कटुता को ध्यान में रखते हुए भी क्या सरकार बातचीत चालू रखना चाहती है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक होने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १६ नवम्बर से १८ नवम्बर, १९६० तक रावलपिण्डी में जो बैठक हुई थी, उस में भारत और पाकिस्तान के शिष्टमंडल जिन मुद्दों पर एक राय थे, भारत सरकार ने उन का अनुसमर्थन अभी नहीं किया है और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से आगे कोई बातचीत नहीं चल रही है। उचित समय आने पर सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख कर फैसला किया जायेगा।

खाद्य तथा कृषि संगठन विशेषज्ञ

†११४२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा आमंत्रित, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ श्री ए० वेले को वास्तव में किस प्रकार का काम सौंपा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में खाद्य उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: श्री वेले को जो काम सौंपा गया है वह सलाह के ढंग का है और उसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(१) दुग्धशालाओं का सर्वेक्षण;

(२) तरल दूध के संबंध में और दुग्धशाला में बनायी जाने वाली चीजें तैयार करने के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक एककों का निर्धारण ; और

(३) दूध और दूध से बनने वाली चीजों के उत्पादन, संरक्षण और बिक्री के आर्थिक पहलुओं की छानबीन।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिचूर में टेलीफोन एक्स्चेंज

†११४३. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर में स्वयंचालित टेलीफोन एक्स्चेन्ज के लिए इमारत बनाने का काम आरंभ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देर होने का कारण क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य सरकार से भूमि का हस्तान्तरण अभी नहीं हुआ है ।

जन्म मरण आदि के आंकड़ों सम्बन्धी विभाग[1]

†११४४. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात के लिए कोई कार्यवाही की है कि राज्य सरकारें और नगर नगम अपने अपने स्वास्थ्य विभागों में जन्ममरण आदि के आंकड़ों संबंधी विभाग स्थापित करें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) भारत सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक गणक (कम्प्यूटर) और जिला परिवार नियोजन अधिकारियों के कार्यालय में एक इन्वेस्टिगेटर और एक कम्प्यूटर नियुक्त करने के लिए राज्य सरकारों को ५० प्रतिशत केन्द्रीय राज सहायता देना स्वीकार किया है । राज्यों के मुख्य कार्यालयों में जन्म मरण आदि के आंकड़ों संबंधी विभाग स्थापित करने की योजना पर अभी विचार हो रहा है । इस योजना में इस प्रयोजन के लिए नगर निगमों को सहायता देने की कोई बात नहीं है ।

(ख) राज्य सरकारों से अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

मेरठ में दिल्ली परिवहन (डी० टी० यू०) बस सेवा

†११४५. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम (डी०टी०यू०) ने उत्तर प्रदेश में मेरठ तक अपनी सेवा चलाने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली परिवहन उपक्रम को मेरठ तक अपनी बसें चलाने लए लाइसेंस नहीं दिये हैं जब कि उत्तर प्रदेश रोडवेज को दिल्ली तक अपनी बसें चलाने के लि अनुमति दी गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Demographic Cells.

(ग) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस मामले में बातचीत करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(घ) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या राय है।

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ). संलग्न विवरण में स्थिति बतायी गयी है ।

विवरण

(क) से (घ). उत्तर प्रदेश सरकार की बसें कई मार्गों पर जो दिल्ली में समाप्त होते हैं, चल रही हैं । दिल्ली नगर निगम का दिल्ली परिवहन उपक्रम फिलहाल इनमें से किसी मार्ग पर अपनी बसें नहीं चला रहा है ।

२. १९४९ में उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली प्रशासन ने एक समझौता किया था जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को इन मार्गों पर बसें चलाने का तब तक एकाधिकार होगा जब तक कि दिल्ली प्रशासन अपनी बसें न चलायें ।

३. १९६० में दिल्ली परिवहन उपक्रम ने दिल्ली-मेरठ मार्ग के लिए, राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली, से दस परमिट प्राप्त किये । उत्तर प्रदेश सरकार ने इन परमिटों पर इस आधार पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं किये कि दिल्ली प्रशासन का हिस्सा दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा काम में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इस उपक्रम की बसों को दिल्ली प्रशासन की बसें नहीं समझा जा सकेगा ।

४. दिल्ली परिवहन उपक्रम की प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकारें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस मामले पर चर्चा की लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है । अब यह मामला अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को सौंप दिया गया है जिसके पास वह अभी पड़ा हुआ है ।

५. अभी हाल में, आयोग के प्रयत्नों के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारियों ने दिल्ली परिवहन उपक्रम को दिल्ली और गाजियाबाद के बीच बसें चलाने की अनुमति देना मंजूर कर लिया है । दिल्ली-गाजियाबाद मार्ग पर परमिटों की संख्या २० से बढाकर ३० कर देने का उनका विचार है और उन्होंने यह सूचित किया है कि उन्हें इन दस अतिरिक्त परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी यदि दिल्ली का राज्य परिवहन प्राधिकार दिल्ली परिवहन उपक्रम को या दिल्ली के किसी गैर-सरकारी परिवहन चालकों को परमिट देता है । दिल्ली प्रशासन इस प्रस्ताव की अभी छानबीन कर रहा है ।

विजयनगरम् तालुका (आन्ध्र प्रदेश) में सीमेंट फैक्टरी मेन लाइन से मिलाने वाली रेलवे लाइन

†११४६. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम् जिले में विजयनगरम् तालुका में प्रस्तावित सीमेन्ट कारखाने के लिए मुख्य लाइन को जोड़ने वाली आवश्यक रेलवे लाइन की व्यवस्था रेलवे ने अभी तक नहीं की है ; और

(ख) वह योजना कब बनायी गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० व० रामस्वामी)** :(क) आन्ध्र प्रदेश के विशाखा पत्तनम् जिले में विजयनगरम् तालुका में प्रस्तावित सीमेन्ट कारखाने के लिए वर्तमान मुख्य लाइन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के बारे में कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंचायत समितियां

†**११४७. श्री दशरथ देव** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पंचायत समितियों मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्याम धर मिश्र)** : (क) पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, १९५६ में ऐसा कोई उपबंध नहीं रखा गया है ।

(ख) उस अधिनियम की धारा २९ के अधीन, अंचल पंचायत की कोई समिति बनाने का अधिकार मुख्य संस्था को ही प्राप्त है । ऐसी प्रत्येक समिति की संरचना भी अंचल पंचायत को ही निश्चित करनी होती है ।

आदिम जाति पंचायतें

†**११४८. श्री दशरथ देव** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपनी दसवीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि परंपरागत आदिम जाति पंचायतों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहयोगी संस्थाओं के रूप में मान्यता दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में त्रिपुरा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) त्रिपुरा क्षत्रिय मंडल समितियां कब समाप्त कर दी गयी थीं और उसके क्या कारण थे ?

†**सामुदायिक विकास, पचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां। आयुक्त के अनुसार, यह एक निदेश है जिसमें पंचायती राज के अधीन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों का संरक्षण करने के लिए व्यवस्था की जायगी ।

(ख) त्रिपुरा में, १९६२–६३ में छ : खंडों में पंचायतें स्थापित की जा रही हैं और अप्रैल, १९६५ तक संपूर्ण राज्य क्षेत्र पंचायतों के अन्तर्गत आ जायगा । इस सुझाव पर उचित समय पर विचार किया जायगा जब कि त्रिपुरा में पंचायतों का काम आरंभ हो जायगा ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन विकास परिषद्

†११४९. **श्री दशरथ देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६१ में आयोजित परिवहन विकास परिषद् द्वारा दिये गये सुझाव अभी तक किस हद तक कार्यान्वित किये गये हैं ; और

(ख) क्या परिवहन चालकों को कर में छूट देने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३४३।६२]**

(ख) परिवहन विकास परिषद् ने एक सिफारिश यह की थी कि देहाती इलाकों में मोटर परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए उन क्षेत्रों में चालकों को कर में कुछ रियायत दी जाये। वह रियायत कितनी और किस रूप में दी जाये इसकी छानबीन राज्य सरकारों द्वारा की जानी थी। इस मामले में उनके साथ विचार-विमर्श हो रहा है ।

हल्दिया बन्दरगाह

†११५०. **श्री दशरथ देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया को एक ऐसे बन्दरगाह के रूप में विकसित करने की योजना निश्चित हुई है जिसकी गोदियों में गहरे पानी में चलने वाले जहाज आ सकते हैं ;

(ख) यदि हां, बन्दरगाह बनाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) वास्तविक कार्य कब आरम्भ होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) हल्दिया में नई गोदी व्यवस्था करने की योजना कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्त द्वारा बनाई गई है । यह बन्दरगाह कलकत्ता बन्दरगाह के सहायक बन्दरगाह के रूप में कार्य करेगा ।

(ख) एक परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है । बन्दरगाह के विकास के लिए एक बृहद् योजना भी तैयार की गई है । आजकल परियोजना के बारे में विस्तृत योजना पर बन्दरगाह आयुक्तों द्वारा विचार किया जा रहा है । परियोजना के लिए ९.३७३ वर्ग मील अपेक्षित भूमि प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है और आयुक्त पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किस्तों में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

(ग) अस्थायी समय सारिणी के अनुसार जो आयुक्तों ने बनाई है, प्रारम्भिक कार्य के मार्च, १९६३ में आरम्भ होने की संभावना है ।

परिवार नियोजन

†११५१. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में जन-संख्या वृद्धि को कम करने के लिये परिवार नियोजन के मामले में सरकारी प्रयास कितना सफल रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन विकास परिषद्

†११४९. **श्री दशरथ देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६१ में आयोजित परिवहन विकास परिषद् द्वारा दिये गये सुझाव अभी तक किस हद तक कार्यान्वित किये गये हैं ; और

(ख) क्या परिवहन चालकों को कर में छूट देने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३४३।६२**]

(ख) परिवहन विकास परिषद् ने एक सिफारिश यह की थी कि देहाती इलाकों में मोटर परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए उन क्षेत्रों में चालकों को कर में कुछ रियायत दी जाये । वह रियायत कितनी और किस रूप में दी जाये इसकी छानबीन राज्य सरकारों द्वारा की जानी थी । इस मामले में उनसे विचार-विमर्श हो रहा है ।

हल्दिया बन्दरगाह

†११५०. **श्री दशरथ देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया को एक ऐसे बन्दरगाह के रूप में विकसित करने की योजना निश्चित हुई है जिसकी गोदियों में गहरे पानी में चलने वाले जहाज आ सकते हैं ;

(ख) यदि हां, बन्दरगाह बनाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) वास्तविक कार्य कब आरम्भ होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) हल्दिया में नई गोदी व्यवस्था करने की योजना कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्त द्वारा बनाई गई है । यह बन्दरगाह कलकत्ता बन्दरगाह के सहायक बन्दरगाह के रूप में कार्य करेगा ।

(ख) एक परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है । बन्दरगाह के विकास के लिए एक बृहद् योजना भी तैयार की गई है । आजकल परियोजना के बारे में विस्तृत योजना पर बन्दरगाह आयुक्तों द्वारा विचार किया जा रहा है । परियोजना के लिए ९.३७३ वर्ग मील अपेक्षित भूमि प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है और आयुक्त पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किस्तों में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

(ग) अस्थायी समय सारिणी के अनुसार जो आयुक्तों ने बनाई है, प्रारम्भिक कार्य मार्च, १९६३ में आरम्भ होने की संभावना है ।

परिवार नियोजन

†११५१. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में जन-संख्या वृद्धि को कम करने के लिये परिवार नियोजन के मामले में सरकारी प्रयास कितना सफल रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में जनसंख्या में वृद्धि रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) देश की जनसंख्या में वृद्धि की दर कम करने के परिवार नियोजन प्रोग्राम के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में जनसंख्या में वृद्धि रोकने के लिये लागू किये जाने के लिये कुछ स्वीकृत महत्वपूर्ण योजनायें निम्न हैं :—

(१) चुने हुए गांवों में गर्भ निरोधकों के वितरण के लिये ७ रु० मासिक मानदेय पर पुरुष तथा स्त्री डिपो कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की अग्रिम योजना । राज्य सरकारों से राज्यों में अग्रिम योजना को लागू करने के औचित्य पर विचार करने की प्रार्थना की गई है ।

(२) अपने इलाकों में व्यक्तियों में परिवार-नियोजन की इच्छा जागृत करने और उन्हें गर्भ निरोधक देने के लियै १० रु० मासिक मानदेय पर दाइयों को प्रशिक्षण देना तथा नियुक्त करना । आशा है कि अपने इलाकों के व्यक्तियों में परिवार-नियोजन को लोकप्रिय बनाने में दाइयों का महत्वपूर्ण काम होगा और विशेष-कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोग्राम लागू करने का उनका सहयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण समझा जाता है ।

(३) प्रत्येक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र में और उस के तीन उप-केन्द्रों में वित्तीय सहायता के स्वीकृत ढंग पर परिवार नियोजन क्लिनिकों का बनना ।

(४) वित्तीय सहायता के स्वीकृत ढंग पर जिस की शर्तें ढीली कर दी गई हैं, उपनगरों में परिवार नियोजन क्लिनिकों की स्थापना ।

(५) स्वीकृत सहायता के आधार पर राज्यों में प्रत्यक जिले में सचल परिवार नियोजन क्लिनिक की व्यवस्था ।

(६) प्रत्येक जिला परिवार नियोजन उप-समिति को २००० रु० वार्षिक और तेहसील/ताल्लुक में परिवार नियोजन की प्रत्येक उप-समिति को ५०० रु० वार्षिक सहायता सभी राज्य सरकारों को दी गई है । यह सहायता प्रत्येक उप-समिति के कार्यों के सम्बन्ध में क्लर्क सम्बन्धी सहायता आदि का व्यय पूरा करने के लिये दी गई है ।

(७) राज्य सरकारों को जिला अस्पतालों में और ताल्लुक/तेहसील के अस्पतालों में वन्ध्याकरण आप्रेशन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये शत प्रतिशत सहायता दी गई है लेकिन यह सहायता प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक १०,५०० रु० वार्षिक होगी । यह सहायता चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में वन्ध्याकरण आप्रेशन की टेक्नीक की तथा सचल शल्य चिकित्सा यूनिटों की ट्रेनिंग देने के लिये भी है । राज्यों को एसे स्थानों पर जहां प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवहन की सुविधायें नहीं हैं, वन्ध्याकरण के लिये व्यक्तियों के ले जाने के लिये भी वित्तीय सहायता दी गई है ।

(८) परिवार नियोजन प्रदर्शनी सामग्री प्राप्त की गई है और राज्यों में जिलों में परिवार नियोजन प्रदर्शनी करने के लिय राज्यों को दे दी गई है ।

†मूल अंग्रजी में

(९) अनेक इश्तहार और पुस्तिकायें छापी गई हैं और फिल्म बनाये गये हैं ।

(१०) राज्यों में अवैतनिक परिवार नियोजन शिक्षा नेता नियुक्त किये गये हैं । बाकी जिलों में एसी नियुक्तियां करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(११) प्रत्येक जिले में एक जिला परिवार नियोजन अधिकारी नियुक्त करने के लिये भी राज्यों को ५० प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी गई है ।

(१२) गर्भ निरोधक मुफ्त और घटी दर पर बांटे जाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में आय का विचार किये बिना ही व मुफ्त दिये जाते हैं ।

(१३) परिवार नियोजन सेवाओं के लिये स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक संगठनों को १०० प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(१४) जनांकिरीय, प्रेरेक और जीव-सम्बन्धी क्षेत्रों में अनुसन्धान किया जा रहा है ।

केरल में राष्ट्रीय राजपथ

†११५२. **श्री प० कुन्हन्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री केरल में राष्ट्रीय राजपथों सम्बन्धी ११ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवरण में उल्लिखित राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ और ४७–क संबंधी पद संख्या ३५ से ४४ तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किय गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य आरम्भ हो गय हैं

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल पद-संख्या ३७ शामिल किया गया है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में पद-संख्या ४४ को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

सड़क परिवहन उपक्रम

†११५३. **श्री प० कुन्हन्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहिले दो वर्षों में और रेलवे योजना में भी राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन उपक्रमों के राज्यवार विस्तार प्रोग्राम के लिये कितनी धन-राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) इस आवंटन में से राज्य-वार कितना व्यय किया गया है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं और मामले में शीघ्रता करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी राज्यों/संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही पटल पर रख दी जायगी ।

मछली परिरक्षण

†११५४. **श्री ग्र० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन् :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्यपालन टेक्नालाजिकल संस्था ने केरल और मिनिकाय द्वीप-समूह के तटीय क्षेत्रों में पकड़ी जाने वाली सारडाइन तथा अन्य विभिन्न किस्म की मछलियों की बड़ी मात्रा के परिरक्षण के बारे में अनुसन्धान करने का कोई उपाय किया है, और

(ख) यदि हां, तो वे कार्यवाही क्या है

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ग्र म० थामस)** : (क) हां ।

(ख) केन्द्रीय मत्स्यपालन टेक्नालाजी संस्था, एरणाकुलम केरल और मिनिकाय द्वीप-समूह के तटीय क्षेत्रों में पकड़ी जाने वाली सारडाइन तथा अन्य किस्म की मछलियों के परिरक्षण के लिये जांच-पड़ताल करती रही है । कार्य के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं सुरंग को गर्म हवा से सुखाने का यंत्र '(हाट एयर टनल ड्राइवर) बनाना, आधे-सूखे प्रॉन तैयार करना, प्रम्पोइनिक एसिड जैसे रसायन से मछली परिरक्षण करना, शोधित नमक क्योरिंग करना, डिब्बागिरी संबंधी अनुभव करना, जमाना, आदि , तेल में सारडाइन और मेकरोल का परिरक्षण करना, मेकरोल और सार-डाइन पीना का स्मोकिंग करना । मछली की चटनी, तेल आदि बनाना भी प्रोग्राम में शामिल है ।

कृषि योग्य परती भूमि

†११५५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में परती ज़मीन का पता लगाने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति के कार्य में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई योजना का क्या स्वरूप है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये केन्द्र द्वारा क्या सहायता दी जा रही है अथवा देने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) समिति ने महाराष्ट्र के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । उड़ीसा के सम्बन्ध में रिपोर्ट का मसौदा राज्य सरकार के संबंधित अफसरों को भेज दिया गया है और उन से कहा गया है कि वह इस को अन्तिम रूप देने

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये एक बैठक का आयोजन करें । इसी प्रकार गुजरात सम्बन्धी रिपोर्ट के मसौदे को भी भेजा जा रहा है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में अभी तक अपने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं ।

(ग) जहां समिति द्वारा निशान लगाई गई भूमि को विशेष कर भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के लिये सुधारा जाता है, केन्द्रीय सरकार सुधार पर खर्च होने वाले 'अनुदान' और 'ऋण' के आधे खर्च को देगी परन्तु यह इस शर्त पर कि अलाट शुदा भूमि पर होने वाला खर्च १५० रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना मूल्यांकन समिति की सिफारिशें

†११५६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ अप्रैल, १६६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना अनुसंधान समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**

अतिरिक्त विभागीय डाकघर, अफजलगढ़

११५७. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ जून, १६६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अफजलगढ़ (जिला बिजनौर) स्थित अतिरिक्त विभागीय डाकघर को विभागीय उप-डाकघर में परिवर्तित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का दर्जा कब से बढ़ाया गया है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) २-७-१६६२ से ।

आन्ध्र प्रदेश में रेलवे जोन

†११५८. **श्री पें वेंकटासुब्बया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में ७ जुलाई, १६६२ को आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपनी विजयवाड़ा और हैदराबाद की यात्रा में आन्ध्र प्रदेश के लिये एक अलग रेलवे जोन बनाने के बारे में अभ्यावेदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे जोन के निर्माण के महत्व व आवश्यकता की दृष्टि से इस मामले पर पुनः विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) नहीं, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई अभ्यावदन नहीं किया था। आन्ध्र प्रदेश के उत्पादन शुल्क तथा मद्यनिषेध मंत्री ने, जिन्हों ने जुलाई, १९६२ को विजयवाड़ा में विजयवाड़ा और मसूली पटनम के बीच बड़ी लाइन के उद्घाटन के अवसर पर सभापतित्व किया था अपने सभापतित्व भाषण में अन्य बातों के साथ इस बारे में प्रार्थना की थी ।

(ख) मामले पर पुनः विचार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि सरकार ने इस प्रश्न के बारे में कोई स्थिर विचार नहीं बनाया है और नये रेलवे जोनों या अन्य किसी पुनर्गठन के बारे में सदैव ही निर्लिप्त विचार रखा है । परन्तु यह कार्य प्रादेशिक विचारों या प्रादेशिक सीमाओं के आधार पर नहीं अपितु संचालन तथा प्रशासन की आवश्यकताओं, रेलवे प्रयोगकर्ताओं की सेवाओं, आदि के आधार पर होना चाहिय ।

पंचायती न्यायालयों की कार्यविधि

११५९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर की पंचायती अदालतों की कार्यविधि के आदि के बारे में नियुक्त अध्ययन दल ने अपनी जो रिपोर्ट कुछ समय पहले प्रस्तुत की थी उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) न्याय पंचायत अध्ययन दल की रिपोर्ट १५ जून, १९६२ को सभा-पटल पर रख दी गई है । रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं । अध्ययन दल के मुख्य निष्कर्ष रिपोर्ट के पृष्ठ १२४ से १२९ पर दिये गये हैं ।

(ख) अध्ययन दल की प्रमुख सिफारिशों पर दिल्ली में हाल ही में इस सामुदायिक विकास वार्षिक सम्मेलन तथा राज्यों के सामुदायिक विकास और पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया है । इन सम्मेलनों में सामान्यतः अध्ययन दल की सिफारिशों से सहमत होते हुये कुछ एक सुझाव दिये हैं । रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है ।

अगरतल्ला में जी० बी० अस्पताल और बी० एम० अस्पताल

†११६०. **श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अगरतला के गोबिन्द वल्लभ पन्त अस्पताल तथा वी० एम० अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों के विवेक पर कुल कितनी एम्बुलेन्स कार तथा अन्य मोटर गाड़ियां हैं;

(ख) क्या वे पर्याप्त हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी गाड़ियों की संख्या तत्काल बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दो एम्बुलेन्स कार और एक जीप।

(ख) नहीं ।

(ग) भारत सरकार ने दो एम्बुलेन्स कार खरीदने की स्वीकृति दे दी है और त्रिपुरा प्रशासन कार खरीदने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

†११६१. **श्री गो० महन्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड की ऐसी कोई योजना है कि किसी ब्रांच के कर्मचारियों को बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जायें;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं और

(ग) क्या सरकार विस्तृत योजना पटल पर रखेगी ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ग). हां। योजना का ब्यौरा अनुबंध में दिया है । [देखिये परिशिष्ट २,अनुबन्ध संख्या १३]

(ख) १९६१–६२ ९९९

१९६२–६३ १००० (लगभग) ।

वन महोत्सव

११६२. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन महोत्सवका कार्यक्रम जब से आरम्भ किया गया है तब से कितने वृक्षों का रोपण हुआ और उन में से कितने आज विद्यमान हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): १९५० से ले कर १९५९ तक की अवधि में लगाये गये और उन में से जीवित रहने वाले वृक्षों की संख्या निम्न प्रकार है :—

लगाये गये वृक्ष	३८,१५,४६,८३१
जीवित रहन वाले वृक्षि	१९,२५,८९,५३१

इस के बाद के वर्षों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

तिरुचि डिवीजन में सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी

†११६३. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री अ० ब० राघवन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुचि डिवीजन में सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति प्राप्त करने के दूसरे दिन ही उन के अन्तिम देय दे दिये जाते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तिरुची डिवीजन में इस योजना के लागू होन के बाद कितने रेलवे कर्मचारी रिटायर हुए हैं और उन्हें कुल कितना भुगतान किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रेलों के अन्य खण्डों में यह योजना लागू करने का है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, वाणिज्यिक कर्मचारियों तथा सामान संबंधी कार्य करने वाले उन कर्मचारियों को छोड़ कर, जिन्हों ने राज्य रेलवे भविष्य निधि के लिये पसन्द व्यक्त की थी, कर्मचारियों के मामले में ।

(ख) योजना १-१२-६१ को लागू की गई थी । उस के बाद १४३ व्यक्ति रिटायर हुए हैं और उन्हें कुल ५,७९,१३६ रु० का भुगतान किया गया है ।

(ग) यथासंभव अनुदेश है कि रिटायर होने के बाद १० दिन में भविष्य निधि का भुगतान हो जाना चाहिये । जहां कहीं संभव होता है, रेलवे इस काल को कम करने का प्रयास करती है ।

"माइक्रो-वेव" प्रणाली द्वारा जम्मू को काश्मीर से मिलाना

†११६४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर घाटी को 'माइक्रो-वेव" प्रणाली द्वारा जम्मू से मिलाने के प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) हां ।

(ख) श्री मगर, जम्मू और ऊधमपुर को 'माइक्रो वेव रेडियो रिले लिंक्स' पर काम करने वाली 'मल्टी चैनल कैरियर टेलीफोन' प्रणाली द्वारा मिलाया जायेगा ।

भूटान डाक डिकट

†११६५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूटान विश्व जन संघ का सदस्य नहीं है, भारत के डाक प्रशासन द्वारा किया गया समझौता विशेष रूप से किया जायेगा, जब कि भूटान, अमेरीका और ब्रिटेन के में मुद्रित अपने टिकट जारी कर रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : भूटान के साथ द्विपक्ष समझौता करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

नालागढ़ समिति

†११६६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री कौल्ला वैंकैया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालागढ़ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के विषय में आज तक क्या प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अखिल भारतीय कृषि सेवा बनाने के बारे में निर्णय करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) एक विवरण संग्लन है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

उर्वरकों का उत्पादन तथा वितरण

†**११६७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में कोई नीति बनाई है ; और

(ख) उत्पादन और वितरण किस हद तक गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथ में रहने दिया गया है, पिछले तीन वर्षों में और किन शर्तों पर ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). **उत्पादन** : १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत, उर्वरक उद्योग का विकास अनुसूची ख के अन्तर्गत आता है, जिस में वे उद्योग शामिल हैं, जिन्हें स्थापित करने में राज्य पहल करेगा किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र भी राज्य के प्रयत्नों में योग देगा । उस नीति का अनुसरण किया जा रहा है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में नाइट्रोजन के लिये लाइसेंसशुदा/अनुमोदित क्षमता इस प्रकार है :

	टन	
(१) वर्तमान	१०,०००	कुल १२,५९,८०० टनों में से
(२) लाइसेंस शुदा/अनुमोदित	५,२६,५००	
योग	५,३६,५००	

पी–२०५ की वर्तमान ९९,४०० टन क्षमता में से, ८३,४०० टन इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में है ।

वितरण : जबकि सहकारी संस्थाओं को जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं उर्वरकों का वितरण करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, अधिकांश राज्यों में गैर-सरकारी उत्पादक अपना माल—सुपर-फास्फेट और अमोनियम क्लोराइड—बेचने के लिये स्वयं प्रयत्न करते हैं ।

मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तन

†**११६८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तनों के विकास के बारे में अन्तिम स्थिति क्या है ;

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). यह जानने के लिये कि पत्तन नेत्रावती नदी के मुहाने के उत्तर या दक्षिण में बनाया जाये, प्रयोग और जांच समाप्त कर ली गई है । इन से प्रकट होता है कि पत्तन नेत्रावती के मुहाने के उत्तर में बनाया जाये ।

पत्तन का नकशा तैयार करने के लिये भारत सरकार के क्षेत्र विभाग द्वारा विस्तृत जांच, खुदाई और सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । इस के बाद विस्तृत अनुमान और नमूने तैयार किये जायेंगे ।

तूतीकोरिन के सम्बन्ध में भी पत्तन का नकशा तैयार करने के लिये उक्त काम किया जा रहा है । ४० फुट की सतह तक समुद्र के अन्दर २० सुराख किये जा चुके हैं, और इन के परिणामों की परीक्षा की जा रही है । इस के बाद विस्तृत डिजाइन और अनुमान तैयार किये जायेंगे ।

चंडूरू से गुन्टूर तक रेलवे लाइन

†११६९. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुंडूरू से गुन्टूर (दक्षिण) रेलवे तक लाइन, जो कि अनुपूरक लाइन का काम देगी, समाप्त हो चुकी है ।

(ख) चुंडूरू से गुन्टूर कौन सी गाड़ियां भेजी जायेंगी ;

(ग) क्या गुन्टूर का वर्तमान रेलवे स्टेशन इस लाइन का काम भी देगा ; और

(घ) योजना का कुल व्यय क्या है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) कुछ माल गाड़ियां जो चुंडुरू से विजयवाड़ा जाती हैं वेजेन्डला के रास्ते से भेजी जायेंगी ।

(ग) जी नहीं । गुन्टूर के करीब वेजेन्डला–गुन्टूर लाइन को गुन्टूर ताडेपल बड़ी लाइन से मिलाने के लिये, जो गुन्टूर स्टेशन को नहीं जाती एक दूसरे रास्ते को लाइन बनाई गई है । सीधी जाने वाली माल गाड़ियां इस लाइन से जायेंगी ।

(घ) लगभग ५९.१२ लाख रुपये ।

टेलीप्रिन्टर

†११७०. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पुराने समाचार अभिकरण—इन्डियन न्यूज़ सर्विस—को जो टेलीप्रिन्टर दिये गये थे, अब चेन समाचारपत्र द्वारा प्रयोग किये जा रहे हैं, जिन के पास अधिकांश हिस्से हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने चेन समाचारपत्र को उस टेलीप्रिन्टर का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता

†११७१. **श्री प० कुन्हन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सब केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता मंजूर करने के आदेश जारी कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इस के कारण ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). रेलवे के नियमों के अन्तर्गत, उन रेलवे कर्मचारियों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता दी जाती है, जिन्हें अपने बच्च्चों को मुख्यालय से दूर भेजना पड़ता है । वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये रेलवे की योजना के आधार पर ऐसी एक योजना तैयार की है । दोनों योजनायें एक जैसी नहीं, कुछ मामलों में रेलवे के नियम उदार हैं और कुछ में वित्त मंत्रालय के । यह प्रश्न कि वित्त मंत्रालय के नियमों को जिस हद तक रेलवे में लागू किया जाये, विचाराधीन है ।

पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में डाक घर

†११७२. **महाराज कुमार विजय आनन्द** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में जून १९६२ में एक नया डाकघर खोला गया है;

(ख) क्या वह इमारत नई दिल्ली जी० पी० ओ० के लिये थी ; और

(ग) यदि हां, तो वह डाकघर वहां क्यों खोला गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) आयोजना अवस्था में जी० पी० ओ० को वहां ले जाने का विचार था ;

(ग) स्थान की कमी के कारण एक नया और छोटा डाकघर वहां खोला गया था ।

तेल सर्वेक्षण कुओं का पीने के पानी के सम्भरण के लिये प्रयोग

†११७३. **श्री राम रतन गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन तेल सर्वेक्षण कुओं को जिन में से तेल नहीं निकला, पीने के पानी के संभरण के लिये प्रयोग करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या खान और ईंधन मंत्रालय ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) यह प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है और न खान और ईंधन मंत्रालय को निर्दिष्ट की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत के दौरान खान और ईंधन मंत्री ने इस विचार से सहानुभूति प्रकट की थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डाक तार कर्मचारियों के लिये निःशुल्क रेलवे पास

†११७४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तार विभाग के कौन से पदाधिकारियों को निःशुल्क रेलवे पास (कार्ड पास आदि) दिये जाते हैं ;

(ख) इन बातों का कैसे खयाल रखा जाता है कि वे ये पास निजी प्रयोजनों के लिये प्रयोग न करें ;

(ग) क्या संसद् सदस्यों की तरह इन पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अन्तिम स्टेशन पर यात्रा समाप्त करने के बाद कोई फ़ार्म भरना पड़ता है, ताकि इन कार्डों का दुरुपयोग न किया जा सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) एक सूची पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५।]

(ख) दुरुपयोग करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। ये उत्तरदायी पदाधिकारी के कब्जे में रखे जाते हैं और रेलवे कर्मचारी इनका निरीक्षण करते हैं।

(ग) नहीं।

(घ) संसद् सदस्यों द्वारा भरा जाने वाले फ़ार्म लोक/राज्य सभा सचिवालय से देय लेने के प्रयोजन के लिये होता है। डाक तार विभाग के पदाधिकारियों की यात्राओं का व्यय रेलवे द्वारा नहीं दिया जाता ; इसलिये उन्हें वे फ़ार्म नहीं भरने पड़ते।

ओंगोल से हैदराबाद तक रेलवे लाइन

†११७५. **श्री म० ना० स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने तीसरी योजना में ओंगोल से हैदराबाद तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव तीसरी योजना के नई लाइन बनाने के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों की कमी

†११७६. **डा० क० ला० राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में (१) चावल और (२) गेहूं की कितनी कमी रही है :

(ख) इन्हें बाहर से मंगवाने के लिए (१) मूल्य (२) नौवहन और (३) विविध व्यय के सम्बन्ध में कितनी लागत आती है ;

(ग) क्या ऐसी परियोजनायें हैं जिन्हें पहले समाप्त कर लेने से चावल और गेहूं की कमी पूरी की जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का और आयात रोकने के लिए इन में शीघ्रता लाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) चूंकि भारत में बाहर से उपभोक्ता स्वयं उत्पादक हैं, इस लिए खाद्यान्नों की खपत का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है । पिछले तीन वित्तीय वर्षों में केन्द्रीय भंडार से आयात चावल और गेहूं का शुद्धि वितरण इस प्रकार था :

अन्न	(१० लाख मीट्रिक सौ में) मात्रा
चावल	१.०
गेहूं	९.५

इस प्रकार पिछले तीन वर्षों में औसतन ३३,०००० टन चावल की कमी और ३२ लाख टन गेहूं की कमी का अनुमान है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में बाहर से चावल और गेहूं मंगवाने का औसत आर्थिक व्यय इस प्रकार था ;

(सभी दरें रुपयों में मीट्रिक टन के हिसाब से)

वस्तु	अन्न का मूल्य	समुद्र का भाड़ा	भारत में आनुशंगिक व्यय	योग
चावल . . .	४२.०४	४७.२९	४९.८३	५६९.१६
गेहूं . . .	२८५.३७	४०.८०	६१.२७	३६.४४

(ग) और (घ). देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने के हर संभव पग उठाये जा रहे हैं । तीसरी योजना की योजनाएं यथासंभव शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित की जा रही हैं और आशा है कि यदि तीसरी योजना की अवधि में १००० लाख टन अन्न का लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो देश आत्म-निर्भर हो जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

विमान दुर्घटनाएं

†११७७. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री सरकार मुरमु :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में अब तक देश के विभिन्न मार्गों पर आई० ए० सी० के विमानों को कितनी और किस प्रकार की दुर्घटनाएं पेश आयीं ; और

(ख) किन प्रकार की जांचें की गईं और उनके निर्णय ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). आई० ए० सी० के विमानों को चालू वर्ष में दो मुख्य दुर्घटनाएं पेश आई। एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]

बम्बई में बूचड़खाना

११७८. श्री तन सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में एक नया बूचड़खाना (देवनार बूचड़खाना) खोलने की योजना बनाई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें प्रतिदिन ६०० भेड़-बकरी, ३०० गाय-बैल और १०० सूअर काटने की क्षमता होगी ;

(ग) इस योजना पर कितना रुपया खर्च किया जायेगा ;

(घ) केन्द्रीय सरकार योजना में कितनी धन-राशि और किस शर्त पर खर्च करेगी ; और

(ङ) क्या सरकार को अब तक किसी से इस योजना के विरुद्ध विरोध-पत्र भी प्राप्त हुए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) बान्दरा में स्थित वर्तमान बूचड़खाना जिसे बने हुए ९५ वर्ष हो चुके हैं, अपनी उपयोगिता के समय से भी अधिक समय तक कार्य कर चुका है। शहर का विस्तार होने के कारण अब वह रिहायशी क्षेत्र के मध्य में आ गया है जिससे वहां पर अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें पदार्थों के पूर्ण उपयोगिता के लिए पर्याप्त प्रबन्ध नहीं हैं। चूंकि बूचड़खाना बर्ड-प्रूफ (Bird roof) नहीं है, उस क्षेत्र के गिद्ध सांता क्रूज एयरपोर्ट पर उतरने वाले बड़े विमानों के लिए भय उत्पन्न करते हैं। बम्बई नगर निगम शहर के मध्य से १८ मील दूर देवनार में एक नए स्थान पर इस वर्तमान बूचड़खाने के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना बनाई है। देवनार बूचड़खाने के चालू हो जाने पर निगम महा-बम्बई के समस्त बूचड़खानों को बन्द कर देना चाहता है। देवनार के प्रस्तावित बूचड़खाने में ३०० पेशुगिर, ६१६० भेड़ तथा बकरे और १०० शूअर प्रतिदिन काटने की क्षमता होगी। यहां यह भी बताना उचित होगा कि आजकल अकेले बान्दरा बूचड़खाने में लगभग २५० पशु ३,५०० भेड़ तथा बकरे पहले से ही काटे जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस बूचड़खाने के निर्माण पर खर्च आने वाली कुल अनुमानित राशि १४६ लाख रुपए है। फिर भी, इस प्रयोजना के लिए राज्य सरकार ने अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना में १२५ लाख रुपए का उपबन्ध किया है।

(घ) इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता के रूप में शत प्रतिशत ऋण देगी।

(ङ) जी हां। इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है।

नाहन की "हिमाचल रेज़िन एण्ड टर्पेन्टाइन फैक्टरी" में आग

†११७९. **श्री तन सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २९ दिसम्बर, १९६१ को नाहन की हिमाचल रेजिन एण्ड टर्पेन्टाइन फैक्टरी" (राल और तारपीन बनाने का कारखाना) में आग लग गई थी ;

(ख) क्या मुख्य 'डिस्टिलरी' और सारे जमा राल को आग लग गई थी, जिस से ७ लाख रुपये की हानि हुई ;

(ग) क्या आग के कारण की जांच की गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या निकले ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां,

(ख) जी हां, रिकार्ड कार्यालय, बायलर, कुछ राल और तारपीन और अन्य इमारतें और शेड। ५२७,००० रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है।

(ग) पुलिस को जांच के लिए कहा गया था।

(घ) जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

कृषि उत्पादन बोर्ड

†११८०. **श्री प्र० के० देव : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ साल पहले स्थापित किये गये कृषि उत्पादन बोर्ड ने क्या काम किया है ;

(ख) क्या सरकार बोर्ड को जारी रखना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो बोर्ड को क्रियाकारी बनाने के लिए सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) अन्तर मंत्रालय कृषि उत्पादन बोर्ड जो कृषि विभाग ने १९५९ में बनाया था, कृषि उत्पादन सम्बन्धी अनुसंधान के अन्तिम परिणामों की जांच करता रहा है और उन के राज्य सरकारों द्वारा प्रचार तथा प्रदर्शन के लिए सिफ़ारिशें करता है, ताकि कृषि में सुधार किया जा सके। यह कृषि उत्पादन सम्बन्धी नई समस्याओं पर भी विचार करता रहा है और अनुसंधान कार्य की प्रगति का पुनरीक्षण भी करता रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) बोर्ड, जो कि एक सलाहकार निकाय था, अपने उद्देश्य पूरे करता रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिनौले और ज्वार-बाजरे के बारे में अनुसन्धान

†११-१. **श्री प्र० के० देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिनौले और ज्वार-बाजरे के बारे में अनुसंधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में जो केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र खोले हैं उनका केन्द्रीय नियंत्रण प्रभावी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन केन्द्रों को सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंपना चहती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना के कार्य की देखभाल करने के लिए सरकार केन्द्र में एक समुचित व्यवस्था कब करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) से (ग). ये केन्द्र क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अधीन हैं जो उन राज्यों के कृषि निदेशकों और प्रशासकीय अधीक्षण में काम करते हैं, जिन में ये केन्द्र स्थित हैं। इन के टैक्नीकल कार्यक्रम भारतीय केन्द्रीय कपास और तिलहन समिति और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा स्वीकार किये जाते हैं। इन केन्द्रों का अक्सर निरीक्षण किया जाता है और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अतिरिक्त कृषि आयुक्त द्वारा उन का टैक्नीकल अधीक्षण किया जाता है जिसके पास ये केन्द्र समय-समय पर अपनी प्रगति का प्रतिवेदन भेजते रहते हैं। यह वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक ढंग से काम कर रही है और इस में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

गंगानगर-हिन्दूमल कोटे रेलवे लाइन

†११८२. **श्री कर्णी सिंहजी:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगानगर से हिन्दूमल कोटे तक बड़ी लाइन बिछाने संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट और प्राक्कलनों का अन्तिम निर्णय हो गया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जी हां।

यातायात नियन्त्रण के लिए एकीकृत संस्था

†११८३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिल्ली में यातायात नियंत्रण के लिये एक एकीकृत संस्था की सिफारिश की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) इस निर्णय को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर):** (क) दिल्ली के मास्टर प्लान में सिफारिश की गयी है कि दिल्ली नगर क्षेत्र की यातायात की समस्याओं का सामना करने के लिये, जिस के लिये अनेक समस्याओं पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है एक प्रशिक्षित यातायात इंजीनियर की अधीनता में एक यातायात विभाग बनाया जाये और यातायात नियंत्रण को लागू करने का काम पुलिस की ही जिम्मेदारी रहे, तथा दोनों के बीच समुचित सम्पर्क रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली का मास्टर प्लान जिसमें उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित सिफारिश की गई है, केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर लिया है ।

(ग) सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये कालान्तर में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी

जाड़े के खेल-कूद के केन्द्र के रूप में कुफरी

†११८४. **श्री हेडा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में "कुफरी" को जाड़े के खेल-कूद के लिये चुन लिया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में अन्य किन-किन स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालयमें नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). की राय पर केन्द्रीय सरकार ने कुफरी में जाड़े के खेल-कूद का केन्द्र बनाने का विचार छोड़ विशेषज्ञों दिया है ।

पर्यटन के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में २०·०० लाख की लागत से गुलमर्ग (काश्मीर) में जाड़े के खेल-कूद का केन्द्र बनाने की योजना सम्मिलित कर ली गई है । यह खर्च सीध केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा। जाड़े के खेल-कूद के विकास में यह भी कहा गया है कि खेल-कूद के उत्साही लोगों को गुलमर्ग से अल्पाथेर ले जाने के लिये एक रज्जुपथ बनाया जाये । इस योजना का समन्वय अणुशक्ति विभाग के साथ किया जा रहा है जो अपने वैज्ञानिकों तथा उपस्कर को गुल मर्ग से अफेरवाट तक ले जाने के लिये एक रज्जु पथ बनाना चाहता है । इस विभाग ने शुरू में चेकोस्लोवाकिया के इंजीनियरों के एक दल द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया था, जिसने रज्जुपथ के लिये मार्ग का सुझाव दिया था । पर्यटन विभाग के अनुरोध पर आस्ट्रलिया के जाड़े के खेल-कूद के एक विशेषज्ञ ने दिसम्बर १९६० में उस क्षेत्र का दौरा किया और उसने रज्जुपथ के मार्ग में थोड़ा परिवर्तन का सुझाव दिया । जाड़े की ऋतु में गुलमर्ग तक पहुंचने के उपाय के लिये उसने सुझाव दिया कि तंगमर्ग से गुलमर्ग तक सभी मौसमों में काम आने लायक एक मोटर सड़क बनाने का सुझाव दिया । उसने सुझाव दिया कि यदि तंगमर्ग से गुलमर्ग तक का रास्ता जाड़ों में भारी वर्फ के कारण खला न रहे तो तंगमर्ग और गुलमर्ग के बीच भी एक रज्जुपथ बनाया जाय । इस योजना के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर अणुशक्ति विभाग ने सितम्बर-अक्तूबर १९६१ में एक फ्रांसीसी परामर्शदाता इंजीनियर की सेवायें उपलब्ध कराईं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सारी योजना की अनुमानित लागत तैयार करने के लिये सभी सुझावों का व्यवहारिक सर्वेक्षण कर रहा है । अतः अभी ब्यौरे तथा वित्तीय खर्च के ब्यौरे तैयार नहीं हैं ।

गुलमर्ग में जाड़े के खेल-कूद का केन्द्र बनाने की योजना बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकृष्ट करेगी । परन्तु सुविधायें सभी पर्यटकों के लिये देशी पर्यटकों के लिये भी उपलब्ध होंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में इमारती लकड़ियों के लिये वैगन

†११८५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की कमी के कारण पंजाब में इमारती लकड़ी के कारबार को बड़ा धक्का पहुंचा है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक वैगन देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में डाकघर

†११८६. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में पंजाब के देहाती क्षेत्र में कितने नये डाक घर खोले गये; और

(ख) १९६१–६२ में पंजाब के देहाती क्षेत्र में कितने नये डाकघर खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) २८४ ।

(ख) १९५ ।

नंगल में टेलीफोन कनेक्शन बांध

†११८७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल उपनगर (पंजाब) में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिये आवेदन-पत्र दिया और उन्हें अभी तक टेलीफोन नहीं दिये गये हैं; और

(ख) उन्हें कब तक टेलीफोन दिये जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) १६ ।

(ख) नंगल में नया एक्सचेंज खुल जाने के बाद कनेक्शन दिये जायेंगे । सामान की सप्लाई निश्चित न होने के कारण इस समय कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती ।

ओखला के पास यमुना पर बांध

†११८८. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बिजलीघर राजघाट को पर्याप्त मात्रा में पानी का संभरण तथा उसके कूलिंग प्लांट के लिये पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिये जमुना के मार्ग को स्थिर बनाने के उद्देश्य से ओखला के पास जमुना पर एक बांध बनाने की योजना पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग विचार कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और इस समय मामला किस स्तर पर है ?

†सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) योजना के ब्यौरे का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है । इस समय पूना अनुसन्धान केन्द्र पर आदर्श प्रयोग किये जा रहे हैं ।

आसाम में चेचक

†११८९. **श्री बसुमतारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम कितने चरणों में पूरा किया जायेगा; और

(ग) कार्यक्रम के पहले चरण में किन प्रशासकीय जिलों को लिया जायेगा ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यक्रम दो चरणों में पूरा किया जा रहा है ।

(ग) पहले चरण में ४ एकक काम करेंगे और इसमें पांच जिले आयेंगे ?

(१) ग्वालपाड़ा ।

(२) नवगांव

(३) सिवसागर

(४) गारो पहाड़ियां और

(५) संयुक्त मिकिर और उत्तरी कचार पहाड़ियां ।

कलकत्ता से मुगलसराय तक बिजली की रेलगाड़ियां

११९०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से मुगलसराय तक बिजली से रेल चलाने का काम पूरा हो चुका है, और यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगा;

(ख) क्या इसी वर्ष में बिजली से इस लाइन पर गाड़ियां चलने लगेंगी और, यदि हां, तो कब से ?

(ग) क्या इस बिजली से गाड़ी चलने वाली योजना को और भी बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और कब तक वह पूर्ण हो जायेगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). एक विवरण साथ नत्थी है।

विवरण

(क) हावड़ा-बंडेल-बर्दवान सेक्शन पर (मेन लाइन के रास्ते) ३००० वोल्ट डी० सी० प्रणाली के अनुसार बिजली लगायी जा चुकी है और दुर्गापुर-मुगलसराय सैक्शन पर भी २५ किलोवाट ए०

†मूल अंग्रेजी में

सी० प्रणाली के अनुसार बिजली लगायी गयी है। आशा है कि दिसम्बर, १९६४ तक बर्दवान दुर्गापुर के बाकी टुकड़े पर भी बिजली लगाने का काम पूरा हो जायेगा।

(ख) हावड़ा-बर्दवान सेक्शन पर १९५९ से बिजली की गाड़ियां चल रही हैं। दुर्गापुर-मुगलसराय सेक्शन पर मार्च, १९६१ और जुलाई १९६२ के बीच अलग अलग चरणों में बिजली लगायी गयी थी और माल गाड़ियों को बिजली द्वारा चलाने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) और (घ) नीचे लिखे सैक्शनों पर या तो बिजली लगायी जा चुकी है या तीसरी आयोजना के दौरान उनपर बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है और नियत तिथि हर एक के सामने दी गयी है :—

	मार्ग किलोमीटर	नियत तिथि
दक्षिण-पूर्व रेलवे		
आसनसोल-सिनी-टाटानगर-राउरकेला, जिसमें राज खरसवां–दांगोपोसी सैक्शन (मार्ग कि० मी० ७५) शामिल नहीं है, जहां दूसरी आयोजना की अवधि में बिजली लगाई गई थी।	३३२	बिजली गाड़ियां चलाना अलग-अलग चरणों में पहले ही शुरु हो चुका है।
खड़गपुर–टाटानगर . . .	१३३	१९६२ के अन्त तक
हावड़ा–खड़गपुर . . .	११५	दिसम्बर, १९६५
अतिरिक्त शाखा लाइनें . .	१७२	१९६२ के अन्त से मार्च, १९६४ तक
पूर्व रेलवे		
सियालदह–रानाघाट ; दमदम–बनगांव .	१४३	जून, १९६३
सियालदह (दक्षिण) . .	१८७	मार्च, १९६५
वारिया–बर्दवान डॉक्स . .	१९७	दिसम्बर, १९६४
उत्तर रेलवे		
मुगलसराय–इलाहाबाद और इलाहबाद–कानपुर . .	३४९	सितम्बर, १९६४ सितम्बर, १९६५
मध्य रेलवे		
इगतपुरी–नंदगांव और नंदगांव–भुसावल . .	३०८	जून, १९६५ मार्च, १९६६
दक्षिण रेलवे		
मद्रास–ताम्बरम्–विषुप्पुरम् . .	१६०	दिसम्बर, १९६३

†मूल अंग्रेजी में

पत्तनों के प्रभार[1]

†११९१. **श्री प्र० के० देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते के व्यापारी संघ ने भारत के विभिन्न पत्तनों पर समान प्रभार लिये जाने की मांग की है ;

(ख) क्या देश के विभिन्न पत्तनों पर भिन्न-भिन्न पत्तन प्रभार हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं। व्यापारी संघ से सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) जी हां।

(ग) पत्तन के प्रभार मूलत: पत्तन के संधारण की लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं। परन्तु विभिन्न पत्तनों पर भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मामले में प्रभार अलग-अलग हो सकते हैं, इसमें अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे सामान के आवागमन की मात्रा, सामान की किस्म, उसे उतारने-चढ़ाने के ढंग। साथ ही निर्यात सम्बद्धन और आयात के मामलों में जनता के लिये उस सामान की जरूरत आदि का भी ध्यान रखा जाता है।

एन्नोर में तापीय बिजली सन्यन्त्र

†११९२. **श्री प्र० के० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार की मांग पर एन्नोर में एक तापीय बिजली संयंत्र बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तापीय बिजली संयंत्र को कोयला कहां से दिया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में कृषि

†११९३. **श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के विशेषज्ञ दल ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कृषि के विकास के लिये अपना काम शुरु कर दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Port Charges.

(ख) इस के लाभप्रद परिणामों को पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती पहाड़ी भागों के लाभ के लिये कैसे उपलब्ध कराया जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) यह सोचना समय से बहुत पहले है । कार्यक्रम कुछ समय तक चलने और लाभप्रद सिद्ध होने के बाद यह प्रश्न पैदा होगा ।

पठानकोट रेलवे स्टेशन पर भारिक

†११६४. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में पठानकोट रेलवे स्टेशन के लिये कितने भारिक (पोर्टर) मंजूर किये गये ;

(ख) १९६१ और १९६२ में क्रमशः कितनी वृद्धि की गई ;

(ग) क्या पठानकोट के पोर्टरों की यूनियन ने रेलवे अधिकारियों से मांग की है कि पोर्टरों और रेलवे अधिकारियों की एक समन्वय समिति बनाई जाये जैसी कि जलंधर में बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ८५ ।

(ख) मई, १९६१ में संख्या बढा कर ९५ और अप्रैल तथा नवम्बर के बीच जून १९६२ से प्रभावी बना कर १२० कर दी गई ।

(ग) और (घ). जी हां, वैसी ही एक समिति बना दी गयी है जैसीकि जलंधर में है ।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†११९५. **श्री प० कुन्हन्** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में हर साल और सारे देश में तथा हर सर्किल में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टर बनवाये गये ।

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण†

गत पांच वर्षों में बनवाये गये क्वार्टरों की संख्या

सर्किल का नाम	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२	योग
आसाम . .	६५	७५	३०	३२	२७	२२९
आन्ध्र . .	१२	..	१	४४	..	५७
बिहार . .	४	१०	..	..	..	१४
बम्बई . .	११	६	..	२४	२९२	५३३
केन्द्रीय . .	४०	३	..	..	..	४३
दिल्ली . .	४०	..	१२	१४	३६	१०२
गुजरात . .	..	..	..	२	१५४	१५६
केरल .	८	२	५	३	४	२२
मद्रास . .	..	७	२	५	..	१४
मैसूर . .	२५	२	..	..	२	२९
उड़ीसा . .	..	..	१०	१	४	१५
पंजाब . .	१५	१०२	४४	..	९	२७०
राजस्थान . .	..	..	..	६६	३	६९
उत्तर प्रदेश . .	३९	२७	१२८	११९	२१	३३४
पश्चिम बंगाल . .	८	४	२	७	९	३०
कलकत्ता जिला .	१४	१२	..	..	१२	३८
बम्बई जिला . .	..	..	..	..	९९	९९
योग .						२०५४

मछली पकड़ने की मशीनी नावें

†११९६. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्का द।५ ५। ८९। वालों को मछली पकड़ने की मशीनी नावें सरकारी सहायता प्राप्त मूल्य पर बचने की योजना मंजूर कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना में मशीनी नावों के इंजन १०० प्रतिशत सरकारी सहायता पर और नावों का ढांचा २५ प्रतिशत सरकारी सहायता पर देने की बात है। नावों की लागत और सरकारी सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :—

ब्योरा	कुल औसत लागत	सरकारी सहायता	स्वीकृत लागत
	रु०	रु०	रु०
२५' नाव . .	१४,३३६	७,३७४	६,९६२
३०' नाव .	२२,१९५	१२,०५१	१०,१४४

आपातकालीन बिजली उपस्कर का निर्माण

†११९७. **श्री प्र० के० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दक्षिण-पूर्वी रेलवे वर्कशाप में आपातकालीन बिजली उपस्कर बना लिया गया है और रात में दुर्घटना के समय सहायता काम की सुविधा के लिए उसे गाड़ियों में लगा दिया गया है ;

(ख) किन-किन गाड़ियों में यह सुविधा कर दी गई है ; और

(ग) क्या अन्य रेलवे में भी ऐसी सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया गया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) दक्षिण-पूर्वी रेलवे की बड़ी लाइन की सब मेल, एक्सप्रैस और दूर जाने वाली मेन लाइन की पैसेंजर गाड़ियों में ।

(ग) जी हां। भारतीय रेलवे की पैसेंजर गाड़ियों में भी धीरे-धीरे यह उपस्कर लगाया जा रहा है।

गलियारे वाले रेल डिब्बे म 'एटेंडेंट'

†११९८. **श्री प्र० के० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेल गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के गलियारे वाले डिब्बों में 'एटेंडेंट' दिए गए हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :** आरम्भ में कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों पर प्रथम श्रेणी के गलियारे वाले डिब्बों में 'एटेंडेंट' रखे गए हैं ।

उर्वरकों का मूल्य

†११९९. **श्री रा० शि० पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों और रोपणों को दिए जाने वाले अमोनियम सलफेट और अन्य उर्वरकों के परचून मूल्यों में कुछ अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) हां, एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ख) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'ऐलोपेसिया युनिवर्सलीस'[1]

†१२००. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ऐलोपेसिया यूनिवर्सलीस' के इलाज के लिए भारत में कोई सुविधाएं हैं ;

(ख) क्या सरकार इस बीमारी के इलाज में विदेशों में औजारों और रुजालय सम्बन्धी प्रतीत से अवगत है ;

(ग) क्या इस देश में इसी प्रकार के प्रयोगों और इलाज के तरीकों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ किया जा रहा है ; और

(घ) क्या भारत में इस बीमारी के आपात और उस के विशेष कारणों के बारे में विशिष्ट आंकड़े हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (घ). देश में सब सामान्य हस्पतालों में ऐलोपेसिया युनिवर्सलिस के इलाज के लिए सुविधाए हैं । इस बीमारी के लिए कोई विशिष्ट औषधि नहीं है, परन्तु कुछ हालतों में कौरटोसोन परिवार की कुछ औषधियां आराम देती हैं । "सरीरौअड" का प्रभाव पक्का नहीं है और अलौपेसिया युनिवर्सलिस पुन: हो जाती है यदि खुराक कम कर के ६ मिलीग्राम कर दी जाए । कार्टिसोन का लगातार प्रयोग ठीक नहीं होता ।

इस बीमारी के आपात के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । कुछ मामलों में यह रोग स्पर्श से फैलता है और मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण भी हो जाता है ।

उज्जैन-आगर छोटी लाइन

१२०१. **श्री बड़े** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन-आगर छोटी लाइन में सन् १९५८ से १९६१ तक अलग-अलग प्रतिवर्ष कितना खर्च एवं कितनी आमदनी हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उज्जैन से छतरपुर, आगर होकर बड़ी लाइन की कोई रूपरेखा सरकार के सामने है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** :

(हजार रुपयों में)

	वर्ष	खर्च	आमदनी
(क) (अ)	१९५८-५९ .	३२१	१८९
	१९५९-६० .	३४०	१,६६ (संशोधित आकड़े)
	१९६०-६१ .	२९०	*१,८९

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Alopecia universalis

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) ये आंकड़े आनुमानिक आधार पर निकाले गये हैं, क्योंकि रेलवे लाइनों के हर सेक्शन के खर्च और आमदनी का निश्चित हिसाब अलग-अलग नहीं रखा जाता ।

प्रतीक्षालय

१२०२. **श्री बड़े** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के जावद रोड स्टेशन (नीमच-अजमेर लाइन) पर प्रतीक्षालय नहीं है ;

(ख) क्या इस विषय में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था से है । यदि ऐसा है, तो इसका उत्तर है, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस बारे में जांच की गई थी जिससे पता चला कि इस स्टेशन पर आने-जाने वाले ऊंचे दर्जे के यात्रियों की संख्या को देखते हुए यहां ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय बनाने का औचित्य नहीं है । इसकी सूचना प्रतिवेदन करने वालों को दे दी गयी थी ।

दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१२०३. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहिली और दूसरी योजना में रेलवे कर्मचारियों के लिये दिल्ली में कितने क्वार्टर, कहां कहां पर बनाये गये ;

(ख) क्या इन क्वार्टरों में बिजली लगाई गई है ; और

(ग) क्या उनमें बिजली के पंखे भी लगाये गये हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) दिल्ली क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के लिये ७७७३ क्वार्टर बनाये गये । पहिली और दूसरी योजना में बनाये गये क्वार्टरों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है । जानकारी एकत्र की जा रही है । इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

ये क्वार्टर निम्नलिखित स्थानों में बनाये गये हैं । दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली किशनगंज, दयाबस्ती, शकूरबस्ती, सब्जी मंडी, निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, लाजपतनगर, सेवानगर, लोदी कालोनी, सरोजिनी नगर, दिल्ली सफदरजंग, तिलक ब्रिज, कालेजलेन, बसंतलेन, चेम्सफोर्ड लेन, पचकुइंया रोड, वुलवार्ड रोड, श्री राम रोड, दिल्ली क्वींन्स रोड, सराय फूस, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली लाहोरी गेट, मोतिया बाग, हेयिल्ल रोड, मोरे सराय, पटेल नगर, दिल्ली कैंट, पालम, मिंटो ब्रिज, कालेज लेन ।

(ख) उनमें से ८८ प्रतिशत क्वार्टरों में बिजली लग चुकी है ।

(ग) ४०.५ प्रतिशत क्वार्टरों में बिजली के पंखे लग चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की इमारतों में दरारें

†१२०४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे की छोटी लाइन के अहमदाबाद स्टेशन की नवनिर्मित इमारतें में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं ।

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) और (ख). जी, नहीं । केवल तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में आर० सी० सी० बीच और उसके नीचे की ईंटों के बीच एक पतला छेद दिखाई दिया था । यह तापक्रम के परिवर्तन से हो गया था ।

निम्न दामोदर क्षेत्र में सूखा

†१२०५. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दामोदर घाटी निगम परियोजना के अरम्भ होने के दिन से दामोदर घाटी के नम्न क्षेत्र ये सूखा पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार या दामोदर घाटी निगम के पास स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अल गेशन)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

होगोई डाकघर (आसाम) में डकैती

†१२०६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८–२९ जुलाई, १९६२ को आसाम के हगोई डाक तथा तार कार्यालय में दुस्साहसिक डकैती हुई;

(ख) यदि हां, कितनी राशि लूटी गई तथा डकैती में कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां ।

(ख) रुपये ५४८३.२४ न० पै० । उप पोस्ट मास्टर घायल हुआ है ।

(ग) पुलिस ने संदेह के आधार पर ५ व्यक्तियों को पकड़ा है ।

आदिम जाति क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य

१२०७. **श्री उटिया** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र के आदिवासी प्रधान क्षत्रों में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या विशेष प्रयास १५ जुलाई, १९६२ तक किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीलानायर) :सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

भाखड़ा बांध परियोजना

†१२०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध परियोजना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) केवल उन्हें छोड़ कर जिन्हों ने प्रतिकर की वृद्धि के लिये दीवानी न्यायालयों में अपील की है या जो भुगतान लेने नहीं आये हैं, उन्हें छोड़ कर सभी व्यक्तियों को प्रतिकर दे दिया गया है ।

(ख) २,९९,०१, ७५८ रुपये ।

दिल्ली में बिजली की दरें

†१२०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रकाश, पंखे, घर के काम आने वाली विद्युत् तथा औद्योगिक प्रयोग में आने वाली विद्युत् के लिये एक रूप दरें निश्चित करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री अलगेशन)**: इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि नई दिल्ली न्यू निमित क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्रों में भी वही दरें लागू की जायेंगी जो दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम के अधीन क्षेत्रों में लागू हैं। इस संबंध में एक समिति नियुक्त की गई थी। उस का प्रतिवदन प्राप्त होने वाला है ।

नरेला और शाहदरा में गैर-सरकारी लायसेन्सदारों के द्वारा बिजली का संभरण किया जाता है। उन्हें दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम द्वारा लिये जाने वाली दरें लेन को विवश नहीं किया जा सकता है ।

रिक्शा चलाने वालों की समिति

†१२१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रिक्शा चलाने वालों की समिति की स्थापना की जायेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) संघ को कितना और किस रूप में वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** (क) दिल्ली में रिक्शा चलाने वालों की चार सहकारी समितियां हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने उनमें से एक को स्वीकृत नियमों के अधीन वित्तीय सहायता देने का विचार किया है जिन के अधीन ऋण के रूप में ९०,००० रुपये रिक्शा खरीदने को और ९०० रुपया व्यवस्था के लिये सहायता अनुदान के रूप में दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में विद्युत् की खपत

†१२११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६२ को पंजाब में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है; और

(ख) कम खपत के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन):** (क) और (ख). १ अगस्त १९६२ के प्रतिव्यक्ति विद्युत् की खपत के संबंध में आंकड़े एकत्रित नहीं किये जा सके हैं। वर्ष १९६१-६२ को पंजाब में प्रति व्यक्ति विद्युत् की खपत ६२.९ किलोवाट है। यह खपत कई राज्यों की तुलना में अधिक है।

एयर इंडिया की पुस्तिकाओं का विदेशों में प्रकाशन

†१२१२. **श्री काजरोलकर :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रा० प्र० सिंह :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा विदेशों में ब्रोशरों, किताबों, फोल्डरों पोस्टरों, तथा टिकटों की छपाई में प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है;

(ख) ये पुस्तकें विदेशों से क्यों छपवाई जाती हैं;

(ग) इस में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती):** (क) एयर इंडिया निगम द्वारा १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में विदेशों में टाइम टेबलों, टिकटों तथा पुस्तिकाओं की छपाई में किया गया व्यय इस प्रकार है :

१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२
६३७,५०० रुपये	८२९,००० रु०	१२,२४,४०० रु०

(ख) विदेशों में इन प्रकाशनों की छपाई के कारण इस प्रकार हैं :

(१) निगम द्वारा यूरोप में छापारे गये टाइम टेबलों में अंग्रेजी के अलावा फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन भाषायें रहती हैं। इन का प्रकाशन जनेवा में किया जाता था। तथापि अब एयर इंडिया ने पूरे आकार का टाइम टेबल भारत में प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया है।

(२) यात्री टिकट, अतिरिक्त सामान के टिकट विविध प्रचार, आदेश का कूपन।

इन में एक विशेष प्रकार का कार्बन पेपर रहता है जिस का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। अतः उन के मुद्रण के आर्डर जापानी फर्म को दिये गये थे क्योंकि उन के टेंडर सब से कम थे, तथापि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का विकास विभाग इस प्रकार के कागज के उत्पादन की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) **विशेष बूईंग ब्रोशर** : इस कार्य के लिये रंगीन टिश्यू पेपर का भारत में उत्पादन नहीं होता है। इस के लिये भी जापानी फर्म के टेंडर सब से कम थे इसलिये उसी फर्म को आर्डर दिया गया।

(४) **बिक्री पत्र, यात्रा फोल्डर बुलेटिन इत्यादि** । उक्त वस्तुओं की सामग्री स्थानीय आवश्यकता पर निर्भर करती है। उन का व्यवहार निगम के विदेशों में काम करने वाले अधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रचार के लिये किया जाता है। भारत में इन वस्तुओं के प्रकाशन से न केवल असुविधा होगी अपितु पर्याप्त विलम्ब भी होगा। फार्मों को प्रतियोगी दरों से छपवाने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें स्थानीय रूप से ही छपाया जाये जिस से वे आवश्यकता होने पर उपलब्ध हो जायें।

(ग) भाग (क) के अधीन जिस राशि का उल्लेख किया गया है वह सारी राशि विदेशी मुद्रा में है।

टिप्पण : (१) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में जो राशि दिखाई गई है उस में कुछ अन्य मदों जैसे डाकटिकट परिवहन व्यय भी शामिल है। निगम द्वारा इस के लिये कोई पृथक् लखे नहीं रखे जाते हैं।

(२) १९५९–६० के दौरान न्यूयार्क मार्ग से बाहर था। अतः प्रकाशन पर व्यय कम था। १९५९–६० में भी वर्ष के एक भाग से ही न्यूयार्क विमान मार्ग के भीतर आया। उस वर्ष व्यय बढ़ गया। १९६१–६२ में न्यूयार्क के मार्ग में आने के साथ साथ अमेरिका में कई बिक्री कार्यालय खोले गये। अतः बिक्री बढ़ाने वाले साधनों के मद में व्यय पर काफी वृद्धि हुई।

गाजियाबाद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये शटल सेवायें

†१२१३. **श्री सोलंकी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद के विभिन्न कालेजों में पढ़ने वाले लड़कों के लिये दिल्ली से गाजियाबाद के लिये कोई शटल सेवा है;

(ख) क्या उस में महिलाओं के लिये पृथक् डिब्बे हैं,

(ग) क्या महिलाओं के डिब्बे में लड़कियों से अधिक लड़के बैठते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे पुलिस के कर्मचारी और अफसर महिलाओं के विरुद्ध यह छेड़छाड़ क्यों नहीं रोकते हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) केवल विद्यार्थियों के लिये कोई शटल गाड़ी नहीं है तथापि ३३१-अप नई दिल्ली-अमृतसर यात्री गाड़ी जो नई दिल्ली से ५.०५ बजे रवाना होती है गाजियाबाद में ६.२७ बजे पहुंचती है, वह प्रातः पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ले जाती है। इस के अतिरिक्त विद्यार्थी अन्य कई गाड़ियों में यात्रा करते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) १२ वर्ष से कम आयु के बालकों को महिलाओं के डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति है। तथापि डिब्बों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक नहीं रहती है।

(घ) वर्तमान नियमों के अधीन महिला डिब्बों में वे ही यात्रा कर सकते हैं जो उस के अधिकारी हैं। नियमों पर पाबन्दी रखने के लिये आवश्यक पुलिस दल रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैडीकल कालेज

†१२१४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिये, मैडिकल कालेज में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये सीटें सुरक्षित की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक संख्या में विद्यार्थियों को लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कुछ संगठनों को से विद्यार्थियों को लाने के लिये प्रचार करने को कहा गया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी, हां। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मैडिकल कालेजों में स्थान सुरक्षित किये गये हैं।

(ख) और (ग). इस बात का समाचार पत्रों में तथा कालेज नियमावलियों के द्वारा प्रचार किया जाता है ।

दिल्ली में घी की कीमतें

†१२१५. **श्री अ० ब० राघवन्** :
श्री पोट्टेकटि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली में कीमतें चढ़ी हैं; और

(ख) सरकार कीमतों को कम करने के लिय क्या कदम उठा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में सीधी प्रतिबन्धित कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है । तथापि यह आशा की जाती है देश में चीनी उत्पादन, तिलहन उत्पादन तथा दुग्ध पदार्थों की वृद्धि होने पर स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से सुधार होगा ।

नीदरलैंड के साथ पशुओं की अदल बदल

†१२१६. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चिड़ियाघर के बाघों तथा सारसों को नीदरलैंड की किसी गैर-सरकारी फर्म के द्वारा यूरोपीय जानवरों से बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता कहां तक क्रियान्वित हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) १९६० में दिल्ली चिड़ियाघर और हालैण्ड की एक सुप्रसिद्ध फर्म मैसर्स वान डेन ब्रिंक के साथ एक जोड़े शेर के बच्चों, ५ चित्तेदार हिरणों, ३५ सारसों, २ जोड़े लकड़ बग्घों के बदले ६ मैको तोते, २४ बटेरों और एक जोड़ा चिम्पांजी प्राप्त करने का समझौता किया गया था इस वस्तु विनिमय का मूल्य ९१२० रु० है ।

(ग) २ शेरों के बच्चे तथा २० सारस जिनकी कीमतें ४७२६ रु० है दिल्ली चिड़ियाघर से भेजे गये । इसके बदले १३ बाज और ६ मैको तोते जिनकी कीमत ३३३० रु० है प्राप्त किये गये । फर्म ने मूल समझौते की अवशेष शर्तें पूरी करने में अपनी असमर्थता दिखलाई । वे अवशेष राशि को नगद या अन्य नस्लों के जानवरों के रूप में देने को तैयार हैं । यह तय किया गया है कि १० दुर्लभ बटेर प्राप्त करने के पश्चात्, जिनकी कीमत १३९६ रु० है यह सौदा समाप्त कर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में आम की फसल

†१२१७. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में आम की फस्ल इस वर्ष बहुत अच्छी हुई है ;

(ख) यदि हां, अन्य किन राज्यों में आम की फस्ल अच्छी हुई है ; और

(घ) आमों की फस्ल इतनी अच्छी होने का क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) से (ग). इस वर्ष कुछ राज्यों में आमों की फस्ल असाधारण रूप से अच्छी हुई है। अन्य राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है उसे यथा समय पटल पर रख दिया जायेगा।

गन्ने की कीमत

१२१८. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ के मौसम में किस राज्य में वास्तव में किस दर पर गन्ने के दाम दिये गये हैं ;

(ख) एक राज्य से दूसरे राज्य के दाम में अन्तर होने का क्या कारण है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में गन्ने की खेती में प्रति एकड़ औसतन क्या खर्चा पड़ता है ; और

(घ) किस राज्य में किसानों के गन्ने का कितना दाम बाकी है और उसे भुगतान करने का क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). १९६१-६२ में महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ कर समस्त भारत में गन्ने की मिल के दरवाज़े पर पहुंच की न्यूनतम कीमत १ रु० ६२ न० पै० प्रति मन और रेल स्थित केन्द्रों पर १ रु० ५० न० पै० प्रतिमन थी। मिलों ने सड़क से गन्ना ले जाने का खर्चा काट कर यही कीमतें चुकाई थीं। पहली मई के बाद पेरे गए गन्ने पर साप्ताहिक उपलब्धि में प्रत्येक ०.१ प्रतिशत की कमी होने से उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में १.५ न० पै० प्रतिमन की छूट सप्ताह में ९ प्रतिशत से कम उपलब्धि होने पर दी जाती थी। इसके अतिरिक्त, गन्ना उत्पादक, यदि वे इसके हकदार थे, तो विलम्बित भुगतान के अधिकारी भी थे। महाराष्ट्र और गुजरात में समेकित कीमत (न्यूनतम कीमत जमा विलम्बित भुगतान) नियत है और पिछली फस्ल की उपलब्धि के आधार पर १९६१-६२ में मिलों द्वारा दी जाने वाली कीमत यह थी :

महाराष्ट्र		गुजरात	
	(रु० प्रति टन)		(रु० प्रति टन)
११ प्रतिशत से कम उपलब्धि	५२/-	१० प्रतिशत से कम की उपलब्धि	४८/-
११ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन ११.५ प्रतिशत से कम उपलब्धि	५३/-	१० प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १०.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५०/-
११.५ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५४/-	१०.५ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन ११ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५२/-
१२ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५५/-	११ प्रतिशत और इससे अधिक किन्तु ११.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५३/-

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र	गुजरात
१२.५ प्रतिशत और इससे अधिक की उपलब्धि ५६/-	११.५ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२ प्रतिशत से कम की उपलब्धि ५४/- १२ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि ५५/- १२.५ प्रतिशत और इससे अधिक की उपलब्धि ५६/-

(ग) प्रत्येक राज्य में गन्ने के उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) १५ जुलाई, १९६२ को १९६१-६२ की फसल की उपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]

गन्ने की पिछली शेष कीमत का शीघ्र भुगतान करने के लिये राज्य सरकारों को कह दिया गया है ।

मुजफ्फरपुर रेलवे मेल सेवा की इमारत

†१२१९. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से मुजफ्फरपुर की आर० एम० एस० इमारत में शौचालय तथा जल सम्भरण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ;

(ग) बिहार डाक खण्ड के डब्लू डिवीजन में रेलवे मेल सेवा के कितने कार्यालय काम कर रहे हैं ; और

(घ) इन इमारतों में शौचालय कब तक बन जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती):** (क) मुजफ्फरपुर आर० एम० एस० इमारत में एक शौचालय तथा पानी का नल था । जिसे अगस्त १९६० को गिरा दिया गया । इसके पश्चात् से रायल मेल सेवा के कर्मचारी रेलवे प्लेटफार्म में सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहे हैं । मेल कार्यालय के निकट एक पानी का नल है जहां कर्मचारी पीने तथा अन्य प्रयोजनों के लिये पानी का संग्रह करता है ।

(ख) मुजफ्फरपुर रेलवे मेल सेवा की इमारत में शौचालय तथा पानी की व्यवस्था पर विचार चल रहा है । मामले के सम्बन्ध में रेलवे से बातचीत की गयी है ।

(ग) कदाचित 'डब्लू' डिवीजन का तात्पर्य 'यू' डिवीजन से है । रेलवे मेल सेवा कार्यालय छपरा, दरभंगा समस्तीपुर और मामली में हैं । सोनपुर, मुजफ्फरपुर, बरौली व कटिहार में अभी शौचालय नहीं बनाये गये हैं ।

(घ) रेलवे ने बरौनी और कटिहार में शौचालय बनाने से इंकार कर दिया है । इन स्टेशनों में उक्त सुविधायें देने के सम्बन्ध में रेलवे को लिखा जायेगा । मुजफ्फरपुर के बारे में भाग (ख) में पहिले ही बताया जा चुका है ।

†मूल अंग्रेजी में

विलिंगडन अस्पताल नई, दिल्ली

†१२२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में औसतन कितने बीमारों का इलाज किया गया है ;

(ख) क्या बीमारों की संख्या बढ़ रही है ;

(ग) अस्पताल में कितने व्यक्ति कार्य करते हैं ;

(घ) क्या सरकार यह समझती है कि इतने कर्मचारी बीमारों का इलाज करने के लिये काफी है ; और

(ङ) यदि नहीं तो अस्पताल में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क)

मई १९६२	१७८५
जून १९६२ . . .	१७३२
जुलाई १९६२	१८३१

(ख) जी हां।

(ग) प्रथम श्रेणी १ तथा २ . . . . ४०

तृतीय श्रेणी २२६

चतुर्थ श्रेणी ३३०

(घ) तथा (ङ). जी हां। बीमारों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाने के कारण केजुएलिटी तथा अस्पताल के बाहर से आने वाले व्यक्तियों में वृद्धि की जांच की जा रही है और उसके बाद ही इस बारे में निर्णय किया जायेगा।

केन्द्रीय नदी बोर्ड समिति

†१२२२. **डा० श्रीनिवासन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई केन्द्रीय नदी बोर्ड समिति बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस किस्म का बोर्ड होगा तथा उसके कार्य क्या होंगे ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नदी बोर्ड अधिनियम १९५६ में, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार देश में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय नदी घाटी के लिये एक केन्द्रीय नदी बोर्ड समिति बनाने की सोच रही थी, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

भारत की बड़ी नदियां

†१२२३. **डा० श्रीनिवासन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बड़ी बड़ी नदियां कितनी हैं ; और

(ख) इनमें से कितने प्रतिशत पानी (१) सिंचाई (२) विद्युत् (३) पीने के लिये और (४) समुद्र में बेकार जाता है ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) भारत में बड़ी बड़ी नदियां—सहायक नदियों को छोड़ कर निम्न हैं :—

१. सिन्धु घाटी
२. गंगा
३. ब्रह्मपुत्र
४. महानदी
५. कृष्णा
६. कावेरी
७ ताप्ती
८. नर्मदा
९. गोदावरी
१०. दामोदर

(ख) सभी नदियों के पानी के साधनों का एवं किस प्रतिशत से वे विभिन्न कार्यों के लिये उपयोग की जाती हैं, अभी तक पता नहीं चल सका है। फिर भी उनका प्राक्कलन इस प्रकार है :—

(१) द्वितीय योजना के अन्त तक कुल नदियों के उपयोग किये जाने वाले पानी का लगभग २७ प्रतिशत और कुल पानी का लगभग ८ प्रतिशत पानी प्रयोग में लाया गया है ।

(२) सभी नदियों में बहने वाले कुल पानी का लगभग ४ प्रतिशत जल विद्युत् तैयार करने में काम आता है ।

(३) और (४). इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है ।

न्यू बैरकपुर हाल्ट स्टेशन पर लेविल क्रासिंग बनाना

†१२२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के उपनगरीय क्षेत्रों में इस कारण बहुत मृत्यु होती है क्योंकि वहां लोग प्रायः रेल की पटरियों पर घमते रहते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के न्यू बैरकपुर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर घनी आबादी के कारण वहां लोग प्राय रेल की पटरियों पर घूमते रहते हैं क्योंकि वहां कोई पुल न होने के कारण उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता ;

(ग) यहां यह सच है कि कालिज की लड़कियां और स्कल के लड़के तथा बच्चे सड़क पार करते हैं और उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता ।

(घ) क्या रेल की पटरियों के साथ बाजार भी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या सरकार ने जनता की और विशेषतः बच्चों की सुरक्षा के लिये वहां कोई फाटक लगाने के बारे में विचार किया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री से० वे० रामस्वामी)**: (क) सड़क पार करते समय कभी कभी कुछ व्यक्ति मर जाते हैं ।

(ख) से (ङ). जी हां । सड़क पार करने वालों को रोकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वे उस फाटक पर से रेल की लाइन पार नहीं करते बल्कि छोटा रास्ता करने के लिये इधर उधर से सड़क पार करते हैं ।

बसीरहाट-बारसाट रेलव को सियालदह से मिलाना

†**१२२५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारसाट से सियालदह तक बिजली के द्वारा डिब्बे चलाकर बसीरहाट-बारसाट रेलवे को सीधे सियालदह से मिलाया जायेगा ;

(ख) बिजली की रेल हो जाने के बाद बोगांव सैक्शन पर कितनी गाड़ियां कम हो जायेंगी ; और

(ग) क्या बारसाट और डमडम के बीच रेलवे लाइन को दुहरा करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री से० वे० रामस्वामी)**: (क) जी नहीं, अभी तो नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । यदि यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलों की संख्या में वृद्धि हुई तभी इस बारे में विचार किया जायेगा ।

रेलगाड़ियों में महिला डिब्बे

१२२६. श्री बैरवा कोटा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब कि सरकार की ओर से स्त्रियों को समान अधिकार दिये गये हैं और पर्दा प्रथा भी बन्द कर दी गई है तो इनके लिये रेलवे में अलग डिब्बा क्यों लगाया जाता है जब कि अलग डिब्बों में कई बार बदमाश चोरी कर ले जाते हैं और स्त्रियों के अकेली बैठी रहने के कारण कई हत्यायें भी हुई हैं ;

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या सोचा है और इन लूट-मार की घटनाओं से बचाने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ;

(ग) क्या अलग रखे जाने वाले स्त्रियों के डिब्बे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो यह कब से समाप्त कर दिये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) और (ख). रेल प्रशासनों पर यह एक सांविधिक दायित्व है (देखिए १८९० के भारतीय रेल अधिनियम, ९ की धारा ६४) कि वे यात्रियों को ले जाने वाली प्रत्येक गाड़ी में केवल महिला यात्रियों के इस्तेमाल के लिए, गाड़ी के अंग के रूप में, कम से कम सबसे निचले दर्जे का अलग डिब्बा लगाने की व्यवस्था करें । इस

†भूल अंग्रेजी में

सुविधा से महिला यात्रियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है, विशेष रूप से उन महिला यात्रियों की जिनके साथ कोई पुरुष सम्बन्धी यात्रा नहीं करते और जो महिलाओं के अलगडिब्बे में यात्रा करना पसन्द करती हैं। इन अलग डिब्बों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनमें सुरक्षा की यथासम्भव पूरी व्यवस्था रहती है। एक बयान साथ नत्थी है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि महिलाओं के लिए नियत अलग डिब्बे में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय अपनाये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ग) जी नहीं।

(घ) महिलाओं के लिए डिब्बों का आरक्षण महिलाओं के हित में आवश्यक समझा गया है। यह सुविधा समाप्त करने से उन्हें बहुत बड़ी असुविधा होने की आशंका है।

स्टेशनों पर स्वच्छ पानी का प्रबन्ध

†१२२७. **श्री बैरवा कोटा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां स्टेशनों पर पानी की टंकियां बनी हुई हैं और उन्हीं से कनेक्शन किये हुए स्टेशनों पर नल लगा रखे हैं क्या वह पानी स्वच्छ होता है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और क्या सरकार ने कभी इसके बारे में सोचा है ;

(ग) यदि सरकार अब पानी स्वच्छ रखने का विचार रखती है तो ऐसा कब से किया जायेगा; और

(घ) यह पानी की टंकियां कब साफ की जाती हैं और इनके साफ करने की क्या अवधि है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं, सभी स्टेशनों पर नहीं।

(ख) पानी को पीने के योग्य बनाने के लिए सभी स्टेशनों पर उसे छानना ज़रूरी नहीं है। जब कभी आवश्यकता समझी जाती है, पानी छान लिया जाता है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(घ) तीन महीने से लेकर छः महीने के अन्दर टंकियों को एक बार खुरचकर पूरी तरह साफ किया जाता है। यह सफाई टंकियों में जमा हो जाने वाली गाद की मात्रा के आधार पर की जाती है। विशेष स्थितियों में सफाई इससे भी कम अन्तर पर की जाती है। जहां आवश्यक होता है, टंकियों को रोगाणु-नाशक दवाई से भी साफ़ किया जाता है।

बारां स्टेशन पर रेल कर्मचारी की गाड़ी से दब कर मृत्यु

१२२८. **श्री बैरवाकोटा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक १४ जुलाई, १९६२ को बारां स्टशन पर एक रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी देते हुए शाम की गाड़ी से कट कर मर गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके बच्चों के लिये सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किया जायेगा ; और

(ग) यह प्रबंध कब तक किया जायेगा ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री से० व० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). मृत कर्मचारी के आश्रितों को कामगार मुआवजा एक्ट के अधीन ३,००० रुपये मुआवजा दिया जायेगा। यह रकम कामगार मुआवजा कमिश्नर, कोटा के पास ३१ अगस्त, १९६२ से पहले जमा करा दी जायेगी।

मृत व्यक्ति के निर्वाह-निधि के खाते में १४६२ रु० ९५ न० पै० की रकम उसके नामित या वैध उत्तराधिकारी को देय है। इसके अलावा निर्वाह-निधि में विशेष अंशदान के ९०० रु० भी उसके आश्रितों को देय हैं। आवश्यक औपचारिक कार्रवाइयों के पूरा होने पर इन दोनों रकमों का भुगतान कर दिया जायेगा।

पश्चिम रेलवे म सन् १९६१ म अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

†१२२९. **श्री बैरवा कोटा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६१ में कितने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पश्चिम रेलवे में नौकरियां दी गईं; और

(ख) इसी अवधि में अन्य जाति के कितने व्यक्तियों को उक्त रेलवे में नौकरियां दी गईं?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :**

(क)	दर्जा ३	११३
	दर्जा ४	४४०
(ख)	दर्जा ३	८०५
	दर्जा ४	४०६४

रासायनिक खाद्य से पैदा की गईं फसलें

१२३०. **श्री बैरवा कोटा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो फसलें रासायनिक खाद्य व दवाइयां डालकर पैदा की जाती हैं इनका मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): यदि रासायनिक उर्वरकों का सविवेक प्रयोग किया जाये, तो मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। वास्तव में फास्फोरस पूरक जैसे कुछ उर्वरकों के प्रयोग से कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, जिससे पौदों की पोषणिक कमी हो दूर किया जा सकेगा और अन्ततः उनके प्रयोग द्वारा मनुष्यों और पशुओं के शरीर में भी इस कमी को पूरा किया जा सकेगा।

जहां तक दवाइयों का सम्बन्ध है (अनुमान है कि इस स्थान पर दवाईयों का तात्पर्य फफूंदनाशी, कीटनाशी, खरपतवार नाशी, और बढ़ौत्तरी-नियामकों से है) केवल फफूंदनाशी, कीटनाशी, खरपतवार नाशी और बढ़ौतरी-नियामकों जैसी दवाईयों की वनस्पति-रक्षा म उपयोग करने के लिए सिफारिश की जाती है, जिनका कि निर्धारित मात्रा और सिफारिश की गई विधियों से देने में मनुष्यों और पशुओ के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर नहीं होता है।

कोटा सिटी आउट एजेंसी का बन्द होना

१२३१. **श्री बैरवा कोटा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा सिटी रेलवे आउट एजेन्सी बंद कर दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री से० वे० रामस्वामी): (क) और (ख). ठेकेदार ने गंभीर अनियमितताएं की थीं, इसलिए १-७-६२ से आउट ऐजेन्सी अस्थायी तौर पर बन्द कर दी गयी ।

मेकांग अनुसन्धान परियोजना

१२३२. **श्री बैरवा कोडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टोनले सेरा और मेकांग अनुसंधान परियोजना के क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिये कमीशन के दो अफसर मई, १९६१ में बैंकाक भेजे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो जून, १९६२ तक प्रस्तुत उन की रिपोर्ट का क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारियों द्वारा अब तक दी गई रिपोर्टों का ब्यौरा संक्षेप रूप में नीचे दिया जाता है :

१. टोनले सैप बैरॉज एक बहुत लाभप्रद परियोजना सिद्ध होगी, जोकि और चीज़ों के साथ साथ, मच्छलियों की पैदावार को बढ़ायेगी, शुष्क ऋतु में पानी के स्तर को थोड़ा बढ़ा कर बड़ी झील के सदा रहने को निश्चित सा कर देगी और निम्न डेल्टा में बाढ़ शिखर में से १ से. $१^{१}/_{२}$ मीटर कम करने में सहायता देगी ।

२. बैरॉज के लिये दो वैकल्पिक स्थल हैं । स्थल का अन्तिम चुनाव विस्तृत क्षेत्रीय अनुसन्धान, जोकि अब किया जा रहा है, के बाद करना होगा ।

प्रस्तावित स्थलों में से एक में उपस्तर को मोटे रूप से जानने के लिये अभी तक जांच के तीन निम्नलिखित तरीके उपयोग में लाये गये हैं :—

(१) वक्रीकरण भूकम्प विज्ञान द्वारा भू-भौतिकीय अध्ययन (Geophysical studies through refraction seismology)

(२) नग्न परीक्षण गर्त (Open trial Pits) (आठ)

(३) 'वाश-बोरिंग' (दस)

३. जहां तक मच्छलियों पर अध्ययन का सम्बन्ध है, भारतीय दल बड़ी झील के सुधार के लिये पग उठाने के सम्बन्ध में एक विस्तृत नोट तैयार कर रहा है । इस में मत्स्यग्रहण, झील को बनाए रखने की आवश्यकता तथा कुछ और तत्सम्बन्धी विषय भी सम्मिलित होंगे ।

४. उपयुक्त निर्माण सामग्री को चुनने के लिये तथा उन का इंजीनियरी गुण जानने के वास्ते परीक्षण करने के लिये, कम्बोदिया में एक मिट्टी तथा कंक्रीट की प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार है । भारत में मिलने वाले लगभग सारे सामान के लिये आर्डर दे दिये गये हैं ।

५. कम्बोदिया और वीतनाम के कुछ इंजीनियरों के लिये भारत में प्रशिक्षण सुविधायें दी जा रही हैं ।

भूचालीय इंजीनियरी

१२३३. श्री बेरवा कोटा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूचालीय क्षेत्रों में बांधों के निर्माण के काम की भूचालीय इंजीनियरी में हुई नवीन खोजों का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के जल संभाग के जो सदस्य खास तौर पर जापान भेजे गये थे उनकी भूचालीय स्थल में बांधों के निर्माण के बारे में रिपोर्ट का क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन)** : विवरण संलग्न है ।

विवरण

महत्वपूर्ण ब्यौरा/सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(१) स्पन्दन सम्बन्धी तथा गत्यात्मक समस्याओं से और विशेषतया भूचालीय इंजीनियरी से सम्बद्ध अनुसन्धान निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में करने पड़ते हैं :—

(१) विविध विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में ।

(२) इंजीनियरी महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में ।

(३) सिंचाई तथा विद्युत् की, डिफैन्स, रेलवे और भवन अनुसन्धान, आदि की प्रयोगशालाओं में ।

(२) नदी घाटी परियोजनाओं के क्षेत्र में, संरचनाओं के व्यवहार के निरीक्षण को रिकार्ड करने के लिये संरचनाओं में यंत्रों के अवस्थापन को सुनिश्चित करने के लिये विशेष उपाय किये जायें ।

(३) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से सलाह कर, निरीक्षणों के लिये आवश्यक 'स्ट्रेन गाजिज़' तथा सम्बद्ध यंत्रों को बनाने के लिये पग उठाने चाहियें ।

(४) विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले इंजीनियरों की टीमें जापान जैसे देशों में भेजी जानी चाहियें, ताकि वे भूचालीय इंजीनियरी के क्षेत्र में की गई प्रगति से अपना सम्बन्ध स्थापित रखें ।

(५) गत्यात्मक प्रतिरूपों की सहायता से केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना में अध्ययन शुरू करना चाहिये ।

टिड्डी संकट

१२३४. श्री बेरवा कोटा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने टिड्डी दल को रोकने के लिये कितना रुपया तीनों योजनाओं में अब तक खर्च किया है ;

(ख) देश में किन स्थानों पर टिड्डी संकट को रोकने में सफलता मिली है ;

(ग) क्या दिनांक ७ जुलाई, १९६२ को मथुरा से कोसीकलां स्टेशन तक बड़ी तादाद में टिड्डी दल बैठा हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो उसको रोकने के लिये हमारे विशेषज्ञों ने क्या प्रयत्न किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क)

	रुपये
(१) पहली योजना	१,०४,८२,२८९
(२) दूसरी योजना	७०,२८,०४३
(३) तीसरी योजना—	
(क) १९६१-६२	२५,२२,५८८
(ख) १९६२-६३ (अनुमानित) . . .	२५,३०,६३९

(ख) निम्न राज्य टिड्डियों से प्रभावित हैं :—

जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के संघीय क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब ।

भारत में उसके पश्चिमी देशों से आने वाले विदेशी टिड्डी दलों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन भारत के नियत मरुस्थल क्षेत्र और राज्यों में क्रमश: केन्द्रीय और राज्यीय टिड्डी विरोधी संगठनों ने टिड्डियों को बरबाद करने के लिये तुरन्त नियंत्रण उपाय किये हैं । उड़ते और बैठे हुए अनेक दलों को नष्ट कर दिया गया । सभी प्रभावित स्थानों में स्थिति भली प्रकार नियंत्रण में है। अंडों से बच्चे निकलते ही उनको नष्ट करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये हुए हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) राजस्व और अन्य विकास विभागों के स्थानीय कर्मचारियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वनस्पति रक्षा सेवा ने कीटनाशी दवाईयों के फुहारने और सुरकने के द्वारा बैठे टिड्डी दलों को बरबाद करने के तुरन्त उपाय किये ।

भारतीय रेलवे में नियुक्तियां

१२३५. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे आयोगों एवं अधिकारियों द्वारा भारतय रेलों में काम करने के लिये कितने कर्मचारियों की नियुक्ति अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९६२ तीक की गई ;

(ख) इन नियुक्तियों में कितने मुसलमान, एंग्लो-इंडियन, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति अलग-अलग संख्या में थे ; और

(ग) उक्त अवधि में नियुक्त किये गये व्यक्तियों में भारत सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जातियों की उपजातियों में से प्रत्येक के कितने व्यक्ति थे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) (१) मुसलमानों के लिये कोई आरक्षण नहीं है ।

(२) एंग्लो-इंडियनों के लिये जो आरक्षण निर्धारित था वह २६-१-१९६० से समाप्त हो गया । अप्रैल, १९५७ से २५ जनवरी, १९६० तक की सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(४) पिछड़े हुए वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं है ।

(ग) जाति के आधार पर आंकड़े नहीं रखे जाते ।

बंगाल फ्लाइंग क्लब

†१२३६. **श्री कार्जी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगाल फ्लाइंग क्लब को कुरीतियों, वित्तीय अनियमितताएं और धन की कमी के कारण शीघ्र ही बन्द किया जाने वाला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्लब को बैरकपुर से बहेला ले जाने का विचार था ताकि इस के खर्च में कुछ बचत हो सके और रनवेज बनाई जा सके अतः १९५० में वहां हैंगर बनाने का काम भी शुरू हो गया लेकिन कुछ पदाधिकारियों के विरोध के कारण न हो सका ;

(ग) क्या सरकार ने पीछे भी क्लब को समाप्त होने से बचाने के लिये कोई कार्यवाही की थी, और कुरीतियों तथा वित्तीय अनियमितताओं के कारण जानने के बारे में मालूम किया था ;

(घ) यदि हां तो वे कार्यवाही क्या हैं और उसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) बंगाल क्लब को समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी हां । क्रियात्मक बातों को ध्यान में रखते हुए इसे बैरकपुर से हटा कर बहेला लाने का विचार था । पदाधिकारियों ने इसे हटाने के बारे में कोई विरोध किया था इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है ।

बहेला में निर्माण कार्य १९५९ से शुरू हुआ था । हवाई अड्डा लगभग तैयार है और पानी तथा बिजली मिलते ही वहां काम शुरू हो जायेगा ।

(ग) इस क्लब की कुछ वित्तीय अनियमितताएं भूतकाल में सरकार की जानकारी में आई थीं, और स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई थी ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

१९५०–५१ में क्लब में कुप्रबन्ध तथा वित्तीय अनियमितताओं के बारे में सरकार को मालूम हुआ असैनिक उड्डयन विभाग के पदाधिकारी को क्लब की जांच करने के लिये भेजा गया । जांच से मालूम हुआ कि क्लब के प्रेसीडेंट ही इन अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी हैं । क्लब की एक विशेष समिति बुलाई गई और इसके प्रेसीडेंट को त्यागपत्र देने के लिये तैयार किया गया । एक नई प्रबन्ध समिति बनाई गई ।

२. १९५५–५६ में नव असैनिक उड्डयन विभाग के एक पदाधिकारी क्लब की जांच कर रहे थे तो कुछ वित्तीय अनियमितताओं के बारे में पता चला । इनकी ओर प्रबध समिति का ध्यान आकर्षित किया गया और कहा गया कि वे इन अनियमितताओं को दूर करें तथा क्लब का प्रबन्ध भी

---

†मूल अंग्रेजी में

ठीक करें। क्लब को दी जाने वाली सहायता भी कुछ समय के लिये रोक ली गई लेकिन क्लब की स्थिति में सुधार हो जाने के बाद वह सहायता फिर से चालू कर दी गई।

३. १९६०-६१ में क्लब के काम के बारे में कुछ अनियमिततायें ध्यान में आई। असैनिक उड्डयन विभाग का एक पदाधिकारी उन मामलों की जांच करने के लिये विशेष रूप से भेजा गया। जांच से पता चला कि वहां कुछ वित्तीय अनियमिततायें थीं और उड़ान के घंटे जाली तौर पर बढ़ा कर लिखे गये थे। राज्य सरकार की राय से क्लब के पुनर्गठन के लिये और भविष्य में फिर इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

परिवार नियोजना

†१२३७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के काम में पंचायतों का सहयोग पाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) ग्रामीण स्तर पर गर्भ निरोधक तथा गर्भ निरोधक साहित्य बांटने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) तथा (ख). तीन तीन दिन के परिवार नियोजन शिविर विशेष रूप से गांवों के निवासियों एवं उत्साही कार्यकर्ताओं में परिवार नियोजन कार्यक्रम को चालू करने की स्वीकृति पाने के लिये लगाये जाते हैं। परिवार नियोजन सेवायें अब प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध हैं और इन केन्द्रों के साथ तीन तीन उपकेन्द्र भी रहते हैं। गांवों में व्यक्तियों की आय को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को निःशुल्क गर्भनिरोधक उपकरण दिये जाते हैं। परिवार नियोजन कार्य कार्यक्रम के अधीन स्थापित किये गये प्रत्येक केन्द्र में साहित्य भी उपलब्ध कराया जाता है।

अवकाश में विद्यार्थियों के लिये यात्रा सम्बन्धी सुविधायें

१२३८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों को अवकाश के दिनों में अपने घर तक आने जाने के लिये अथवा किन्हीं यात्रा विषयों पर आने जाने के लिये विभाग की ओर से कुछ सुविधायें दी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सुविधायें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को ही दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ ऐसी संस्थायें भी इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनको किन विशेष स्थितियों में यह सुविधायें दी गयीं और उन के नाम क्या हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां, विद्यार्थियों को रियायती किराये पर टिकट दिये जाते हैं।

(ख), (ग) और (घ). मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को जो रियायत दी जाती है वह प्रत्येक मामले को ध्यान में रखते हुए दूसरी अनुमोदित संस्थाओं के विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों, आदि को भी दी जाती हैं। इस समय जो संस्थायें इन रियायतों के पाने की हकदार हैं, उन की एक पूरी सूची इसके साथ नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य योजना

†१२३९. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत कुछ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिला रोहतक के बहादुरगढ़ में रह रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि क्या इनको अंशदायी स्वास्थ्य योजाना का लाभ नहीं मिलता, यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस योजना को वहां भी लागू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां की सिविल डिसपैंसरी बहुत छोटी है इन कर्मचारियों को क्या चिकित्सा सुविधायें दी जायेंगी ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** :(क) से (ग). बहादुरगढ़ दिल्ली से १८ मील दूर है और दिल्ली के राज्य क्षेत्र से बाहर है । मालूम हुआ है कि वहां १००० केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं । जब शाहदरा, गांधी नगर आदि स्थानों पर जो कि दिल्ली के राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं वहां यह सेवा जारी नहीं की गई है तो फिर बहादुरगढ़ में जारी करने की संभावाना बहुत ही कम है ।

बहादुरगढ़ में रहने वाले व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधायें देने के लिये पंजाब सरकार उत्तर-दायी है ।

तिबिया मेडीकल कालेज, दिल्ली

†१२४०. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिबिया मेडिकल कालिज को मौलाना आजाद मैडिकल कालेज के अन्तर्गत लाने का विचार है;

(ख) आयुर्वेदिक पद्धति का भारत में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या तिबिया कालेज के डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० का एक वर्षीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम पढ़ने की अनुमति दी जायेंगी;

(घ) क्या तिबिया कालेज की बी० आई० एम० एस० डिग्री को एम० बी० बी० एस० के समकक्ष बनाने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस में कितना समय लगेगा ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) भारत सरकार को तिबिया कालेज को लेने तथा उसका विकास करने के बारे में कुछ सुझाव मिले हैं;

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(१) आयुर्वेद का विकास करने के लिये भारत सरकार ने एक केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसन्धान परिषद् बनाई है । इस परिषद् ने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) एक नई संस्था बनाने तथा वर्तमान संस्था बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(३) विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान करने के लिये एक अनुसन्धान इकाई बनाई गई है । विभिन्न संस्थाओं में अनुसन्धान करने के लिये कुछ और इकाइयां भी स्थापित की जा रही हैं ।

(४) जामनगर में चिकित्सा की देशीय पद्धति के लिये एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था और आयुर्वेद में अवर स्नातक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है । इस प्रकार के और भी केन्द्र खोलने का विचार है । बनारस तथा पूना में इस प्रकार के केन्द्र खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(५) पूना में भूमि खरीद ली गई है ताकि वहां औषधि उपवन लगाया जा सके ।

(६) **चिकित्सा सम्बन्धी पौदों का सवक्षण** हरिद्वार में एक सवक्षण इकाई के लिये स्वीकृति दे दी गई है । और अधिक इकाइयों की स्थापना करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

राजस्थान में गांवों में पानी का सम्भरण

†१२४१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के गावों में पानी का संभरण करने के लिये कोई व्यापक योजना प्रस्तुत की है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) वहां पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये कितने ट्यूबवैल तथा पानी के टैंक बनाये गये हैं;

(घ) जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पानी का संभरण करने के लिये अब तक दूसरी तथा तीसरी योजना में कितना धन व्यय किया गया है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में पानी का संभरण करने के लिये इतना कम ध्यान दिया गया है इसके क्या कारण है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) राजस्थान के गांवों में पानी का संभरण करने के लिये राजस्थान सरकार से कोई व्यापक योजना नहीं मिली है । कुछ व्यक्तियों से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजना में पानी को संभरण करन के लिये अवश्य ही कुछ सुझाव मिले हैं ।

(ख) भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). वांछित जानकारी राजस्थान सरकार से एकत्रित की जा रही है और मिलने पर पटल पर रख दी जायगी ।

वायु चालित विद्युत् सन्यन्त्र

†१२४२. **श्री बसुमतारी :** क्या सिंचाई और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विद्युत् की कमी पूरी करने के लिये वायु चालित विद्यत् संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में इटली की एक फर्म से वार्ता चल रही है । और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विझीन्जम (केरल) में मछली पकड़ने का बन्दरगाह

†१२४३. **श्री प० कुन्हन् :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के विझान्जम में मछली पकड़ने का एक बन्दरगाह के निर्माण की योजना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). विझीन्जम में मछली पकड़ने का एक बन्दरगाह बनाने की योजना केरल राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है। बन्दरगाह तक जाने की सड़कें बनाने का काम चल रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में माल डिब्बों की कमी

†१२४४. **श्री व० ब० राव्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की चावल और नारियल के दूकानदारों ने विजयवाड़ा में माल डिब्बों की सुविधाओं के लिय उनके पास कोई प्रतिनिधान भेजा है ;

(ख) सरकार आन्ध्र प्रदेश के सरकार जिलों से खपत के क्षत्रों तक चावल और नारियल के परिवहन की स्थिति सुविधापूर्ण बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या यह सच है कि अभी भी माल-डिब्बों की कमी है ;

(घ) सरकार को उन की कमी दूर करने में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री से० वे० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). अन्य यातायात को बनाये रखते हुए, इस यातायात को स्थान देन के लिये यथासम्भव प्रबन्ध किया जा रहा है। उनकी मांग साल भर एक सी नहीं रहती। बाजार में चावल की फसल आने के तुरन्त बाद पंजीयन एक दम बढ़ जाता है । जब कि परिवहन के क्षमता की व्यवस्था पूरे वर्ष के लिये एक समान मांग के आधार पर की जाती है। शेष यातायात को यथा संभव शीघ्रता से निबटाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्भरण की योजनायें

†१२४५. **श्री तन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी तथा देहाती जल सम्भरण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने । प्रयत्न केन्द्रीय सरकार द्वारा कभी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरणों से अब तक जो सहायता प्राप्त हुई वह विस्तार से निम्न प्रकार है:—

१. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका

(१) लगभग ३ करोड़ रुपया (अमरीकी डालर ५,९८४,१८१.१५) कुयें खोदने के सामान, कास्ट आयरन, नालियां, विंड मिलों इत्यादि के सामान और अस्त्रों के रूप में ;

(२) ७ अमरीकी प्रविधिज्ञों की सेवायें १९५४–१९६० के बीच;

(३) १९६० में तीन इंजीनियरों का दल, तीन महीनों के लिए ताकि राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई कार्यक्रम का मूल्यांकन हो सके ।

(४) २० जन स्वास्थ्य इंजीनियरों की फैलोशिप २९५४–६१ तक ;

(२) विश्व स्वास्थ्य संस्था

(१) आस पास की सफाई की दो अग्रिम परियोजनायें लखनऊ और ट्रावि्ड्रम में विश्व स्वास्थ्य संस्था के सहयोग से स्थापित की गयी है । विश्व स्वास्थ्य संस्था ने कुछ सामान भी दिया और एक सफाई इंजीनियर और एक स्वच्छता विशेषज्ञ की व्यवस्था २ वर्ष के लिए की ।

(२) जन स्वास्थ्य इंजीनियर के एक प्रोफैसर की सेवाओं की व्यवस्था १९५५–६२ तक किया गया ताकि वह इंजीनियर कालिज गिंडी मद्रास में स्नातकोत्तर श्रेणी को शिक्षण सहायता दे सके ।

(३) संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष

(१) ४ विशषज्ञों के सलाहकार दल को १९५९ में जल सम्भरण साधनों, तथा गंध हटाने का महा कलकत्ते में अनुमान लगाने के लिए दिया गया ।

(२) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियर और गवेषणा संस्था को ५२५००० डालर का सामान और मशीनरी देना स्वीकार किया गया ।

(४) कोलम्बो योजना

१९५६–५७ तक एक वर्ष के लिए सफाई इंजीनियरों की सेवायें ।

(५) फोर्ड फाउण्डेशन

दूसरी पंचवर्षीय योजना काल गवेषणा तथा कार्य परियोजना टट्टी साफ करने के कार्यक्रम के लिए सिंगरूर, पूनामैल्ली और नजफगढ़ में फार्ड फाउंडेशन की सहायता से स्थापित किये गये हैं ;

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता

पोस्ट कार्ड तथा अन्तर्देशीय पत्रों की कमी

†१२४६. { **श्री हेम राज :**
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र तथा लिफाफों की ग्रामीण तथा उप-नगरीय डाकघरों में बहुत कमी है और उन्हें प्राप्त करने के लिये जनता को काफ़ी कठिनाई हो रही है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स्थिति को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस कमी के कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग). जी हां। अन्तर्देशीय पत्रों की विशेषत कमी थी। पोस्ट कार्ड तथा लिफाफों की इतनी कमी नहीं थी। इसके कई कारण थे विशेषत: कागज़ मिलें इतना कागज़ तैयार नहीं कर सकीं कि देश की आवश्यकता के अनुकूल ये अन्तर्देशीय पत्र बनाये जा सकें। रेलों द्वारा माल के आने में भी कमी थी, सीक्योरिटी प्रेस उत्पादन में कमी और अचानक ही मांग बढ़ जाना भी एक कारण था। सिक्योरिटी प्रेस को पर्याप्त मात्रा में कागज़ मिलों द्वारा कागज़ का संभरण करने के लिये कार्यवाही की गई है। रेलों को कहा गया है कि वे सिक्योरिटी प्रेस से डाक घर की वस्तुओं को शीघ्रता से भेजने के लिये कहा गया है। सिक्योरिटी प्रेस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिये प्रयत्न कर रहा है।

होशियारपुर से टेलीफोन सम्पर्क

†१२४७. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होशियारपुर दसुधा मार्ग में गरदिवाला और हरियाना ; और

(ख) यदि हां, तो इन नगरों को होशियारपुर से मिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां।

(ख) एक ट्रंक सरकिट द्वारा ये नगर पहिले ही होशियारपुर से मिले हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश में बिना डाक्टरों के अस्पताल

†१२४८. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कई अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डाक्टर नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां ऐसे कितने अस्पताल और डिस्पेंसरियां हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल अस्पताल स्नोंडन शिमला

†१२४९. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलंगों की कमी के कारण, रोगियों को हिमाचल अस्पताल, स्नोडर, शिमला में स्थान नहीं मिल सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० (सुशीला नायर)** : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है जानकारी को यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्भरण

†१२५०. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब सरकार ने गांवों में पीने के पानी के संभरण की योजनाओं के लिये कितना रुपया स्वीकृत किया गया ;

(ख) क्या पंजाब में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, यथा मोहिन्द्रगढ़ और गुड़गांव के पहाड़ी और सूखे क्षेत्र जहां पीने के पानी की स्थायी कमी है ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने अतिरिक्त राशि की भी मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या रवैया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तगत राष्ट्रीय जल संभरण और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में जल संभरण के लिये ७५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार नगरीय योजनाओं से ग्रामीण योजनाओं में ५० लाख रुपये का स्थानान्तरण करने का विचार कर रही है । राज्य सरकार से प्रस्ताव आने पर भारत सरकार इस पर विचार करेगी ।

बनखड़ी (मध्य रेलवे) पर गाड़ी के ठहरने की व्यवस्था

†१२५१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि बम्बई से हावड़ा सप्ताह में दो बार जाने वाली जनता एक्सप्रैस को पिपरिया और गाडरवाड़ा (मध्य रेलवे) के बीच बनखड़ी पर ठहराया जाय ;

(ख) क्या अभ्यावेदन पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया । यातायात की दृष्टि से इस का कोई औचित्य नहीं समझा गया ।

इलाहाबाद होकर जाने वाली बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस

†१२५२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सप्ताह में दो बार चलने वाली इलाहाबाद हो कर जाने वाली बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रैस को रोजाना चलाने के लिये सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) लाइनों की कमी और अपर्याप्त यातायात के कारण ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लेडी हार्डिंग मैडीकल कालिज और अस्पताल, नयी दिल्ली

†१२५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग मैडीकल कालिज और अस्पताल के प्रशासन विभाग और कार्यपालक विभाग में गम्भीर गड़बड़ चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में इन मामलों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठें उन्हें उस कर भाषण नहीं देना चाहिये ।

†**श्री बूटा सिंह** : यहां कुछ लोकतंत्र तो बचा रहने दीजिये । पंजाब में संकट की ....

†**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठिये ।

श्री गुलशन (भटिंडा) : स्पीकर साहब, पंजाब गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी की आवाज को दबा रही है लेकिन यहां तो लोक सभा है यहां तो जनता की बात सुन ली जानी चाहिये ....

अध्यक्ष महोदय : एक दम से इस तरह बगैर इजाजत के बोलना नामुनासिब है और यह लोकसभा की कार्यवाही में बिगाड़ डालना है ।

श्री गुलशन : हम बिगाड़ नहीं डालना चाहते लेकिन हम तो यहां पर अपनी बात कहना चाहते हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब यहां लोकसभा के जो नियम हैं उन के मुताबिक चलिये तो हर एक बात की इजाजत मिल सकती है लेकिन इस तरह से नहीं किया जा सकता कि कोई साहब एकदम बगैर स्पीकर की इजाजत लिये बोलना शुरू कर दें । लोकसभा के नियम हैं और उन के मातहत मोशन लाया जाय और हाउस की मर्जी के मुताबिक वह किया जा सकता है । आप उस के मुताबिक चलें लेकिन यह कैसा कायदा है कि कोई साहब खड़े हो जायें और जो दिल में सख्त बात हो कहना शुरू कर दें ? इस तरह से यहां का निजाम कैसे चलेगा ?

†**श्री बागड़ी** (हिसार) : औन ए प्वाएंट आफ आर्डर, सर । पंजाब में ला एंड आर्डर मेंटेन नहीं किया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि इस कैरोंशाही के खिलाफ यहां पर बहस हो . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) नियम

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं, खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ जून, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ३२ (१०)/६१/एम एण्ड पी एच की एक प्रति, जिस में दिल्ली खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं, सभा पटल पर रखती हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३३९/६२]**

पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण (पशु कल्याण बोर्ड के लिए सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६१

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अधीन दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०१५ में प्रकाशित पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण (पशु कल्याण बोर्ड के लिये सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३४०/६२]**

रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : मैं, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम १९५७ की धारा २१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१८ में प्रकाशित रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३४१/६२]**

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है :—

राज्य सभा ने १७ अगस्त, १९६२ की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिस के द्वारा श्री एम० पी० भार्गव के भारतीय समुद्रीय बीमा विधेयक, १९५९ को दोनों सभाओं के ३० सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा गया है, जिस में राज्य सभा के १०, अर्थात् श्री बी० रामकृष्ण राव, श्री रोहित एम० दवे, श्री सुरेश जे० देसाई, श्री नीरेन घोष, श्री पी० एन० काटजू, श्री एम० एम० लिंगम्, श्री दयाभाई वी० पटेल, श्री एम० गोविन्द रेड्डी, श्री पन्नालाल सर्वगी तथा श्री एम० पी० भार्गव और लोक सभा के २० सदस्य हों और यह सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये।

अणु शक्ति विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सदन अब अणु शक्ति विधेयक पर विचार करेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि अणु शक्ति के भारत के लोगों के कल्याण और अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये विकास, नियंत्रण और प्रयोग तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

सदन को याद होगा कि १४ वर्ष हुए अणुशक्ति अधिनियम पारित किया गया था । तब से अब तक बहुत परिवर्तन हो चुके हैं । देश में वैज्ञानिक एवं औद्योगिकीय क्षेत्र में जो तबदीलियां हुई हैं, उस प्रगति के कारण १९४८ का अधिनियम समयानुकूल नहीं रहा । इस में संशोधन भी किये जा सकते हैं परन्तु हम ने नया विधेयक प्रस्तुत करना ही ठीक समझा है । मेरे विचार में इस विधेयक में कुछ भी विवादास्पद नहीं है । इस के द्वारा आयोग को नियमों के बनाने की कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं । बात यह है कि रेडियम धर्मी पदार्थों के सम्बन्ध में कुछ कड़े नियमों का बनाना आवयश्यक है ताकि कोई दुर्घटना न हो जाय ।

हमने अणु शक्ति खनिजों का उल्लेख किया है । यह उपबन्ध किया गया है कि अणु शक्ति खनिजों, विशेष कर "यूरेनियम" पर भारत सरकार का नियंत्रण और स्वामित्व रहे । इस के साथ ही भारत सरकार अणुशक्ति के सम्बन्ध में किन्हीं पेटेंटों को मान्यता नहीं देगी जैसीकि न्यायाधीश राजगोपाल आयंगर ने अपने पेटेंट सम्बन्धी प्रतिवेदन में सुझाव दिया था । नियमों के उल्लंघन के मामले में कुछ दंड बढ़ा दिये गये हैं ।

यह विधेयक का सारांश है । और इस में कुछ भी विवाद वाली बात नहीं है । यह सौभाग्य की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी अणु शक्ति स्थापना का बहुत विकास हुआ है । अब हम अणुशक्ति के आधार पर विद्युत केन्द्र चलाने की बात भी हम सोच रहे हैं । हमारा कार्य अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा होने की आशा है, अतः समुचित विधान की अपेक्षा थी । इस की व्यवस्था की गई है ।

सुझाव दिया गया है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाय । यह भी एक माननीय सदस्य का प्रस्ताव है कि इसे जनमत के लिये परिचालित किया जाय । मेरे विचार में इस प्रकार सरल और निर्विवाद विधेयक में इस की कोई आवश्यकता नहीं । अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक पर विचार किया जाय और इसे इसी सत्र में पारित भी किया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यह विधेयक लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम ६९ और ७० का पालन नहीं करता । नियम ६९ में लिखा है :—

> "जिस विधेयक में व्यय अन्तर्गस्त हो, उस के साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिस में व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा . .

अतः नियम ६९ की शब्दावलि बहुत सुनिश्चित और अज्ञापक है । विधेयक को उन नियमों से बाहर नहीं रखा जा सकता । मेरा निवदन है कि इस पर विचार उस समय तक स्थगित किया जाना चाहिए जब तक कि विधेयक के अन्तर्गत होने वाले आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का प्राक्कलन सभा के समक्ष पेश न किया जाय । प्रधान मंत्री ने जो प्रस्ताव विचारार्थ रखा है वह नियमानुकूल नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)**: प्रधान मंत्री की ओर से मैं आपत्ति का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है उस में वजन नहीं है। नियम ६९(१) बहुत साधारण है। इस में यह व्यवस्था है कि व्यय वाले विधयकों के साथ वित्तीय ज्ञापन भी होना चाहिए जिस में व्यय वाले खंडों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करवाया गया हो और आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का प्राक्कलन देने के लिए कहा गया है वह यथासम्भव दिया जाना चाहिए। उसकी रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह संविधि प्रभावकारी हो सके।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं ने इस प्रकार की आपत्ति को ठीक ठहराया था कि उस विधेयक का जो वित्तीय ज्ञापन था वह स्पष्ट नहीं था। यह भी नहीं कहा गया था कि ऐसा करना सम्भव नहीं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, वित्तीय ज्ञापन में नियम की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। सरकार के लिए इस समय प्राक्कलन तैयार करना सम्भव नहीं है। जब प्राक्कलन देना सम्भव नहीं है तो इसे उस नियम का उल्लंघन भी नहीं समझा जा सकता।

†**श्री अ० कु० सेन**: खंड ३० के अन्तर्गत नियम बनाने का अधिकार है। असाधारण प्रकार के नियम बनाने के अधिकार कोई नहीं होते। सभी प्रकार के नियम आवश्यक होते हैं।

†**श्री नी० श्री कान्तन् नायर** (क्विलोन): मैं प्रस्तुत करता हूं:

"कि विधेयक को उस पर ३१ अक्तूबर १९६२ तक राय जानने के लिए, परिचालित किया जाय।"

†**श्री हरि विष्णु कामत**: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को १५ सदस्यों की अर्थात् डा० मा० श्री० अणे, श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े, श्री स० मो० बनर्जी, श्री दाजी, श्री प्र० के० देव, श्री काशी राम गुप्ता, श्री हेम बरुआ, सरदार कपूर सिंह, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, डा० मेलकोट, श्री नटराजन् पिल्ले, श्री श्याम लाल सर्राफ, श्री बिशन चन्द्र सेठ, श्री प्रकाशबीर शास्त्री और श्री हरि विष्णु कामत की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और उसे अगले सत्र के द्वितीय सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय**: मूल प्रस्ताव और संशोधन सभा के समक्ष है

†**श्री नी० श्रीकान्तन् नायर**: यह कहना बिल्कुल गलत है कि विधेयक विवादस्पद नहीं है। वास्तव में यह सभा में पेश किये गये विधयकों में सर्वधिक विवादास्पद है। उसका भारत के भविष्य और राज्यों तथा केन्द्रों के संबंधों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। यह विधेयक बहुत खराब बनाया गया है वास्तविक उद्देश्य और कारण सभा से छिपा कर रखे गये हैं। श्रम मंत्रालय के प्राधिकार को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत छीन लिया गया और उसके स्थान पर किसी अन्य मंत्रालय को प्राधिकार नहीं दिया गया है। विधेयक के अन्तर्गत "यूरेनियम, थोरियम, बरीलियम" आदि खनिज केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति हो जायेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

दूसरी बात यह है कि यह विधेयक उन राज्यों के जैसे केरल और मद्रास के जो कि खनन के काम में लगे हुए हैं इन वस्तुओं के खनन और उन के तैयार करने के नियंत्रण एवं एकस्वाधिकार के अधिकारों को समाप्त करता है। वैसे तो यह विधेयक सभी राज्यों के अधिकारों में कुछ न कुछ कटौती

---

†मूल अंग्रेजी में

करता है किन्तु कुछ राज्यों के अधिकारों में विशेष रूप से। अब सवाल यह है कि क्या इस विधेयक को उपस्थित करने से पहले राज्य सरकारों की सहमति ले ली गई थी।

यह विधेयक श्रम विभाग के उस प्राधिकार को ले लेता है जिस के द्वारा कि वह कारखाना अधिनियम १९४८ के उपबन्धों को लागू करता है। इसी प्रकार यह भरतीय बिजली अधिनियम १९१० को भी अवैध कर देता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यदि राज्य सरकारों को इस के बारे में कोई आपत्ति नहीं है तो फिर इसका कोई विरोध नहीं है।

इस विधेयक का उद्देश्य अणुशक्ति विभाग को असीम शक्तियों का प्रदान करना है। प्रशासन को इतनी अधिक शक्तियों का देना वाछंनीय है। आयोग देश को ऐसे विशेषज्ञ देने में असफल रहा है जो हमें प्रविधिक जानकारी दे सकें। विभाग द्वारा अन्य खनिजों जिनका मोनाइट निकालने के पूर्व खनन किया जाना चाहिये, के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। "थोरियम" को विनिहित पदार्थों में से निकाल देना चाहिये।

अंत में मैं यही कहूंगा कि अणुशक्ति विभाग को इतने व्यापक अधिकार नहीं देने चाहिये। साथ ही मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक के बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये बल्कि इसे जनमत जानने के लिये परिचालित करना चाहिये। साथ ही प्रधान मंत्री से भी यह निवेदन है कि वह मेरी बातों पर विशेषतः ध्यान दें।

†**श्री हेम बरुआ** : (गोहाटी) : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अब प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। यह हमारे देश और हमारे प्रधान मंत्री के लिये बहुत ही श्रेय की बात है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमारा देश किसी भी हालत में आणविक हथियारों का कार्यक्रम नहीं अपनायेगा। आणविक अनुसंधान के पीछे हमारा उद्देश्य शांतिपूर्ण है लेकिन "रेडियम धार्मित" के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। व्यक्तिगत वैज्ञानिकों ने तो इस बारे में घोषणा की है लेकिन वैज्ञानिकों के किसी गुट ने इस बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को यह विचार करना चाहिये कि क्या भारत राष्ट्र संघ में इस आशय का संकल्प पेश नहीं कर सकता है कि वह निकाय समस्त विश्व में "रेडियम धायित" से उत्पन्न संकटों के प्रश्नों पर विचार करने के लिये वैज्ञानिकों का एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करे।

इस विधेयक का नाम भी बड़ा अस्पष्ट है। इस में यह भी नहीं बताया गया है कि हमारे यहां आणविक खोज किस प्रकार की होंगी। जब कि अमरीका के अणु विधेयक में इसका उद्देश्य स्पष्ट किया गया है।

मेरा ऐसा विचार है कि यह विधेयक विदेशी अणु विधेयकों की नकल है। उदाहरणार्थ खंड ९ (१), १० (१) और २१ (१) (घ) इंगलिस्तान के अणुशक्ति अधिनियम की नकल हैं। खंड ४(१) तथा ५(१)—न्यूजीलैंड की नकल है खंड २(च) कनाडा और खंड १५(१) अमरीका की नकल है। लेकिन मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। विदेशों से प्रेरणा लेना तो अच्छी बात है। विधयक तैयार करने के लिये यदि विदेशी सहायता ली गई है तो इस में कोई हानि नहीं है।

खंड १० केन्द्रीय सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि हम अपना कार्यक्रम किस प्रकार बनायें। यह एक अच्छा उपबंध है। खंड २१ में सरकार तथा व्यक्ति अथवा किसी दल के बीच मतभेद होने पर मध्यस्थता करने का प्रश्न है। यदि इस से भी झगड़ा नहीं निबटता तो वह मामला

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर अदालत में जाता है । मेरा विचार है कि इस से मामले में काफ़ी देर होगी । हम यह नहीं चाहते कि आयोग का काम रुके और देश की उन्नति में बाधा पहुंचे ।

इसी प्रकार खंड १५ भी बहुत ही अस्पष्ट है । ऐसा मालूम होता है कि अमरीका के अणुशक्ति अधिनियम १९५४ की धारा ५२ से प्रेरणा ली गई हो लेकिन हम नहीं चाहते कि यह प्रेरणा वहां से ली जाये । इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशों के अधिनियमों से बहुत सी बातें ली गई हैं । विधेयक का खंड १०, जिसकी ब्रिटेन से प्रेरणा ली गई है।, खंद १२, २१ और १५ के जोड़ देने से खराब हो गया है। इन समस्त प्रतिबंधात्मक उपबंधों का असर यह होगा कि कार्य को हानि पहुंचेगी ।

खंड २२ और २३ भारत सरकार के अन्य विभागों से सहयोग लेने के बारे में है । यह अणु-शक्ति आयोग देश को बिजली देगा । यह आयोग श्रम तथा विद्युत् मंत्रालय से सहयोग पाता है । काल के समय यह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से भी सम्बन्ध स्थापित करता है ।

इस विधेयक में सुरक्षा की शर्तों तथा रेडियम धायिता के बारे में भी व्यवस्था की गई है। इस तरह इसका सम्बन्ध स्वास्थ्य मंत्रालय से स्थापित होता है । हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भी कुछ कुछ वही काम करता है जो कि यह अणुशक्ति विभाग कार्य करता है इस प्रकार यह उसके सम्पर्क में भी आता है । लेकिन इस विधेयक में इन के अतिरिक्त अन्य विभागों से सम्पर्क बनाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । प्रायः होता यह है कि हमारे यहां कभी कभी एक काम की पुनरावृत्ति हो जाती है । इस से काम की जटिलता बढ़ेगी ही ।

अणुशक्ति स्थापना द्वारा की गई खोज को संभरण प्रदान किया जाना चाहिये जैसा कि ब्रिटेन में किया गया है । खंड २४ अच्छा उपबन्ध है ।

विधेयक पर अच्छी तरह विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस विधेयक में बहुत सी कमियां हैं और इसका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है जितना कि होना चाहिये ? जितनी आशा थी उतना कार्य यह विधेयक नहीं करेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : यह विधेयक हमारे सामने आन्तरिक एवं विदेशी समस्या प्रस्तुत करता है ।

श्री बरुआ ने कहा है कि हमने बहुत सी चीजें विदेशों से ली है । मैं समझाता हूं कि इसमें कोई हानि नहीं है ।

इस विधयक के नाम पर हमें गर्व अनुभव करना चाहिये । इसके उद्देश्य में कहा गया है कि आणविक शक्ति का उपयोग शांति और अहिंसा के लिये किया जायेगा । यह बड़े गौरव की बात है । इसमें कहीं भी हिंसा की भावना नहीं आई है । इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि सभी चीजें राज्य की होनी चाहिये । जब कि अमरीका में यह चीज गैर सरकारी अधिकरण द्वारा तैयार की जाती हैं ।

हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि हमें ऐसी भावी सन्तति का निर्माण करना चाहिये जिसकी भौतिक शास्त्र के अध्ययन में रुचि हो । इस दिशा में जोरदार प्रयत्न करना चाहिये । और अपने वैज्ञानिकों की सेवा का भी पूरा पूरा प्रयोग किया जाना चाहिये । विज्ञान और विद्युत्

---

†मूल अंग्रेजी में

को भारत में काफी प्रगति करनी है। विज्ञान और विद्युत् का हमारी विचारधारा पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा ।

हमारे यहां २६ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं और उन्होंने ७०० पेटेन्ट्स तैयार किये हैं। लकिन हमें इतने से ही संतोष नहीं करना है। हमें और भी प्रगति करनी है। हमें अपनी प्रगति कम से कम दुगनी करनी है ।

भारत के पूंजी पतियों ने हमारे वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया है। आवश्यकता इस बात की है कि इन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया जाय। हमारे यहां से बहुत से वैज्ञानिक बाहर गये हैं उन्हें वापस बुलाकर उनका सेवाओं की सदुपयोग किया जाना चाहिये ।

हमारी अणुशक्ति स्थापना को 'रेडियम धायिता' के प्रभावों का भी कार्य संभालना चाहिये उसके प्रभाव से जनता को बचाना चाहिये । रेडियम धर्मी अवशेष को इस प्रकार नष्ट किया जाना चाहिये कि उसका बुरा प्रभाव न पड़े ।

हमारे अनुसंधान कार्य की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। अनुसंधान कार्य की किस्म में भी सुधार सोना चाहिये। अनुसंधान कार्य में वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण किया जाना चाहिये ।

अन्त में मैं इस विधेयक का सकर्थन करता हूं। इस विधेयक के नाम पर हमं गौरव है। हम सदैव ही अपने राष्ट्र का निर्माण करते और उसे सुदृढ़ बनाने में इस नाम से प्रेरणा लेते रहेंगे ।

†**श्री मे० क० कुमारन्** (चिरयिन्कील) : विधेयक के उद्देश्य के बारे में कोई वाद-विवाद नहीं है। प्रधान मंत्री ने भी इसे प्रविवादास्पद बताया है। हमारा देश ही एक ऐसा महान है जिसने आणविक शक्तियों का उपयोग शांति के लिये घोषित किया हैं।

मेरा विचार है कि इस विधयक को जनमत जानने के लिये प्रचालित किया जाना चाहिये।

इस विधेयक के अधीन केरल को जो रायल्टी अब तक मिलती थी अब नहीं मिल सकेगी। यही तो बिडम्बना है कि अंग्रेजों के शक्तिशाली राज्य में हम अब तक वह रायल्टी पा रहे थे लेकिन अब वही मिलना बंद हो जायेगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि केरल को उसके अपने अधिकार से बंचित नहीं किया जाना चाहिये। केरल के निवासियों के मन में यह भावना व्याप्त है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनके मन में से यह भावना निकालनी चाहिये। वर्ना यह केरल की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालेगी। इसलिये केरल की जनता तथा वहां के विधान मंडल से सलाह लेनी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार को राज्यों के उन झगड़ों से सबक सीखना चाहिये जो कि उनके केन्द्रीय सरकार के साथ चल रहे हैं।

अंत में मैं यही कहूंगा कि इसे जनमत जानने के लिये प्रचालित किया जाय ताकि केरल के निवासी इस विधेयक की जटिलताओं को अच्छी तरह मान सके। मुझे मालूम हुआ है कि केरल सरकार से इस बारे में बिल्कुल भी परामर्श नहीं लिया गया है। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है ।

†**श्री उ० न० डेबर** (राजकोट) : मैं सरकार और अणुशक्ति आयोग को इस विधेयक को सभा में पेश करने के लिये विधाई देता हूं। इस विधेयक में न केवल शक्तियां मांगी गई

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री उ० न० ढेबर]

परन्तु अपने पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाएं गये हैं। और भी अच्छा होता यदि विधेयक के शीर्षक में जो कहा गया है वह विधेयक के खण्ड ३ में लगा दिया जाए।

ऐसा कहा गया है कि विधेयक सरकार को असाधारण शक्तियां देता है। परन्तु अणुशक्ति का धारण करना स्वयं ही एक जिम्मेदारी है जिसका विनिमय करना होगा।

अनुशक्ति का जनसमुदाय के पूर्ण जीवन के लिये बहुत महत्व है। अतः सदस्यों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि हमें कुछ नियन्त्रण स्वीकार करने चाहियें। ये नियन्त्रण जन-समुदाय के दिन के लिए हैं। इस लिए हैं कि देश का स्वाधीनता को कायम रखने के लिए अणुशक्ति का प्रयोग होगा। अतः विधेयक में जो नियन्त्रण और विनियमन के उपलब्ध रखे गए हैं वे बहुत अच्छे हैं।

खण्ड २(१)(६) में विनिमित पदार्थ का व्याख्या के सम्बन्ध में अग्रसर विचार किया जाना चाहिये। अनुसन्धान के लिये काम में लाये जाने वाले पदार्थ भी उस में सम्मिलित किए जाने चाहिये।

कुछ पदार्थ जिन का दुरुपयोग हो सकता है उन पर नियन्त्रणों की आवश्यकता और शक्तियों जो कि लोगों की स्वाधीनताओं को कम कर सकती हैं उस में सन्तुलन का प्रश्न है।

संसार में अणुशक्ति के सम्बन्ध में इस लिये असन्तुलन है कि वे अणुशक्ति के शान्तिमय प्रयोगों पर बल नहीं देते हैं। परन्तु इस के सैनिक पहलू पर विचार करते हैं।

भारत इस समस्या पर संतुलित दृष्टिकोण से विचार कर रहा है भारत पर इस बात का उत्तरदायित्व है कि वह संसार को बताये कि अणुशक्ति बुरी नहीं है परन्तु इसे लोगों के कल्याणकारी कार्यों के लिये प्रयोग में लाना चाहिये।

लोगों को अणुशक्ति के महत्व के बारे में शिक्षा देनी है। अणुशक्ति आयोग को जनता के मस्तिष्क में यह बात बैठानी चाहिये कि भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आयोग को लोगों को अणुशक्ति के बारे में जानकारी देने के लिये शिक्षा मंत्रालय और अन्य गैर-सरकारी संघटनों से सम्पर्क रखना चाहिये।

अणुशक्ति के प्रश्न पर प्रान्तीय, राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से ही नहीं विचार करना, परन्तु स्थिति आ गई है कि अणुशक्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

ऐसी स्थिति आने वाली है जब कि संसार में शांति के हित से मानवता की सुरक्षा के हित में हमें कुछ राष्ट्रीय स्वायन्त्रता छोड़नी पड़े।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री विधेयक के शीर्षक के मतलब को खण्ड ३ में लगा लेंगे।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह विधेयक विवादास्पद नहीं है। परन्तु इस विधेयक को समझना आसान नहीं है। यह बहुत सी बातें करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि डा० भाभा हमें अणुशक्ति के सम्बन्ध में कुछ शिक्षा देंगे।

अणुशक्ति में हम ने बहुत प्रगति की है। इसका बहुत सा श्रेय हमारे प्रधान मंत्री जी को है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब हम अणुशक्ति के सम्बन्ध में अनुसंधान के लाइसेन्स देने से इंकार की व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हम इसे स्वीकार करना नहीं चाहते । व्यवहारिक विचारों से यह अनुभव हो सकता है कि अणुशक्ति के सम्बन्ध में अनुसन्धान के लाइसेन्स देने से इन्कार की नीति एक आवश्यक नीति है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा फैक्टरी अधिनियम के प्रशासन और उसे लागू करने के प्राधिकार को अपने हाथ में लेना इस लिये आवश्यक ह क्योंकि केन्द्रीय सरकार ही उन फैक्टरियों में उत्पन्न होने वाले संकटों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने में समर्थ है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री कृष्णपालसिंह** (जलेसर) : इस विधेयक में सरकार ने अणुशक्ति के प्रतिरक्षा के कामों के लिये प्रयोग के बारे में व्यवस्था नहीं की है जिस संसार में हम रह रहे हैं उसके वातावरण के अनुसार ऐसी व्यवस्था करने में कोई आपत्ति नहीं है कि अब अणुशक्ति का प्रयोग अन्य कामों के लिये किया जा सकता था ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार परमाणु शक्ति का प्रयोग शान्तिमय कामों के लिय क्यों सीमित रखना चाहती है । उन्हें गैर-सरकारी संस्थाओं के अनुसंधान करने से क्यों रोकना चाहिये ।

जब इस शक्ति का प्रयोग शान्तिमय कामों के लिये किया जाता है तो सरकार को इस का एक एकाधिकार नहीं होना चाहिये ।

हमारे अनुसन्धान केन्द्र ऐसे स्थानों में होने चाहियें जहां सुगमता से न पहुंचा जा सके ।

खण्ड २२ के अन्तर्गत सरकार अणुशक्ति के स्टेशनों में बिजली देने तथा उस की दरों का विनियमन करेगी । इस को स्पष्ट करने के लिये परन्तुक जोड़ना चाहिये । परन्तुक इस लिये होना चाहिये कि इस प्राधिकार का प्रयोग केवल उसी अवस्था में किया जायेगा यदि अन्य साधनों से उत्पादित बिजली के दाम कम होंगे । सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत शक्तियां होंगी । अतः इस विधेयक को लोक मत जानने के लिये परिचालित किया जाए ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐटमिक एनर्जी बिल जो प्रधान मंत्री यहां लाये है उसके लिये मैं उन का अधिनन्दन करता हूं । लेकिन साथ ही साथ इस के प्रिएम्बल में जो यह लिखा है :

> "लोगों के कल्याण के लिए अणुशक्ति के विकास, नियंत्रण और प्रयोग की व्यवस्था"

उस के सम्बन्ध में मैंने इंग्लैंड का ऐक्ट भी देखा है, जहां ऐटमिक एनर्जी ऐक्ट, १९४६ का है, फिर रेडियो ऐक्टिव सब्स्टैन्सेज ऐक्ट है, रेडियो ऐटिमिक एनर्जी अथारिटी ऐक्ट है, उन को देखा । उन सब में यह है :

> "अपने देश की प्रतिरक्षा के लिए व्यवस्था करना"

आखिर इस बिल में यह क्यों नहीं लिखा है । मुझे तो इस का यही उद्देश्य मालूम होता है, जैसा कि यहां भी जितनी स्पीचेज हुईं, उन में कहा गया कि चूंकि शांति की रक्षा के लिए, शांति के निर्माण के वास्ते, हम को किसी से लड़ाई नहीं करना है इसलिये ऐटमिक एनर्जी को डिफेंस के वास्ते, मिलिटरी के वास्ते उपयोग में नहीं लाना है । जिस प्रदेश से मैं आता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बडे]

हूं वहां पर जब मैं ग्रामों में जाता हूं तो लोगों को यह कहते पाता हूं कि उन की समझ में यह नहीं आता है कि जब चाइना ऐटमिक वेपन्स ले कर हमारे सामने आता है, पाकिस्तान ऐटमिक वेपन हमारे सामने ले कर आता है, गोआ में शांति के लिये हम गये, लेकिन हम को वहां जब गोलियां खानी पडीं, तब यह जो आक्रांता राक्षस है, डेमन्स है, उन के सामने हम शांति शांति करेंगे तो वह शांति कहां रहेगी। अपनी रक्षा करने के वास्ते यदि हम ऐटमिक एनर्जी से अपने डिफेंस और मिलिटरी वेपन्स तैयार करें, तो उसमें कौन सा गुनाह है, कैसे वह शांति के खिलाफ जाता है, यह चीज मेरी समझ में नहीं आती । महात्माजी ने जो अहिंसा हमारे सामने रक्खी है, अगर हम उस अहिंसा और पंचशील को अपने सामने रखना चाहते हैं तो फिर मिग विमानों की क्या जरुरत है ? मिलिटरी की जरुरत क्या है, बन्दूकें तैयार करने की जरुरत क्या है ? इतने बड़े मिलिटरी के इस्तेमाल के लिये डिफेंस कारखाने खोलने की जरूरत क्या है ? जब आप गन पाउडर तैयार करते हैं, आप दूसरे शस्त्र तैयार करते है, जितनी मिलिटरी तैयार करनी चाहिये, उसे करते हैं, मिग विमानों की तरफ झुक रहे हैं, तो ऐटमिक एनर्जी ने क्या गुनाह किया है कि उस का इस्तेमाल मिलिटरी की आवश्यकताओं के लिये नहीं हो सकता है ? मेरी छोटी बुद्धि में यह प्रश्न आता है, गांव गांव के लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि इतने बड़े नेता जो राज्य करते हैं और कहते हैं कि हम संसार में पीस चाहते है, वे पीस के मंत्र के विरूद्ध जा कर ऐटमिक एनर्जी से मिलिटरी वेपन्स नहीं तैयार करते हैं, इस का कारण क्या है । जब आप ने इस में दूसरे देशों के ऐक्ट्स से कापी किया है, तो इंग्लैंड में और यू० एस० ए० के ऐक्ट्स में जो डिफेंस का शब्द लिखा हुआ है, उस को आप ने क्यों नहीं लिया। इस डिफेंस शब्द को क्यों छोड़ दिया है यह मेरी समझ में नहीं आता।

मैंने अभी हाल में "हिन्दुस्तान टाइम्स" में पढ़ा :

> मार्शल चैन यी ने कहा कि चीन के पास केवल परमाणु शक्ति के शांतिमय प्रयोग के लिए अनुसन्धान के लिए बड़ा शक्तिशाली संगठन है, परन्तु अणु बम्ब के निर्माण के लिए भी शक्तिशाली संगठन है "

यह कामन पब्लिक के लिये अपील होगी। वह कहते हैं :

"हम ऐसा इसलिए करते है कि पूंजीवादी लोग हमें कमजोर समझेंगे यदि हमारे पास अणु बम्ब नहीं हैं।"

उनको दूसरे वीक समझेंगे, इसलिये वह डिफेंस के वास्ते ऐटमिक एनर्जी के शस्त्र तैयार करते है। ऐसा वहां के फौरन मिनिस्टर श्री चेन यी कहते है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप ऐटमिक एनर्जी से डिफेंस के वास्ते शस्त्र तैयार करें तो क्या हर्ज है जब सब जगह ऐटमिक बम तैयार हो रहे है, शस्त्र तैयार हो रहे है तो ढाल के नाते, प्रोटेक्शन के नाते यदि ऐटमिक एनर्जी से हम शस्त्र तैयार करें तो कोई हर्ज नहीं है ।

लेकिन इतना कहने के बाद भी मेरे मित्र श्री कामत ने जो संशोधन रक्खा है सेलेक्ट कमेटी के निर्माण का, मैं भी उस का समर्थन करता हूं । मैं ने भी बहुत से अमेंडमेंट्स तैयार किये थे, लेकिन मैं समझता था कि पहल लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट आयेगा और यह कल आयेगा। लेकिन जब मैं ने आर्डर पेपर देखा तो पाया कि सब कुछ टाप्सी टर्वी हो गया, और यह बिल पहले आ गया ।

मैं खास तौर से जो मंत्री इस से डील करते है उन के सामने दो तीन सुझाव रखना चाहूंगा। हमारे कम्पनी ऐक्ट में सेक्शन २५ है उस में लिखा हुआ है :

समवाय का अर्थ निकाय से है जिसमें फर्म और अन्य संस्थाएं आ जाती हैं यह बहुत लूज डेफिनिशन है । लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट में लिखा हुआ है जिस तरह से कि :

"समवाय का तात्पर्य किसी अधिनियम विशेष के अन्तर्गत पंजीवद्ध समवाय है।"

उसी प्रकार से इस में डेफिनिशन लगभग ऊपर वाली होनी चाहिये थी :

कोई भी ऐसोसियेशन आफ इंडिविजुअल्स हो सकता है ।

कम्पनी में भी मनुष्य ही होते हैं । इसमें इतनी लूज वर्डिंग्स लिखी गई है कि अगर यह बिल सेलैक्ट कमेटी में जाता तो कम्पनी के बराबर रख कर इस डेफिनिशन को सर्कमवेंट कर दिया जाता ।

दूसरी बात मैं सेक्शन २५ के बारे में कहता हूं कि उस में वर्डेन आफ प्रूफ क्या होगा ? इस में वर्डेन आफ प्रूफ जूरिज्प्रेडेंस के प्रिंसिपल्स के तत्वों के खिलाफ रक्खा गया है ? सेक्शन २५ में लिखा हुआ है :

"परन्तु साथ में शर्त यह भी है कि इस उपधारा के खण्ड में किसी व्यवस्था के होते हुए भी कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उस की अज्ञानता वश हुआ अथवा उस ने इस प्रकार की सभी सावधानी बर्ती हो कि इस प्रकार का अपराध न हो पाये"

निगेटिव बर्डेन आफ प्रूफ साधारण जूरिज्प्रेडेंस के विरूद्ध रक्खा गया है क्योंकि इसमें पाजिटिव सबूत होना चाहिये, निगेटिव सबूत नहीं होना चाहिये ।

दूसरा इसमें डिफेक्ट यह है कि इसमें रिपीलिंग क्लाज तो दिया हुआ है:

"अणुशक्ति अधिनियम, १९४८ निर्मित किया जाता है"

लेकिन इसमें इसके साथ सेविंग क्लाज नहीं दिया गया । सन् १९४८ के ऐक्ट के अनुसार बहुत से आर्डर्स और सरकुलर्स आदि दिए गए थे, उन के लिए इस ऐक्ट में सेविंग्ग क्लाज होना चाहिए जो इस प्रकार हो सकता था :

"अणुशक्ति अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अनुसार कोई किया गया काम या की गई कार्यवाही (आदेश अधिसूचनाओं या बनाए या जारी किए गये, नियमों को मिला कर । जहां तक कि वह काम इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत नहीं है उस के बारे में यह समझा जाएगा कि वह काम या कार्रवाई इस अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध शक्तियों के अनुसार किया गया है और यह भी माना जाएगा कि जब ऐसी कार्रवाई की गई थी अधिनियम उस समय भी लागू था"

लेकिन इस प्रकार का सेविंग क्लाज इसमें नहीं है ।

दूसरा मेरा यह कहना है कि इसमें जो कम्पेन्सेशन का क्लाज है वह डिफेक्टिव है । मैंने दूसरे ऐक्ट्स में कम्पेन्सेशन का प्रावीजन देखा है, लेकिन इसमें उससे फर्क है । इसमें जो लोगों के राइट्स लिये जायेंगे उनके लिए कम्मेपेन्सेशन देने के लिए एक आर-बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा और फिर केवल हाई कोर्ट में उसके फैसले की अपील हो सकेगी । बीच में कोई सीढ़ी नहीं रखी गयी है । तो एक डिफेक्ट यह भी है ।

एक और डिफेक्ट है "प्रेसक्राइब्ड" मैटीरियल के बारे में । इस शब्द के आने से वकीलों को बहुत आमदनी हो जाएगी । दूसरा शब्द है नोटीफाइड एरिया, इसके बारे में

[श्री बडे]

भी यही आपत्ति है ।

निर्धारित पदार्थ से अभिप्राय यह है कि सरकार किसी भी पदार्थ के बारे में अधिकार प्राप्त करना चाहती है ।

जब जब उनके दिमाग में आएगा कि इस नोटीफाइड एरिया या म्युनिसिपैलिटी को नोटीफाइड करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रेस्क्राइब्ड सबस्टेंस है, वे ऐसा कर सकेंगे । यह बहुत बड़ी शक्ति गवर्नमेंट के पास रहेगी । जिस चीज से भी इटामिक इनर्जी बन सकती है हर चीज को प्रेस्क्राइब्ड सबस्टेंस नोटीफाई किया जा सकेगा । इसको साफ करना चाहिए ।

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इटामिक इनर्जी के सम्बन्ध में अभी हिन्दुस्तान में पूरा सर्वेक्षण नहीं किया गया है । हमारे यहां माइका माइंस हैं जिसमें एक किस्म का पत्थर मिलता है । उसका किसी ने अभी तक सर्वे नहीं किया है कि यह इटामिक इनर्जी पैदा करने के लिए काम में आ सकता है । मुझे साइंस का ज्ञान नहीं है लेकिन मैं ने सुना है कि माइका माइंस में से जो पिच ब्लैंड और वैरिल नाम का पत्थर निकलता है उससे इटामिक इनर्जी पैदा हो सकती है । मध्य प्रदेश में झाबुआ में माइका माइंस हैं उनका इस प्रकार का सर्वे होना चाहिए ।

हमारे यहां एक जरमन टूरिस्ट आया था । उसने हमको बताया था कि उनके यहां टूरिस्ट लोगों को सरकार की तरफ से जीगर काउंटर नाम के यंत्र दे दिए जाते है जिनसे पता चल जाता है कि किसी अमुक पदार्थ से इटामिक इनर्जी निलक सकती है । टूरिस्ट इसकी खबर सरकार को दे देते हैं और फिर इसका सर्वे कर दिया जाता है । मेरा सुझाव है इस प्रकार का यंत्र हमारे यहां भी टूरिस्ट लोगों को दिया जाए । सतपुड़ा क्षेत्र में बहुत माइका माइंस है और वहां का सर्वे किया जाए तो बहुत सा ऐसा मैटीरियल मिल सकता है जिसका इस काम के लिये उपयोग हो सके ।

इस बिल को पास करने की जल्दी क्या है । इसको सिलेक्ट कमेटी के पास ६ या ७ सितम्बर तक के लिए भेज दिया जाए ताकि इसमें सुधार हो सके और तब इसको पास किया जाए । इसमें जनता के बहुत से राइट्स का सवाल है । इसलिए इसको पास करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए ।

मैं तो देखता हूं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ले कर इस भानमति के कुनबे को बनाया गया है । अनेक ऐक्टों से प्रावीजन्स ले कर इसको बना दिया गया है । यह बहुत लूज है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए ।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । मुझ आशा थी कि प्रधान मंत्री अणुशक्ति में की गई प्रगति का सर्वेक्षण देंगे । जब हम अणुशक्ति पर इतना धन व्यय कर रहे हैं तो कितना अच्छा होता यदि कुछ ग्रामों में इस का प्रयोग किया होता । आशा है कि अणुशक्ति का प्रयोग किया जाएगा ।

यदि होने वाले व्यय के बारे में सही आंकड़े देना तो कठिन है, परन्तु बजट में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी ।

हमें लोगों को बताना चाहिये कि अणुशक्ति में कितनी प्रगति हुई है और हम कितना खर्च कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अणुशक्ति आयोग ने अच्छा काम किया है, फिर भी कुछ त्रुटियां हैं। आयोग में काम के लिये चने गए नवयुवकों को ठीक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो कि उन के काम में आए।

मुआवज़े के लिए बहुत पेचीदा प्रक्रिया है। यदि किसी के पास खानें निकालने का पट्टा है और उसे एसी खान मिल जाती है जिसमें से थोरियम निकल आए तो सरकार उसे आसानी से ले सकती है और मुआवज़े का प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था कि फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत किसी ऐसी भी फैक्टरी से सामान्य देखरेख के अधिकार क्यों ले लिये जाएं तो सरकार इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थापित कर सकती थी। इस मामले पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और ऐसा मालूम भी होना चाहिए कि सरकार अपने कारखाने में ऐसी बात करनी चाहेगी, जो व दूसरों नहीं करने देती।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब उत्तर दिया जाए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं नियम २९२ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव चाहूंगा कि इस विधेयक का समय इसके महत्व के कारण चार घंटे कर दिया जाए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय ने समय को एक घण्टा बढ़ा दिया है। मेरे विचार में इसे पर्याप्त समय दे दिया गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब मैं ने नियम २९२ के अन्तर्गत प्रस्ताव किया है तो आप इसे इतनी आसानी से कैसे निपटा सकते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष ने इसे अपनी अनुमति नहीं दी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अध्यक्ष से सलाह ले ली जाए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री अ० कु० सेन !

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : सरकार की ओर से मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस विधेयक को सभी दिशाओं से समर्थन प्राप्त हुआ है। कोई विशेष संशोधन भी प्रस्तुत नहीं किये गये। एक संशोधन श्री कामत का है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय, और एक श्री श्रीकान्तन् नायर का है कि विधेयक को जनमत के लिए परिचालित किया जाय। खेद है कि सरकार इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती । कारण यह कि विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में सिद्धान्ततः कोई मतभेद नहीं । और सभी बातों की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है। वैसे भी अणुशक्ति के मामले में केन्द्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार रहने चाहिऐं। उसका उत्पादन और वितरण उसके ही हाथ में रहना चाहिए। और हम ने जिन सिद्धान्तों का पालन किया है उस के बारे में कोई भी मतभेद नहीं हो सकता। हम ने ब्रिटेन का सिद्धान्त स्वीकार किया है कि अणुशक्ति सामग्री को मुआवजा दे कर ले सकते हैं। यदि किसी विशेष स्थिति में अधिकारों का प्रयोग किसी दूसरे ढंग से भी करना होगा तो उसके लिए संसद् की स्वीकृति से नियम बनाये जायेंगे । और उन नियमों के अनुसार हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे । अतः ऐसी परिस्थिति में किसी संशोधन, अथवा विधयक को प्रवर समिति के सौंपे जाने या जनमत के लिए परिचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

विधेयक के उपबन्धों को औपचारिक परामर्श समिति के सदस्यों के पास स्पष्टीकरण टिप्पण के साथ परिचालित कर दिया गया था। उस समिति के किसी भी सदस्य ने किसी संशोधन का आग्रह नहीं किया। और इस विधेयक के सम्बन्ध में सर्वत्र एकमत था और कोई विवाद नहीं था। अतः विधेयक को कहीं भी भेजने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई माननीय सदस्य कोई विवाद वाली बात बताये तो हम बहुत आभार मानेंग।

यदि कोई सम्भव विवाद हो सकता है तो वह यही है कि राज्य सरकारों का किराये के रूप में रायलटी प्राप्त करने का अधिकार है जो कि खंड १३ के अन्तर्गत आता है, उसके लिए व्यवस्था हो गयी है। धारा ७ के बारे में अब तक कोई विवाद होने की हमें सूचना नहीं। कुछ बातों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सरकार का कोई इरादा नहीं कि खानों का स्वामित्व प्राप्त किया जाय, परन्तु जो भी सामग्री केन्द्रीय सरकार लेगी उसका मुआवजा दिया जायगा और राज्य सरकारों के अधिकार उसी तरह कायम रहेंग। इस बात की व्यवस्था विधेयक के खंड २१ में कर दी गई है।

इसके पश्चात् खानों के नियन्त्रण का प्रश्न आता है। नियंत्रण वर्तमान कानून के अनुसार सामान्यतः राज्य सरकारों का ही, परन्तु यहां कहीं भी अणुशक्ति खानों पर केन्द्रीय सरकार कब्जा करेगी, उसका मुआवजा दिया जायगा। इसी तरह रायलटी के मामले में भी मुआवजे की व्यवस्था है। मुआवजे के ढंग के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भय प्रकट किये हैं। उच्च न्यायालय में अपील के मामले में श्री हेम बरूआ का कहना है कि इस से अनावश्यक देरी होगी। परन्तु यह तो हमसे आशा की ही जाती है कि यदि मुआवजा मनमाने ढंग से लगा दिया जाय तो उस गलती को ठीक करने के लिये अपील की व्यवस्था हो। और इ सकी आवश्यकता सब से अधिक राज्य सरकारों को होगी। मध्यस्थों की बात इस मामल में अन्तिम नहीं मानी जानी चाहिये। उच्च न्यायालय में जाने से देरी होती है इस कारण इसकी व्यवस्था न करना ठीक नहीं होगा। सरकार अणुशक्ति का शांतिप्रिय ढ़ंगों से कैसे प्रयोग करेगी इस बारे में कोई आश्वासन देना जोखिम का काम होगा। जिन विभिन्न शांतिमय प्रयोजनों के लिए अणुशक्ति के प्रयोग का विचार किया है, उनकी परिभाषा करना आवश्यक नहीं है, विशषकर उस अवस्था में जब कि संसार में नयी नयी बातें प्रति-दिन हो रही हैं।

भारत सरकार ने २०० एम० वी० बिजली उत्पादन स्टेशनों के स्थापित करने का विचार किया है, जिस से राजस्थान में कोटा के निकट प्रतापगढ़ में और बम्बई में तारापुर के स्थान पर अणुशक्ति से बिजली का उत्पादन हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को उस पर राय जानने के लिये परिचालित का प्रस्ताव रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री कामत का संशोधन लेंगे। विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर लोक सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में ३२ और विपक्ष में १३०।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि भारत की जनता के कल्याण तथा तत्सम्बन्धी शांतिप्रिय उद्देश्यों के लिये अणुशक्ति के विकास उपयोग और नियन्त्रण की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डों को लेंगे :—

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ४ विधेयक का अंग बने ?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से ४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड ५ के लिये एक संशोधन है, परन्तु सम्बद्ध सदस्य उपस्थित नहीं हैं, अतः मैं सभी खडों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ से ३२ तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ से ३२ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० कु० सेन**: प्रधान मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मिलावटी और नकली औषधियों का निर्माण तथा बिक्री

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बागड़ी मिलावटी तथा नकली दवाइयों के निर्माण और विक्रय पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं ।

†**श्री बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मिलावटी और जाली दवाओं के ऊपर चर्चा करने के लिये जो प्रस्ताव मैं रख रहा हूं उस के सम्बन्ध में मैं आप की मार्फत सदन में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस देश के अन्दर इस तरह की जाली और नकली दवायें प्रचलित हो जाया करती हैं, उस देश के अन्दर बाहर से किसी खतरे के आने की जरूरत नहीं रह जाती, नकली और फर्जी दवायें देना ही, मैं समझता हूं, उस देश की जनता को जहर पिलाना है, उन्हें जहर दे कर मारना है । इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करना उस के साथ पाप और अन्याय है, और देश की भोली भाली जनता के साथ एक किस्म का धोखा और फ्राड है ।

मैं इन जाली दवाओं को तीन हिस्सों में रखता हूं और उन को तीन दृष्टिकोणों से विचार करने के लिये आप के सामने रक्खूंगा । पहला तो यह कि दो किस्म की दवायें इस देश में बहुत प्रचलित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

हैं, एक आयुर्वेदिक और दूसरी ऐलोपैथिक। आयुर्वेदिक दवायें तथा जड़ी बूटियां सूखी मिलती हैं, इसलिये उन में मिलावट बहुत कम है। ऐलोपैथिक दवायें कम्पनियों की मार्फत बनती हैं। इंजेक्शन वगैरह या डिस्टिल्ड वाटर वगैरह जितने हैं, वह ऐलोपैथिक की मार्फत बनाये जाते हैं, उन के अन्दर मिलावट ज्यादा है। मैं अर्ज कर रहा था कि यह मिलावट न सिर्फ हमारे देश के अन्दर जान का खतरा पैदा करती है या इस से जनता का विश्वास दवा दारू से उठता है बल्कि हमारे मिलावट करने वाले और मिलावट को चलाने वाले, जाली दवाओं को पैदा करने वाले, दुनिया के अन्दर हमारे देश के वकार को कम करते हैं। कहां तो दुनियां को सन्देश देते हैं, उस दुनियां को जो जाहिलों की दुनिया थी, जहां इन्सानों का कत्ल व गारत होता था, और कहां हम इस तरह से करते हैं। दुनिया के अन्दर आज रेड क्रास की मार्फत दुश्मनों को दवायें दे कर बचाया जाता है। जहां दुनिया में इतना बड़ा लोगों का मेआर है, वहां हमारे पंचशील और देवताओं के इस देश के अन्दर अपने ही लोगों को इस तरीके से दवाओं के बहाने से जहर दे कर हत्या की जा रही है। यह हमारे देश के लिये एक शर्म की बात है।

अभी मैं बाहर बैठा था, कुछ लोगों में मजाक चल रहा था। मजाक का माहौल था। कहने लगे कि जो पेन्सिलीन का इंजेक्शन था उसके अन्दर मक्खी निकल आई, कोई कहने लगा कि सोडा वाटर के अन्दर छिपकली निकल आई। इस पर एक भाई कहने लगे कि क्या यह थोड़ी तरक्की हमने की है? बताओ, आज तो लोग चांद में ही जाते हैं, गैर मुल्क वाले बड़ी चीज से छोटी चीज में जाते हैं, यह कोई तरक्की हुई? आज अगर वाटल के अन्दर छिपकली निकल आई तो हो सकता है कि कुछ दिन के अन्दर हेल्थ मिनिस्टर साहबा काया पलट कर खुद पैन्सिलीन में दाखिल होने लग जायें। आज जब इस तरह की चर्चायें चलने लग जाती हैं, और लोगों का विश्वास घटता जाता है अपने लोगों की तरफ से तो वह बीमारियों को घटायेंगे क्या? वह रोगों को बढ़ायेंगे।

यह कोई मामूली बात नहीं है, एक दो आदमियों की बात नहीं है। यह सरकार के आंकड़े हैं कि बंगाल के अन्दर कितनी जाली दवायें पकड़ी गईं। डिस्टिल्ड वाटर अंग्रेजी का शब्द है, मैं उसे बहुत तो नहीं समझता लेकिन वाटर का मतलब समझता हूं कि पानी होता है। डिस्टिल्ड का मतलब भी कोई छोटा मोटा होगा। पानी भी मिलावटी है, नमक का पानी भी मिलावटी है, तो फिर असली कौन सी चीज होगी? बंगाल की सरकार का ऐलान है कि कई लाख जाली और फर्जी शीशियां पकड़ी गईं। आन्ध्र के मुख्य मंत्री का ऐलान है कि मार्केट के अन्दर पचास फी सदी दवायें आज जाली हैं। इस से ज्यादा और क्या सबूत इस देश की जनता को और सरकार को बतलाया जा सकता है? जब सरकार ही पचास फी सदी मानती है तो मैं कहता हूं कि पचास फी सदी बीमारियों की रोक थाम की चीजों में जहर मिला हुआ है और १०० फी सदी रोग बनता है देश की बीमार जनता के वास्ते। इसी तरह से आप मैसूर को देखिये, गुजरात को देखिये, मध्य प्रदेश को देखिये। वहां फर्जी टिंक्चर पकड़ा गया। अगर दिल्ली में जाइये तो पायेंगे कि क्या तरक्की उसने की है, वहां क्या रूप मिलावट वाले धारण कर रहे हैं। कहीं बर्फ में से चूहा आ गया, कहीं जिंजर की वाटल में कीड़े मकोड़े आ गये, कहीं छिपकली आ गई।

हर दवा के अन्दर, हर पीने वाली चीज के अन्दर, जो कि सब के लिये जरूरी है, मिलावट अगर होती है तो उसे मैं मुजरिमाना गफलत सरकार की कहता हूं। सरकार की मुजरिमाना गफलत की बिना पर इस देश के अन्दर नकली दवाओं का धन्धा चल रहा है। आज सिर्फ दवाओं का ही वेद ऐसा है, दवायें ऐसी होती हैं जो यह नहीं सोचतीं कि यह दुश्मन है और यह दोस्त। दवा एक ऐसी चीज है जो यह नहीं सोचती कि यह ऊंचा है और यह नीचा है, यह गरीब है और यह अमीर

है। दवाओं का रूप खुद भगवान का रूप है। अगर कोई खुदा का रूप है तो वह दवा का रूप है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की मिनिस्ट्री इस बात के लिये मुजरिम है कि उसने खुदा जैसे पवित्र नाम को भी अपनी सरकार के दौर के अन्दर इतना अपवित्र बना दिया, भ्रष्टाचारी बना दिया कि दवा भी जाली और नकली है। बेचने वाले इन्सान नहीं, इन्सानों को खत्म करने वाले हैं। इस में कोई दो रायें नहीं हैं, सोचने की भी बात नहीं है कि जाली दवायें बनती हैं या नहीं। बनती हैं, बिकती हैं और आम बिकती हैं। आज अगर यह समाजवादी समाज है तो इस को रोकने का इन्तजाम करो।

आज २३ हजार के करीब लाइसेंस हैं और मेरे खयाल में ६७ हजार के करीब दवाओं के बेचने वाले हैं। लेकिन इनको पकड़ने वाले कितने हैं? १०७ या १०९। आज इस समाजवादी समाज के अन्दर १०९ इन्स्पेक्टर हैं जब कि कम्पनियां २३ हजार हैं, जिन को लाइसेंस दिया जाता है और बेचने वाले ६७ हजार हैं लेकिन चेकर १०९ हैं। दूसरे मुल्कों में भी अपने मुल्क से आपत्ति भेजी जाती है इन बातों के खिलाफ, लेकिन हमारे देश के अन्दर इस बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सिर्फ १०९ चेकर हैं। इतने चेकर कैसे इतने लोगों को पकड़ सकते हैं? १०९ इन्स्पेक्टर खाना बदोशों को पकड़ते हैं, इन दवाओं के बेईमानों को कब पकड़ने वाले हैं।

जब दवाई बुनियादी तौर पर देश के मरीजों के लिए है तो मैं पुरजोर लफ्जों में अर्ज करूंगा कि दवाई बनाने का काम मुनाफाखोरों के हाथ में नहीं रहने देना चाहिए। य लोग जो दवाओं पर खर्च करते हैं और जो इनका मुनाफा होता है उस में बड़ा भेद है। य देते तो हैं पानी और कीमतें लेते हैं रत्न की। जब तक इतने बड़े मुनाफे की चीज सरमाएदारों के हाथों में रहेगी तो इस चीज को रोकना दुनिया की किसी भी ताकत के लिए मुमकिन नहीं है, यह चीज आगे बढ़ेगी। दवाई न केवल देश के लोगों की जिन्दगी के वास्ते जरूरी है बल्कि यह सारी मानवता का सवाल है। इसलिए दवाएं बनाने के कारखाने और कम्पनियां इन सरमाएदारों के हाथों में नहीं रहनी चाहिएं बल्कि इसको नेशनलाइज कर देना चाहिए। जब बिजली को नेशनलाइज किया हुआ है तो दवाओं के कारखानों को नेशनलाइज न करने का क्या मतलब है। कलकत्ता में बिड़ला लेबोरेटरीज़ हैं जहां दवाएं बनती हैं। कौन सी चीज है जो सरकार उनको नहीं देगी। बिड़ला मोटर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, लोहे के कारखाने बनाते हैं, दुनिया भर की चीजों के कारखाने खोलते हैं। अब दवा का डाक्टर भी बिड़ला को बना दिया गया क्योंकि बिड़ला लेबोरेटरीज चल रही है। जब यह हालत है, इस तरह से मुनाफाखोरों को फायदा होता हो और बड़े से बड़े आदमी उन के आग झुक जाते हों, तो भ्रष्टाचार फैलेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। यह चीज़ सिर्फ़ बातों से नहीं हट सकती। मुझे तो डर लगता है।

जब हम बच्चे थे तो सुना करते थे कि शुद्ध घी और नकली घी। शुद्ध घी गाय भस का होता है और नकली मशीन का। उस वक्त लोग कहते थ कि नकली घी से आदमी बीमार हो जाता है। आपके यहां शुद्ध घी की दुकान है सिर्फ पार्लियामेंट के मैम्बरों के लिए और बाकी के लोग नकली घी खाओ। मुझे डर है कि अगर सरकार इसी तरह से चलती रही तो असली दवाएं भी पार्लियामेंट के मेम्बरों को मिला करेंगी और दूसरे लोगों को नकली दवाएं मिलेंगी और वे दूसरी दुनिया में पहुंच जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत जोर न लगायें, जल्दी थक जाएंगे।

श्री बागड़ी : मैं जोर इसलिए नहीं लगाता कि मैं इसका आदि हूं। मैं जोर इसलिए लगाता हूं कि मेरे दिल में दर्द है। मैं भी मीठे मीठे बोल सकता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : मैं तो माननीय सदस्य से इसलिए कह रहा था कि उनका गला न पकड़ा जाए ।

श्री बागड़ी : मेरा गला क्यों पकड़ा जाएगा, गला पकड़ा जाएगा पापी लोगों का ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप देखेंगे कि किस तरह से यह नकली दवाओं का जाल फैलाया जा रहा है । मैं एक तरफ तो उनको मुजरिम ठहराता हूं कि वह कुसूरवार हैं, उनकी मुजिरमाना गफलत है । जाली दवाएं बनती हैं । उनकी रोक पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आप हमारे मिनिस्टर साहब को यह कह दो कि श्मशान का उद्घाटन करना है तो वह झट अपनी धोती टोपी उठाकर चल देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य को कुछ तो हद्द में रहना चाहिए । ये बातें अच्छी नहीं हैं । जो उनका पब्लिक में काम है उस के बारे में आप चाहे जो कुछ कहें, उसकी बिल्कुल नुक्ताचीनी करें मैं नहीं रोकता । लेकिन यह कहना कि—धोती और टोपी लेकर चल देंगे—अच्छी चीज़ नहीं है । आप उन के काम की नुक्ताचीनी करें, मैं नहीं रोकता, लेकिन किसी से धोती टोपी की बात कहना अच्छा नहीं है ।

श्री बागड़ी : मेरा मतलब सिर्फ यह था कि उनको केवल उद्घाटन का काम रह गया है, फिर चाहे वह श्मशान का हो या मुर्गे और कबूतर का हो । रात को भी अगर आप इस काम के लिए मिनिस्टर को उठावें तो वे आपको मिल जाएंगे । लेकिन यहां पर पानी का संकट है, दवाओं में मुनाफाखोरी हो रही है, दवाएं नकली बन रही है, उनकी तरफ तवज्जह देना मुश्किल काम है इसका जवाब देने की उनको फुरसत नहीं । तो मैं यह कह रहा था कि इनको एक उद्घाटन का काम रह गया है और काम होता ही नहीं । मैं चाहता हूं कि यह चीज मिटनी चाहिए ।

आज जो एक आदमी जाली दवाएं बेचता पकड़ा जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक साल की सजा होती है । एक पूंजीपति के लिए एक साल की सज़ा क्या मानी रखती है । जो जहर देता है, इरादतन कत्ल करता है और ३०७ का जुर्म करता है, जो कौम के सामने गद्दाराना पार्ट अदा करता है, दूसरे मुल्कों में ये दवाएं जाएं तो मुल्क की साख खत्म हो जाए, उसको एक साल की सजा दी जाती है । यह साबित करता है कि ऐसी मामूली सजा इसलिए रखी है कि उनके अंशी वंशी ये बोगस और फर्जी कार्रवाई करते हैं । वरना उनकी सजा तो मौत की सजा होनी चाहिए। कम से कम उनको दफा ३०७ के मातहत सजा दी जानी चाहिए। इस से कम सजा नहीं होनी चाहिए । तो मेरा यह सजेशन है कि इस को रोकने के लिय सख्त सजा होनी चाहिए ।

तो पहली बात जो मैं ने कही वह यह कि ये जो तमाम दवाओं की कम्पनियों को लाइसस दिए गए हैं उनको रद्द कर के इस काम को नेशनलाइज करना चाहिए । जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं और जिनका काम मुनाफा कमाना है उनका दवाओं से क्या मतलब ? बिड़ला लेबोरेटरीज चल रही हैं । बिड़ला का उन से क्या मतलब है, अगर कोई बहीखाते की बात हो तो ठीक है, लेकिन दवाओं से उनका क्या मतलब है ? इस किस्म के जो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं उनके दवाओं के कारखानों को नेशनलाइज करना चाहिए । और जो छोटी-छोटी लेबोरेटरीज हैं उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर उनको लाइसेंस दिया जाए । और लाइसेंस देने वाले सिर्फ यह मिनिस्टर लोग या सिर्फ दो चार चपरासी चौधरी न हो, बल्कि अच्छे, समझदार क्वालीफाइड लोग हों जो यह देखें कि जो कम्पनी दवा बनाना चाहती है उस के पास काफी साधन हैं या नहीं और वह दवा बना सकती है या नहीं । तो मेरा सुझाव है कि ठीक तौर तरीके के मुताबिक लाइसेंस दिए जांए । और लाइसेंस देने के बाद ही जिम्मेदारी खत्म न हो जाए बल्कि उन कारखानों की दवाओं के नमूने सरकार के पास

जांच के लिए भेजे जांए और इंस्पैक्टरों की तादाद बढ़ायी जाए । और जो इंस्पेक्टर रखे जाएं वे काबिल हों, मामा भानजे वाले न हों, वह पूरे क्वालीफाइड डाक्टरी पास लोग हों, नाम के डाक्टर न हों। आजकल नेता लोगों को मुफ्त में डाक्टरी का लकब मिल जाता है। तो जो इन्स्पेक्टर रखे जाएं वे वास्तव में दवा के नाते डाक्टर हों ।

इस के बाद मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को यह नकली दवाओं के रोकथाम के काम को राज्य सरकारों से अपने हाथ में ले लेना चाहिए और इसको मिटाने के लिए ऐन इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए जिस तरह से उन जासूसों को मिटाने की कोशिश की जाती है जो विदेशों से देश में आ कर तोड़ फोड़ करते हैं। जिस तरह से इमरजेंसी हालत का मुकाबला किया जाता है उसी तरह से इसका मुकाबला किया जाना चाहिए और जो सारे प्रदेशों का जाली दवाओं को रोकने का काम है इसको केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेकर करना चाहिए।

इस के अलावा सरकार को इसको रोकने के लिए वैज्ञानिक, और जानकार लोगों की एक संस्था या सोसाइटी बनानी चाहिए और जो लोग इस काम को करते हैं यानी जो जाली दवाएं बनाते या बचते हैं उन के लिए कानून बना कर सख्त से सख्त सजा रखनी चाहिए।

एकबात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं । हमारे देश में नकली और असली दवाओं की पहचान करने वाली केवल एक लेबारेटरी कलकत्ता में है । सारे देश में इस चीज़ का ब्रह्मांड भरा हुआ है और उस के लिए कलकत्ता में सिर्फ एक लेबोरेटरी है। मैं आपके मारफत अर्ज करुंगा और सुझाव दूंगा कि यह मसला बहुत जरूरी है। मिनिस्टर तो चालीस की जगह पचास और पचास की जगह ५२ हो जाते हैं जो गैर-जरूरी हैं। दवाओं की जांच करने के लिए लेबारेटरीज की बहुत जरूरत है।। इस के लिए चाहे आपको कुछ मिनिस्टरों या स्टेट मिनिस्टरों को कम करना पड़े, लेकिन हर प्रान्त में नकली दवाओं की जांच के लिए-एक एक लेबारेटरी जरूर बनायी जाए जो शनाख्त कर सके।

और जिन लोगों के खिलाफ साबित हो सके कि ये नकली और फर्जी दवाएं बनाते और बचते हैं उन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सख्त सजा दी जाए, यह नहीं कि एक साल की कैद की सजा दे दी। अगर किसी आदमी ने इस काम से ६० हजार रुपया कमा लिया और उसको एक साल की सजा हो गयी तो उसको पांच हजार रुपये महीने का मुनाफा हो गया जो कि एक मिनिस्टर से अच्छा है । वह भी एक तरह का पैरेलल मिनिस्टर बन जाएगा। तो मैं अर्ज करुंगा कि जो नकली दवाएं बनाने वाले कारखाने और कम्पनियां हैं और जो लोग नकली दवाएं बेचते हैं उन के लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि सजा के साथ-साथ जितना उन्होंने बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है उसका दूना उन से वसूल किया जाए। यह सब सज़ा उस के साथ लगनी चाहिये। केन्द्रीय दवाघर ने भी इस बात को माना है कि २० फीसदी दवाईयां तो नकली जाली चलती हैं ।

स्पीकर साहब, मैं दो मिनट और अर्ज कर के अपनी जगह लूंगा। मैं इस वक्त मुअज्जिज ऐवान के सामने आप की मार्फत यह अर्ज करूंगा कि इस नकलीपन को इस देश से निकाला जाये। आज दुर्भाग्यवश नकलीपन इस देश के अन्दर घर करता जा रहा है । नकलीपन यहां तक बढ़ गया है कि हमारे राष्ट्रपिता के साथ भी नकलीपन बरता जा रहा है। उन की शहीदी यादगार भी नकली बनाई जा रही है। बिड़ला हाउस जहां गांधी जी शहीद हुए थे वहां वह यादगार न बना कर राजघाट में बनायी गयी। आज इस नकलीपन को रोकने की सब से बड़ी आवश्यकता है । मैं तो अर्ज करूंगा कि अगर यह नकलीपन नहीं रोक

[श्री बागड़ी]

पाते हैं तो मंत्री महोदय अपने पद से इस्तीफा दे दें। कोई बड़ी बात नहीं है। मिनिस्ट्री कोई उन की जद्दी जायदाद नहीं है कि जिस को वह छोड़ न सकें। अगर वह इस को रोकने में और अपना कर्त्तव्य पूरा करने में नाकामयाब रहते हैं और यह नकलीपन नहीं रुकता है तो फिर उनको मिनिस्टर नहीं बने रहना चाहिये। मैं लीडर आफ दी हाउस और प्राइम मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि अगर इन मिनिस्टर साहब को उन्हें मिनिस्टर ही बनाये रखना है तो फिर उनको बेकाम की मद में मिनिस्टर लगा दें। मुझे उस में कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मौजूदा पद पर रहते हुए जो वह पूरे तरह से नाकामयाब हुए हैं और नकली और जाली दवाओं के प्रचलन से जो लोगों की जानें जा रही हैं, और वह अपनी कुर्सी से चिमटे हुए उन से तो लोगों का पीछा छड़ाइये। यह जो जाली दवाई रूपी डायन देश के ऊपर जमी हुई है उस से पिंड छुड़ाने के लिये मैं अर्ज करूंगा कि मिनिस्टर महोदय को इस्तीफा दे ही देना चाहिए और अगर वह स्वयं इस्तीफा न दें तो उन से इस्तीफा ले लेना चाहिये और जो मैं ने सुझाव दिये हैं उन पर अमल करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पेश्तर इस के कि मैं अगले मेम्बर साहब को बुलाऊं कि वह अपनी तकरीर करें मैं हाउस से कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जो बहस होती रही है यहां आज तक एक मियार रहा है जिस से कि हम नीचे नहीं गये है। बागड़ी साहब ने जो सुझाव रक्खें हों, जो उन की नुक्ताचीनी हो वह दुरूस्त है उस से मुझे कोई सरोकार नहीं और मैं ने उन को बीच में बन्द भी नहीं किया क्योंकि वह शायद ऐसा समझते कि सरकार पर जो नुक्ताचीनी की जा रही है उस में शायद मैं दखल देना चाहता हूं। नुक्ताचीनी जितनी भी चाहें करें नुक्ताचीनी इस से भी ज्यादा की जा सकती है मुझे उस में कोई ऐतराज नहीं है। मगर एक मिनिमम लेविल तो होना चाहिए जोकि हाउस में कायम रखा जाये। हम ने मिनिमम लेविल ऑफ डिबेट हमेशा कायम रक्खा है ऐसा न हो कि उस को हम गिरा दें और हंसी, मजाक का एक मौजूं बन जायें और पार्लियामेंट के अन्दर भी वही हालत हो जाये जैसी कि बाहर देश में कितनी ही जगह है कि वहां पर लेविल ऑफ डिबेट बहुत नीचे गिर गया है। कम से कम पार्लियामेंट में तो हमें अपने डिबेट का लेविल न गिरने देना चाहिए। इस में मैं आप सब का सहयोग चाहता हूं और मेम्बर साहबान से अपील करता हूं कि वह मिनिमम लेविल को गिरने न दें और उस का खयाल रक्खें। वे नुक्ताचीनी कर सकते है, नुक्ताचीनी से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो दलील देनी हो दें, जितनी नुक्ताचीनी करनी हो करें, वह उन का हक है और मुझे उस में कोई रुकावट डालने का हक नहीं और न मैं उस में शामिल होना चाहता हूं। लेकिन लेविल ऑफ डिबेट एक हद से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। बागड़ी साहब से मेरी अपील होगी कि वह इस बात का ख्याल रक्खें। जब माननीय सदस्य कोई ऐसी बात कहते है जो कि इस हाउस में कहना शोभा नहीं देता और दूसरे माननीय सदस्य उस को इंज्वाय करते हैं और उस में शामिल होते हैं तो उस से और ज्यादा बुरा असर पड़ता है। यह नहीं होना चाहिए और इसको डिस्एप्रूवल की नजर से देखा जाये तो शायद हम अपने आप को सम्हाल सकेंगे। इसलिए मैं बागड़ी जी और बाकी दूसरे साहबान से अपील करता हूं कि वे इस बात का खयाल रक्खें।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, चूंकि मेरी बात पर आप ने कुछ कहा है इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं ने हाउस की जो एक सभ्यता होती है उस का उल्लंघन नहीं किया।

हिन्दुस्तान की सभ्यता मां, बहन और भाई की जो होती है उस का मैं ने उल्लंघन नहीं किया अलबत्ता अगर गरीब लोगों के साथ अन्याय करने वालों के लिए कड़े शब्द का प्रयोग करना हाउस की मर्यादा का उल्लंघन करना हो तो कम से कम मैं तो वह अवश्य करूंगा औरों का मुझे पता नहीं . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप करेंगे तो फिर उस को देखा जायेगा कि यह हाउस उस में कुछ कर सकता है या नहीं मगर मैं चाहता हूं कि ऐसा न किया जाये . . .

श्री बागड़ी : गरीबों की बात न कही जाये ? . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । क्या मुझे इस का हक नहीं है कि हाउस को कुछ कह सकूं ?

श्री बागड़ी : मैं तो गरीबों की बात जरूर कहूंगा . . .

अध्यक्ष महोदय: जब माननीय सदस्य जो कुछ कहेंगे तो उस वक्त मैं देखूंगा । अगर उस में मुझे दखल करने की जरुरत होगी तो करूंगा वरना नहीं करूंगा ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : यह एक नये प्रकार की चर्चा इस सदन में हो रही है । शायद इससे कुछ अच्छा परिणाम हो । देश में खाद्य पदार्थों और दवाइयों की मिलावट इतनी अधिक हो गई है कि मेरे विचार में स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी सीमित शक्तियों से उसे रोकने में असमर्थ है । देश में बनाई जाने वाली औषधियों में लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है । कुछ वर्ष हुए मेरे अपने डाक्टर ने मझे परामर्श दिया था कि भारतीय पेनिसिलीन का प्रयोग मत करना, बल्कि उसे हाथ मत लगाना । इसी के कारण श्री वि० डी० त्रिपाठी की मृत्यु हो गयी थी । कहते हैं कि पिंपरी में जो पेनिसिलीन तैयार होती है वह ठीक नहीं है । अभी हाल ही की वहां की स्थिति क्या है इसका मुझे पता नहीं । बच्चों के खाद्यों में मिलावट हो रही है और इस विषम समस्या को हमारी स्वास्थ्य मंत्री कुछ हल कर लेंगी इसमें मुझे सन्देह ही है ।

राजकुमारी अमृत कौर के समय भी यह चर्चा उठी थी और यह कहा गया था कि देश में जो कुछ भी थी उपलब्ध है उसमें ९० प्रतिशत में मिलावट है । आज भी जो दूध मिल रहा है उसमें ९५ प्रतिशत मिलावट है । मैं ने अभी हाल एक लेख पढ़ा था जिससे यह ज्ञात होता था कि ९५ प्रतिशत मसालों में मिलावट रहती है ।

जहां तक औषधियों के निर्माण का प्रश्न है आज वैदेशिक मुद्रा के अभाव से देश में आयात किये जाने वाली औषधियों में कटौती हो गयी है । हमारे देश में बहुत ही कम ऐसे औषधि निर्माण की फर्में है जो विशुद्ध औषधियों का निर्माण करती हैं अन्यथा अधिकांश फर्में तो इस बात की रंच मात्र भी परवाह नहीं करती है ।

संविधान के निर्माण के समय भी मैं ने इस बात के लिये आवाज उठायी थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बहुत उपयोगी विषय है और लोकहित को देखते हुए यह विषय समवर्ती सूची में रखे जाने चाहियें । क्योंकि संभव है कि एक राज्य का प्रशासन अच्छा हो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

तथापि दूसरे राज्य का बुरा भी हो सकता है। भले ही कुछ हो, हमें चाहिये कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय को और अधिक शक्तियां देवें ।

वस्तुतः जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था तभी मैं ने यह बात कही थी कि यह विधेयक असमर्थ है क्योंकि इससे केन्द्र को कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी जा रही हैं। और राज्यों से यह आशा करना कि वे निरीक्षण और इसके उपबन्धों को लागू करेंगे, केवल मजाक होगा ।

औषधियों की मिलावट के निरीक्षण के लिये जो निरीक्षक रखे गये हैं, वे केवल १२५ रु० प्रतिमाह के हैं जिन्हें थोड़े ही रुपयों में खरीदा जा सकता है । और यही कारण है कि भारत में औषधियों का अपमिश्रण बड़े पैमाने पर संभव हो रहा है । ये लोग इतने प्रभावशाली हैं कि विधायकों को भी न केवल खरीद सकते हैं अपितु मनमाने विधायकों को भी विधान सभाओं में भेज सकते है ।

मैं एक बार पुनः स्वास्थ्य मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची पर रखा जाये ।

†**डा० गायतोंडे** (नाम-निर्देशित--गोआ, दमन और दीव) : मेरा विचार है कि विशेषतः औषधियों के बारे में जो बातें यहां पर कही गई हैं बढ़ा चढ़ा कर कही गयी हैं। श्री फ्रेंक एंथनी ने आंध्र के एक अधिकारी व्यक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि लगभग ५० प्रतिशत औषधियां नकली होती हैं। मैं ने इसका पता लगाने की कोशिश की और ज्ञात हुआ कि वहां एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया ।

वस्तुतः यह समस्या केवल औषधियों के सम्बन्ध में ही नहीं है वास्तविकता है कि सभी चीजों में मिलावट हो रही है यहां तक कि खद्दर में भी मिलावट होने लगी है। अतः हमें सभी स्तरों से इस मिलावट का सामना करना है।

मैं आपको टिंक्चरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कई ऐसे टिंक्चर हैं जो डाक्टरों द्वारा कभी विहित नहीं किये जाते हैं तथापि फिर भी उनकी बहुत बिक्री होती है । अभी कुछ दिन हुए दिल्ली में ८०,००० पौंड टिंक्चर पकड़ा गया। ये वस्तुऐं ऐसे ही स्थानों में अधिक बिकती है जहीं कि नशाबन्दी होती है ।

१९५२ के अधिनियम में औषधि की जो व्याख्या की गयी है वह दोषपूर्ण है और उससे टिंक्चर आदि के निर्माताओं को बचने का रास्ता मिल रहा है । औषधियों के निरीक्षण अथवा परीक्षण के लिये कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है । निरीक्षकों की संख्या इतनी कम है कि कोई भी निरीक्षण अथवा परीक्षण नहीं किया जा सकता है । उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल में दो हजार औषधि निर्माताओं के पीछे एक निरीक्षक है ।

निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये, उनको वेतन भी अधिक दिया जाना चाहिये ताकि वे अनुचित प्रभाव में न आ सकें । औषधिओं के निरीक्षण पर केन्द्रीय नियंत्रण होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय के स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा विभाग से इस प्रकार की पुस्तिकायें छपनी चाहियें जिनमें स्वयं इलाज करने के कुप्रभाव से जनता को सावधान किया जाये। ये पुस्तिकायें विशेषत: स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित की जायें।

मैं यह सुझाव देता हूं कि इस सम्बन्ध में समिति बनायी जाये तथा जनता को इस समस्या से अवगत किया जाये।

†**श्री बाजी** (इन्दौर) : मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि यह समस्या बहुत गम्भीर है अत: हमें इस पर केवल चर्चा ही करना काफी नहीं है अपितु हमें चाहिये कि हम इस मामले की जड़ तक पहुंचें।

अत्यधिक दु:ख की बात यह है कि औषधि निर्माण उद्योग एक स्थान पर केन्द्रित है और निरीक्षक दूसरे स्थान में टु। इसके अतिरिक्त शोक की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दस वर्ष बाद भी हम राष्ट्रीय औषधि उद्योग की स्थापना नहीं कर सके हैं।

दु:ख की बात है कि सरकार एक राष्ट्रीय विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित करने में भी असफल रही है। तथा औषधियों के परीक्षण की अभी तक कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है।

कुछ विदेशी कम्पनियों को औषधियां बनाने के लिये लायसेंस दिये गये थे परन्तु यदि हम उनका रिकार्ड देखें तो ज्ञात होगा कि उनका रिकार्ड निष्कलंक नहीं रहा है। एंटीबायोटिक्स जैसी दवायें जो जीवन के लिये अनिवार्य है बहुत ऊंचे मूल्य पर बिक रही हैं।

नकली दवायें बेचने वालों को अन्य देशों में कड़ा दंड दिया जाता है। तथापि भारत में कड़ा दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। न ही देश में इस बात की व्यवस्था है कि बिक्री के पूर्व दवाओं का निरीक्षण किया जाये। इस सम्बन्ध में मैं मुदालियर समिति का उल्लेख करना चाहता हूं। मुदालियर समिति ने यह बताया है कि देश में २८०० औषधि निर्माता है उनमें से केवल १२५ कारखाने ऐसे है जिनमें १२५ से अधिक व्यक्ति है। शेष सभी गृह उद्योग के पैमाने पर कार्य करते हैं। पहिले पश्चिम बंगाल में यह नियम था कि यदि कोई नकली दवायें तैयार करने का दोषी ठहराया जाता था तो उसका नाम प्रकाशित किया जाता था तथापि दबाव डाल कर यह प्रथा बन्द करवा दी गई।

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि पैटेंट अधिनियम में संशोधन किया जाये जिससे कि हमारे देशी निर्माता अपने द्वारा तैयार किये गये फार्मूलों के लाभों से वंचित न हों।

राज्य औषधियों तथा खाद्यपदार्थों में मिलावट के मामले में अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक नहीं है। केन्द्र को चाहिये कि वे इस मामले में आवश्यक कदम उठायें। एक राष्ट्रीय भैषजिक उद्योग स्थापित करने के लिये भी कदम उठाये जाने चाहियें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री संजीव रेडी ने यह वक्तव्य दिया था कि ५० प्रतिशत दवायें नकली हैं। इस के पश्चात् इस सम्बन्ध में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है।

वस्तुत: यह मिलावट समाज में हमारे भीतर तक बैठी एक बुराई का द्योतक है। इसके लिये सरकार जिम्मेदार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विश्णु कामत]

हमारे देश में अभी हाल से कानन के लिये उपेक्षा की भावना बहुत बढ़ गई है। मद्यनिशेध ने पेशेवर धंधे का रूप धारण कर लिया है।

भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने औषधियों में अपमिश्रण करने वालों की हत्यारों से तुलना की थी। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति इस अपराध का दोषी ठहराया जाये तो उसे वही सजा मिलनी चाहिये जोकि एक हत्यारे को दी जाती है यदि वह सजा न दी जाये तो कम से कम खुले आम कोड़े जरूर लगाये जाने चाहिये।

सरकार को निश्चय कर लेना चाहिये कि मिलावट करने वालों के लिये वह क्या दंड निर्धारित करना चाहती है।

दवाइयों का निरीक्षणालय बिल्कुल कमज़ोर अभिकरण है। इसके केन्द्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत ले लेना चाहिये और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा देनी चाहिये। लोगों के मन में यह संदेह है कि निरीक्षक भ्रष्टाचार करते है और हज़ार दो हज़ार रुपया ले कर मिलावट् करने वालों को छोड़ देते है। इस आरोप की जांच करनी चाहिये और व्यवस्था और कड़ी कर देनी चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने माना है कि अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों, इन्जेक्शनों आदि में मिट्टी और अन्य बाहरी पदार्थ अकसर पाये जाते है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि अब ईमानदारी, सेवा और बलिदान का युग नहीं रहा। उसकी जगह झूठ और धोखे बाजी ने ले ली है। जब तक सरकार ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ा दंड निर्धारित नहीं करती,—जैसा कि कोड़े लगाना—तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : (जालोर) : यह मानी हुई बात है कि मिलावट आदि की बुराई बहुत फैली हुई है। मैं केवल राज्य सरकारों को ही दोष नहीं देना चाहता, केन्द्रीय सरकार भी अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। मैं जानना चाहूंगा कि १९६० से केन्द्रीय सरकार ने क्या ठोस पग उठाये हैं। १९६० में स्वास्थ्य मंत्री ने एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था। किन्तु उस समय जो अधिनियम था, उस के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है? यह भी बताया जाना चाहिये कि क्या केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में कोई प्रभाव-पूर्ण कदम उठाये गये है?

प्रशासन के सब विभागों में नये लोग नियुक्त किये गये हैं। क्या निरीक्षकों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती? क्या सदन ने कभी पर्याप्त संख्या में निरक्षक नियुक्त किये जाने की मंजरी देने से इन्कार किया है?

अभी तक उन फर्मों के नाम भी नहीं बताये गये जो नकली और खराब किस्म की औषधियां तैयार करती हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी फर्मों के नाम अस्पतालों को सूचित कर दिये गये है?

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि ५० प्रतिशत औषधियां नकली बिक रही है, तो निरीक्षक कहीं भी जा कर उन को बेचने वालों को पकड़ सकते है। किन्तु ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा ? ऐसा करने में कठिनाई क्या है ? अनुमान है कि प्रतिवर्ष ३० से ४० करोड़ रुपये की नकली औषधियां बाज़ार में आती है। सरकार ने इन को रोकने के लिये क्या किया है ? मेरे विचार में यदि स्वास्थ्य मंत्री को इस बुराई को दूर करने के लिये किसी अध्यादेश की शरण लेनी पड़ती तो कुछ अनुचित नहीं था।

मेरा निवेदन है कि उत्तरदायित्व को केन्द्र और राज्यों के बीच बांटा जाना उचित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र की निश्चित जिम्मेदारी है। उस ने आश्वासन दिया था कि एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा, किन्तु दो साल से इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। जब स्वास्थ्य मंत्री उत्तर दें, तो हम कोई सामान्य वक्तव्य नहीं सुनना चाहते, किन्तु यह जानना चाहते है कि क्या ठोस कर्यवाही की गई है, विशेष कर संघ राज्य क्षेत्रों में, कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया है और अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये है।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर).: हमारे कल्याणकारी राज्य में लोगों के स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि जब भी वे विमार पड़ें या उन को औषधियों की जरूरत हो, तो राज्य की ओर से व्यवस्था की जाये। इसलिये लोगों का औषधियों के निर्माताओं और राष्ट्र के स्वास्थ्य के जिम्मेदार व्यक्तियों में विश्वास उत्पन्न किया जाना चाहिये।

हम दावा करते है कि हम समाजवादी ढांचे का समाज स्थापित करने जा रहे है और हम यह भी दावा करते है कि हम लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। हम करोड़ों रुपये खर्च कर रहे है। इस लिये मेरे विचार में सरकार को इस विषय को सब से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये। यह कहने का लाभ नहीं है कि यह मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसी बुराई भविष्य में न रहे। यदि उचित पर्यवेक्षण, कड़ा निरीक्षण और दोषी व्यक्तियों को कड़ा दंड देने की भावना से काम लिया जाये, तो मिलावटी और नकली दवाइयों की बुराई को थोड़े समय में ही खत्म किया जा सकता है।

हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न हो कि सरकार अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह निभा रही है। लोगों के सहयोग से आप आगे जा सकते है मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारें भी इस बुराई को दूर करने के लिये उचित कदम उठायेगी।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : देश में खाद्य पदार्थों और औषधियों में मिलावट का काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस बात पर सब सहमत हैं, किन्तु यह और बात है कि दोष किस का है, राज्य सरकारों का या केन्द्रीय सरकार का। इस बात पर मतभेद हो सकता है।

सरकार के लिये यह दावा करना भी कठिन है कि वे इस पर शतप्रतिशत काबू पा सकती है। जब तक सामान्य जनता सहयोग न दे और इस के विरुद्ध जनमत पैदा न किया जाये, हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मंत्री या मंत्रिमंडल से त्यागपत्र की मांग करने से कोई लाभ नहीं क्योंकि केबल सरकार अकेली इस समस्या को हल नहीं कर सकती। इसके लिये उचित वातावरण और जनमत पैदा करने की आवश्यकता है। सदन एकमत से यह मांग करता है कि यदि आवश्यक हो, तो अधिक अच्छे कानून बनाये जायें और सरकार अपने हाथ में अधिक शक्तियां ले ले।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : देश में नकली औषधियों का अस्तित्व ही समाजवादी आयोजन की धारणा के विरुद्ध है जिस में कि हम लगे हुए हैं। आशा है कि सरकार इस बुराई को दूर करने में कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ेगी।

मेरे विचार में हमारे देश के कानून पर्याप्त नहीं है। किन्तु इस मामले में केवल दंड को कड़ा कर देने से समस्या हल नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है वर्तमान कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाये और वर्तमान व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाये।

†**स्वास्थ्या मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: इस वादविवाद में जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, मैं उन से सहमत हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मिलावटी और नकली दवाइयों को रोकने के लिये प्रभावोत्पादक कार्यवाही की जाये।

श्री एंथनी ने कहा है कि मंत्री महोदय एक जोरदार वक्तव्य दे देंगे जिस का अर्थ अन्त में कुछ नहीं निकलेगा। मेरे लिये यह कहना गलत होगा कि अगले ६ महीनों में कुछ जादू हो जायेगा, जिस के कारण १५ वर्ष की समस्या हल हो जायेगी, यद्यपि मैं और उपमंत्री आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार और मंत्रालय के पदाधिकारी इस को हल करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हमारे प्रयत्नों का परिणाम क्या होगा, अभी से नहीं कहा जा सकता।

श्री बागड़ी ने मुझे त्यागपत्र देने के लिये कहा है। मेरे लिए और उपमंत्री के लिये ऐसा करने में कोई देर नहीं लगती और हम डाक्टरी के काम में पुनः लग सकते हैं। किन्तु हमारे नेता ने हमें यहां इसलिये रखा है कि हम इस मंत्रालय की समस्याओं को हल करने में कुछ सहायता दे सकेंगे। हम इस से अधिक कुछ नहीं कह सकते कि हम अपनी योग्यता के अनुसार पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री माथुर ने कहा है कि एक व्यापक विधेयक लाने का आश्वासन दिया गया था, जो अभी तक नहीं लाया गया। मुझे इस के बारे में ज्ञान नहीं है। यदि कोई विधेयक प्रस्तावित है, तो वह सदन के सामने आ जायेगा। किन्तु मैं इस समस्या का बहुत पहले से अध्ययन करती रही हूं और इस को माननीय सदस्यों से अधिक समझती हूं।

१९६० में यह संशोधन किया गया था कि अपराधी को १ वर्ष की कैद दी जायेगी। मुझे खेद है कि इस उपबन्ध का उचित प्रयोग नहीं किया गया। मैं श्री त्यागी से सहमत हूं कि कानूनों को क्रियान्वित करने में जनमत का बड़ा हाथ होता है। कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका को कोई निदेश नहीं दिया जा सकता। किन्तु जनमत उन्हें बाध्य कर सकता है।

कुछ तथ्य आप के समक्ष रखती हूं। औषध अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के अपराधों के लिये सजा एक वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गई है। परन्तु हैरानी इस बात की है कि एक वर्ष की कम से कम सजा का भी कोई उपयोग नहीं किया गया। १९५८-५९ में २०७ मुकदमे चले जिन में से केवल २४ व्यक्तियों को सजा हुई। बाकी लोगों को केवल जुर्माना हुआ। १९५९-६० में १९७ पर मुकदमा चला और केवल १७ को कैद हुई। १९६०-६१ में २०७ में से केवल १० को जेल हुई। हालांकि विधान में यह व्यवस्था है कि यदि जेल की सजा नहीं दी जाती तो दंडाधिकारी को लिखित रुप में इस के कारण बताने होते हैं। कई बार इस प्रकार की परिस्थितियों का कुछ हमारे मित्र राजनीतिक लाभ उठाने लग जाते हैं। सब दलों को एक पवित्र वायदा करना चाहिये कि इस प्रकार के मामले में कभी राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा। जो भी सरकार हो आखिर उसे अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कई छोटी छोटी संस्थायें औषध उद्योग में लग रही हैं। मुझे इस का पता है और मैं उन के खतरों से भी परिचित हूं। १२५ तो पुराने संस्थान हैं उन के पास मशीनरी भी है और कर्मचारी भी। उन के उत्पाद भी अच्छे और अधिकृत होते हैं। परन्तु २,७०० ऐसे संस्थान हैं जिन के पास समुचित साधन नहीं हैं। उन्हें क्यों और कैसे लाइसेंस मिला हुआ है? मुझे पता है और मुझे इस का खेद है कि कई बार दलों के व्यक्तियों के दबाव से लाइसेंस दे दिया जाता है। मेरे विचार में हम सब को जनता के प्रतिनिधि होने के कारण इस प्रकार के दबाव बन्द कर देने चाहियें। माननीय सदस्यों को भी इस प्रकार की सिफारिशें नहीं करनी चाहियें। एक नहीं, मैं इस सदन के ५०० माननीय सदस्यों और इस सदन के द्वारा मैं अपनी आवाज को राज्य विधान मंडलों के माननीय सदस्यों तक भी पहुंचाना चाहती हूं कि इस कार्य में वे सहयोग दें। और इस प्रकार के किसी निकाय की इस प्रकार का कार्य करने के लिये सिफारिश न करे। यह कोई एक दल का प्रश्न नहीं। इस मामले में हम सब एक हैं। और सरकार भी इस के प्रति जागरूक है और इस रोग का शीघ्रातिशीघ्र नाश कर देना चाहती है।

यह ठीक है कि निरीक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था थी परन्तु जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने निरीक्षकों की नियुक्तियों का प्रश्न उठाया तो वित्त मंत्रालय ने उसे रद्द कर दिया और सुझाव दिया कि उन्हें निरीक्षक नियुक्त न कर के सजा बढ़ा देनी चाहिये। अब हम शीघ्र ही निरीक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं, और दो तीन मास में केन्द्रीय सरकार के निरीक्षक नियुक्त हो जायेंगे। मेरी यह कदापि इच्छा नहीं कि कोई जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी जाये। और स्वास्थ्य का विषय राज्य सरकार का होने के कारण इस दिशा का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाये। मेरा निवेदन है कि सामान्य व्यक्ति राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार में कोई अन्तर नहीं देख सकता। अतः यह मेरा उत्तरदायित्व है कि राज्य मंत्रालयों के साथ सहयोग कर के इस औषध मिलावट को रोकने का प्रयत्न करे। इसलिये मैं काफी राज्यों में घूमती रही हूं। इस मामले में हमारा संयुक्त उत्तरदायित्व है। हम मिल कर जो कुछ सम्भव होगा करेंगे।

हम औषध निरीक्षक नियुक्त कर रहे हैं और औषध नियंत्रण अधिकारी को इस समस्या को पूरी तरह हल करने के लिये पूरा स्टाफ दिया जायेगा। जो निरीक्षक नियुक्त किये जायेंगे उन्हें औषधों का प्रारम्भिक ज्ञान भी होगा और कुछ विधि प्रक्रिया का भी पता रहेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने औषध उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात की है। मेरा निवेदन है कि सरकार सरकारी क्षेत्र में औषधियों का निर्माण करने के सम्बन्ध में अधिकाधिक प्रयत्न कर रही है। पैंसलीन भी सरकारी क्षेत्र में बनाई जा रही है। और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इस के कुप्रभावों से बचा जाय। कई बार उस का कुप्रभाव होता है और उस के प्रति हम पूर्ण रुप से जागरूक हैं।

इस दिशा में अन्य संयंत्र भी लगाये जा रहे हैं। कुछ रूसी सरकार की सहायता से लगाये जा रहे हैं और कुछ अन्य देशों की सहायता से। इस बात का सरकार का पूरा निश्चय है कि औषधों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना दिया जायेगा। औषध उत्पादन का मुख्य भाग सरकारी क्षेत्रों में ही हो रहा है। कुछ भाग गैर-सरकारी क्षेत्र में है। २,७०० छोटे छोटे जो संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं हम उन की समुचित जांच करने का विचार कर रहे हैं। हम यह प्रयत्न करेंगे कि वे या तो समुचित व्यवस्था करें अथवा बन्द कर दिये जायें। इस से भी खतरा काफी सीमा तक टल जायेगा। एक बात सब को समझ लेनी चाहिये कि छोटे लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के उद्देश्य से हम देश के माननीय जीवन से नहीं खेल सकते। ऐसे छोटे छोटे लोगों को लाइसेंस देने में कुछ ढील भले ही बरती गई हो परन्तु वे किन्हीं महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मैं यह भी बता देना चाहती हूं कि "ऐंटी बायोटिक्स" तथा अन्य चीजों की पूरी छानबीन की

[डा० सुशीला नायर]

जाती है। अस्पतालों को सम्भरण करने वाली औषधियों को भी सरकारी साधनों से पूरी छानबीन करके खरीदा जाता है ।

परिशोधित जल के बारे में जो इतना जोश दिखाई दिया है यह लघु उद्योगों में निर्माण होता है । यह जो सुझाव है कि इन सब का सारा उत्तरदायित्व केन्द्र को ले लेना चाहिये, व्यावहारिक नहीं है । राज्य सरकारों की सहायता के बिना यह काम नहीं हो सकता । उन की सक्रिय सहायता और सहयोग बड़े महत्व की बात है । परन्तु इतना मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि राज्य सरकारें भी इस रोग का उपचार करने के लिये हमारी तरह ही चिन्तातुर हैं । हम जो निरीक्षक नियुक्त करेंगे वे राज्य सरकारों की सहायता करेंगे । वे निर्माण करने वालों अथवा बेचने वालों के यहां जायेंगे ।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहिले प्रत्येक व्यक्ति औषध बेच सकता था परन्तु अब यह सम्भव नहीं । औषध अधिनियम के अन्तर्गत बेचने वालों को अपना नाम रजिस्टर कराना होगा । बिक्री के स्थानों का नियंत्रण भी बड़ा ही आवश्यक है । कई बार अधिक देर तक पड़े रहने के कारण औषध खराब हो जाते हैं और बिक्री के योग्य नहीं रहते । बड़ा व्यापक विषय है और बड़ा व्यापक काम है । हजारों निर्माताओं और हजारों विक्रेताओं के नियंत्रण का प्रश्न है । अतः मैं इस चर्चा और इस के दौरान दिये गये सुझावों का स्वागत करती हूं । मैं इस बारे में एक बार पुनः श्री त्यागी की अपील को दोहराती हूं कि यदि हम चाहते हैं कि इस बारे में कुछ अच्छे परिणाम निकलें तो हमें सर्वत्र देश में जनता को जागरूक करके एक जनमत का निर्माण करना होगा । मैं यह आश्वासन देती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय से जो कुछ सम्भव होगा वह करेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चर्चा समाप्त हुई ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार २१ अगस्त १९६२/श्रावण ३०, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†पूरा अंग्रेजी में

सोमवार, २० अगस्त, १९६२
२९ श्रावण, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१३२३—४५
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३७	दिल्ली के लिये वृहद् योजना	१३२३—२५
४३८	पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चेचक	१३२६—२८
४३९	जल सम्भरण	१३२८
४६७	राष्ट्रीय जल तथा सफाई समिति	१३२८—३०
४४०	दुर्घटना जांच समिति	१३३० —३२
४४१	होटल वर्गीकरण समिति	१३३२—३४
४४२	खाद्य क्षेत्र	१३३४—३७
४४३	नागपुर-टाटानगर पैसेजर ट्रेन का पटरी से उतरना	१३३७–३८
४४६	प्रादेशिक वन अनुसन्धान संस्था	११३८—४०
४४७	स्थानीय शासन सेवा	१३४०–४१
४४८	कृषि उत्पादन	१३४२—४४
४४९	देहाती इलाकों में अस्पताल	१३४४–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१३४५—१४३५
तारांकित प्रश्न संख्या		
४४४	कन्दमूल फसल के बारे में अनुसन्धान	१३४५
४४५	नया टेलीफोन	१३४५–४६
४५०	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१३४६
४५१	सहकारी क्षेत्र का विस्तार	१३४६–४७
४५२	भूमि वितरण	१३४७
४५३	स्थायी सिन्धु आयोग	१३४७–४८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४५४	नेत्र विज्ञान सम्बन्धी विश्व सम्मेलन	१३४८
४५५	दिल्ली में बिजली की सप्लाई	१३४८
४५६	अन्तर्राज्य मोटर लाइसेंस	१३४८–४९
४५७	होस्पेट और मुनीराबाद शुगर फैक्टरियां	१३४९
४५८	बम्बई पत्तन	१३४९–५०
४५९	रेल टिकटों पर हिन्दी	१३५०
४६०	संसद् भवन में स्थित दिल्ली दुग्ध केन्द्र के डिपो से दूध तथा घी की बिक्री	१३५०–५१
४६१	पेट की बीमारियां	१३५१
४६२	गैर-सरकारी विमान-संचालकों को अनुसूचित मार्गों पर विमान चलाने की अनुमति	१३५१
४६३	उड़ीसा में हैजा	१३५१–५२
४६४	मौसम का हाल	१३५२
४६५	अतिरिक्त जहाजों का अर्जन	१३५२–५३
४६६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्त स्थान	१३५३
४६८	रूस से बिजली उत्पन्न करने के यंत्रों का सम्भरण	१३५३–५४
४६९	अमरीका से डीजिल इंजन	१३५४
४७०	वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले अधिकारी	१३५४–५५
४७१	स्कूल स्वास्थ्य समिति	१३५५
४७२	पटसन का उत्पादन	१३५५
४७३	रात्रि विमान सेवा	१३५६
४७४	रिटायरमेंट पास	१३५६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०९०	"नर्सिंग होम का शुल्क"	१३५७
१०९१	खाद्य उत्पादन	१३५७
१०९२	तटीय नौवहन	१३५७–५८
१०९३	"डी" श्रेणी के रेल फाटकों का दर्जा ऊंचा करना	१३५८
१०९४	त्रिपुरा में भू-राजस्व और भूमि	१३५८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या.		
१०९५	नई दिल्ली में बन्दरों का उत्पात . . .	१३५९
१०९६	त्रिपुरा के कृषकों का ऋणी होना . . .	१३५९
१०९७	त्रिपुरा में टेलीफोन एक्सचेंज	१३५९–६०
१०९८	त्रिपुरा में बिजली संभरण	१३६०
१०९९	त्रिपुरा के गांवों में जल सम्भरण . .	१३६०
११००	टेलीफोन एक्सचेंज, कोनी	१३६०–६१
११०१	बैरगनिया में टेलीफोन कनेक्शन . . .	१३६१
११०२	सहकारी विधियां	१३६१–६२
११०३	डाकखानों को ऊंची श्रेणी का बनाना . . .	१३६३
११०४	कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन पर रोकी गई गाड़ियां . .	१३६२–६३
११०५	गाड़ियों का देर से पहुंचना .	१३६३
११०६	गाड़ियों का देर से चलना . .	१३६४
११०७	टीकमगढ़ में गन्ने का उत्पादन . . .	१३६४–६५
११०८	बीना-कोटा रेल मार्ग पर मूंगावली में विश्राम-गृह .	१३६५
११०९	मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज . . .	१३६५
१११०	राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई कार्यक्रम .	१३६५–६६
१११९	राजस्थान में नगरीय और ग्रामीण जल सम्भरण	१३६६
१११२	परिवार नियोजन केन्द्र . .	१३६७
१११३	उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना . .	१३६७
१११४	हाल्ट स्टेशनों पर यात्री सुविधायें .	१३६८
१११५	कानपुर-लखनऊ बड़ी लाइन को दोहरा करना	१३६८
१११६	उत्तर प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम .	१३६८—७०
१११७	मैनाधार (आसाम) में बारक नदी पर बांध .	१३७०
१११८	बिलोनिया, सुनामेरा और कमालपुर म बिजली घर . .	१३७१
१११९	नामपद और गुनूपुर के बीच छोटी लाइन पर पुराने लाइट इंजनों का चलना	१३७१–७२
११२०	डोईखाल रेलवे स्टेशन (उड़ीसा) . . .	१३७१
११२१	पंचायत समिति दफ्तरों के लिये टेलीफोन . . .	१३७२
११२२	पार्वतीपुरम में ऊपरी पुल	१३७२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११२३	परलाखेमेडी (उड़ीसा) के डाकघर की इमारत . .	१३७३
११२४	आंध्र प्रदेश में रेलवे लाइनें	१३७३
११२५	काशीनगर (उड़ीसा) में बिजली लगाना . . .	१३७४
११२६	रामानदी बांध, मद्रास राज्य	१३७४
११२७	कैंसर	१३७४–७५
११२८	रासायनिक उर्वरकों का आयात . . .	१३७५
११२९	सड़क परिवहन निगम	१३७६
११३०	घर पर माल पहुंचाना	१३७६–७७
११३१	सिंचाई परियोजनाओं सम्बन्धी विशेषज्ञ दल . .	१३७७
११३२	दिल्ली में बिजली द्वारा दाह संस्कार की मशीन . .	१३७७–७८
११३३	डाक तार विभाग में कार्यकुशल कर्मचारियों को पुरस्कार की योजना	१३७८
११३४	दिल्ली में यमुना पर बन्ध	१३७८
११३५	ओलनवकोट डिवीजन में काम करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी .	१३७९
११३६	तीसरी योजना के अधीन सेवा सहकारी संस्थायें	१३७९
११३७	ओलनवकोट में क्रियोंसोटिंग प्लांट .	१३७९–८०
११३८	आंध्र प्रदेश में रायलसीमा जिले में अकाल	१३८०–८१
११३९	दामोदर घाटी निगम नहर .	१३८१
११४०	भाखड़ा बांध परियोजना	१३८१–८२
११४१	पाकिस्तान के साथ रेल सम्बन्ध .	१३८२
११४२	खाद्य तथा कृषि संगठन विशेषज्ञ .	१३८२
११४३	त्रिचूर में टेलीफोन एक्सचेंज	१३८३
११४४	जन्ममरण आदि के आंकड़ों सम्बन्धी विभाग .	१३८३
११४५	मेरठ में दिल्ली परिवहन (डी० टी० यू०) बस सेवा .	१३८३–८४
११४६	विजयनगरम् तालुक (आंध्र प्रदेश) में सीमेंट फैक्टरी को मेन लाइन से मिलाने वाली रेलवे लाइन . . .	१३८४–८५
११४७	पंचायत समितियां	१३८५
११४८	आदिम जाति पंचायतें	१३८५
११४९	परिवहन विकास परिषद् . . .	१३८६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतरांकित प्रश्न संख्या		
११५०	हल्दिया बन्दरगाह	१३८६
११५१	परिवार नियोजन	१३८६--८८
११५२	केरल में राष्ट्रीय राजपथ	१३८८
११५३	सड़क परिवहन उपक्रम	१३८८--८९
११५४	मछली परिरक्षण	१३८९
११५५	कृषि योग्य परती भूमि	१३८९--९०
११५६	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना मूल्यांकन समिति की सिफारिशें	१३९०
११५७	अतिरिक्त विभागीय डाकघर, अफजलगढ़	१३९०
११५८	आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन	१३९०--९१
११५९	पंचायती न्यायालयों की कार्याविधि	१३९१
११६०	अगरतला में जी० बी० अस्पताल और बी० एम० अस्पताल	१३९१--९२
११६१	रेलवे अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	१३९२
११६२	वन महोत्सव	१३९२
११६३	तिरुचि डिवीजन में सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी	१३९२--९३
११६४	"माइक्रो-वेव" प्रणाली द्वारा जम्मू को काश्मीर से मिलाना	१३९३
११६५	भूटान डाक टिकट	१३९३
११६६	नालागढ़ समिति	१३९३--९४
११६७	उर्वरकों का उत्पादन तथा वितरण	१३९४
११६८	मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तन	१३९४--९५
११६९	चुंडूरू से गुन्टूर तक रेलवे लाइन	१३९५
११७०	टेलीप्रिंटर	१३९५
११७१	रेलवे के कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता	१३९६
११७२	पार्लियामेंट स्ट्रीट (नई दिल्ली) में डाकघर	१३९६
११७३	तेल सर्वेक्षण कुंओं का पीने के पानी के सम्भरण के लिये प्रयोग	१३९६--९७
११७४	डाक तार तथा कर्मचारियों के लिये निःशुल्क रेलवे पास	१३९७
११७५	औंलोग से हैदराबाद तक रेलवे लाइन	१३९७
११७६	खाद्यान्नों की कमी	१३९८
११७७	विमान दुर्घटनायें	१३९९
११७८	बम्बई में बचड़खाना	१३९९--१४००

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतरांकित प्रश्न संख्या		
११७९	नाहन की "हिमाचल रेजिन एण्ड टर्पेन्टाइन फैक्टरी" में आग .	१४००
११८०	कृषि उत्पादन बोर्ड	१४००
११८१	बिनौले और ज्वार-बाजरे के बारे में अनुसन्धान	१४०१
११८२	गंगानगर-हिन्दूमलकोट रेलवे लाइन .	१४०१
११८३	यातायात नियंत्रण के लिये एकीकृत संस्था	१४०१–०२
११८४	जाड़े के खेल-कूद के केन्द्र के रूप में कुफरी	१४०२
११८५	पंजाब में इमारती लकड़ियों के लिये वैगन	१४०३
११८६	पंजाब में डाकघर .	१४०३
११८७	नंगल में टेलीफोन कनेक्शन .	१४०३
११८८	ओखला के पास यमुना पर बांध .	१४०३–०४
११८९	आसम में चेचक . . .	१४०४
११९०	कलकत्ता से मुगलसराय तक बिजली की रेलगाड़ियां . .	१४०४–०५
११९१	पत्तनों के प्रभार .	१४०६
११९२	एन्नोर में तापीय बिजली संयंत्र . .	१४०६
११९३	हिमाचल प्रदेश में कृषि	१४०६–०७
११९४	पठानकोट रेलवे स्टेशन पर भारिक . . .	१४०७
११९५	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	१४०७–०८
११९६	मछली पकड़ने की मशीनी नावें .	१४०८–०९
११९७	आपातकालीन बिजली उपस्कर का निर्माण .	१४०९
११९८	गलियारे वाले रेल डिब्बों में "एटेंडेंट" .	१४०९
११९९	उर्वरकों का मूल्य . .	१४०९
१२००	"ऐलोपेसिया युनिवर्सलीस"	१४१०
१२०१	उज्जैन–आगरा छोटी लाइन .	१४१०–११
१२०२	प्रतीक्षालय . . .	१४११
१२०३	दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	१४११
१२०४	अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की इमारतों में दरारे	१४१२
१२०५	निम्न दामोदर क्षेत्र में सूखा . . .	१४१२
१२०६	होजई डाकघर (आसाम) में डकैती .	१४१२
१२०७	आदिम जाति क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य . . .	१४१२–१३

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२०८	भाखड़ा बांध परियोजना	१४१३
१२०९	दिल्ली में बिजली की दरें	१४१३
१२१०	रिक्शा चलाने वालों की संघ समिति	१४१३
१२११	पंजाब में विद्युत् की खपत	१४१४
१२१२	एयर इंडिया की पुस्तिकाओं का विदेशों में प्रकाशन	१४१४-१५
१२१३	गाजियाबाद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये शटल सेवायें	१४१५
१२१४	मेडीकल कालिज	१४१६
१२१५	दिल्ली में घी की कीमतें	१४१६
१२१६	नीदरलैण्ड के साथ पशुओं की अदल बदल	१४१६
१२१७	बिहार में आय की फसल	१४१७
१२१८	गन्ने की कीमत	१४१७-१८
१२१९	मुज्जफरपुर रेलवे मेल सेवा की इमारत	१४१८
१२२१	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली	१४१९
१२२२	केन्द्रीय नदी बोर्ड समिति	१४ ९
१२२३	भारत की बड़ी नदियां	१४२०
१२२४	न्यू बैरकपुर हाल्ट स्टेशन पर क्रासिंग बनाना	१४२०-२१
१२२५	बसीरहाट-बारसाट रेलवे को सियालदह से मिलाना	१४२१
१२२६	रेल गाड़ियों में महिला डिब्बे	१४२१-२२
१२२७	स्टेशनों पर स्वच्छ पानी का प्रबन्ध	१४२२
१२२८	बारां स्टेशन पर रेल कर्मचारी की गाड़ी से दब कर मृत्यु	१४२२-२३
१२२९	पश्चिम रेलवे में सन् १९६१ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति	१४२३
१२३०	रासायनिक खाद से पैदा की गई फसलें	१४२३
१२३१	कोटा सिटी आउट एजेंसी का बन्द होना	१४२३-२४
१२३२	मेकांनि अनुसन्धान परियोजना	१४२४
१२३३	भूचालीय इंजीनियरी	१४२५
१२३४	टिड्डी संकट	१४२५-२६
१२३५	भारतीय रेलवे में नियुक्तियां	१४२६-२७
१२३६	बंगाल फ्लाइंग क्लब	१४२७-२८
१२३७	परिवार नियोजन	१४२८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२३८	अवकाश में विद्यार्थियों के लिये यात्रा सम्बन्धी सुविधायें	१४२८
१२३९	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य योजना	१४२९
१२४०	तिबिया मेडीकल कालिज, दिल्ली	१४२९–३०
१२४१	राजस्थान में गांवों में पानी का सम्भरण	१४३०
१२४२	वायु चालित विद्युत् संयंत्र	२४३०–३१
१२४३	विझान्जम (केरल) में मछली पकड़ने का बन्दरगाह	१४३१
१२४४	आंध्र प्रदेश में माल-डिब्बों की कमी	१४३१
१२४५	नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल-सम्भरण की योजनायें	१४३१–३२
१२४६	पोस्ट कार्ड तथा अन्तर्देशीय पत्रों की कमी	१४३२–३३
१२४७	होशियारपुर से टेलीफोन सम्पर्क	१४३३
१२४८	हिमाचल प्रदेश में बिना डाक्टरों के अस्पताल	१४३३
१२४९	हिमाचल अस्पताल स्नोडन, शिमला	१४३३
१२५०	पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्भरण	१४३४
१२५१	बनखडी (मध्य रेलवे) पर गाड़ी के ठहरने की व्यवस्था	१४३४
१२५२	इलाहाबाद हो कर जाने वाली बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रैस	१४३४
१२५३	लेडी हार्डिग मेडीकल कालिज और अस्पताल, नई दिल्ली	१४३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१४३६

(१) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ जून, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ३२ (१०)/६१/एम० एण्ड पी० एच० की एक प्रति, जिसमें दिल्ली खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(२) पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अधीन दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०१५ में प्रकाशित पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण (पशु कस्याण बोर्ड के लिये सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(३) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५७ की धारा २१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०

सभा पटल पर रखा गया पत्र—(क्रमशः) **विषय** **पृष्ठ**

एस० आर० १०१८ में प्रकाशित रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

• राज्य सभा से सन्देश १४३६

सचिव ने सूचना दी कि राज्य सभा से यह सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि राज्य सभा ने श्री एम० पी० भार्गव द्वारा प्रस्तुत भारतीय समुद्रीय बीमा विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है ।

विधेयक पारित . . . . १४३६—४९

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि अणु शक्ति विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा . . . १४४९—६२

श्री मनीराम बागड़ी ने मिलावटी और नकली औषधियों के निर्माण तथा बिक्री पर चर्चा उठायी । स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया तथा चर्चा समाप्त हुई ।

मंगलवार, २१ अगस्त, १९६२/३० श्रावण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२; विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १९६२, तथा भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा तथा उनका पारित किया जाना ।

———

GMGIPND—LS III—1685 (Ai) LSD—20-12-62—140.